खण्ड-300, अंक-2
बुधवार, 22 अग्रहायण, शक संवत् 1894
(13 दिसम्बर, 1972 ई0)

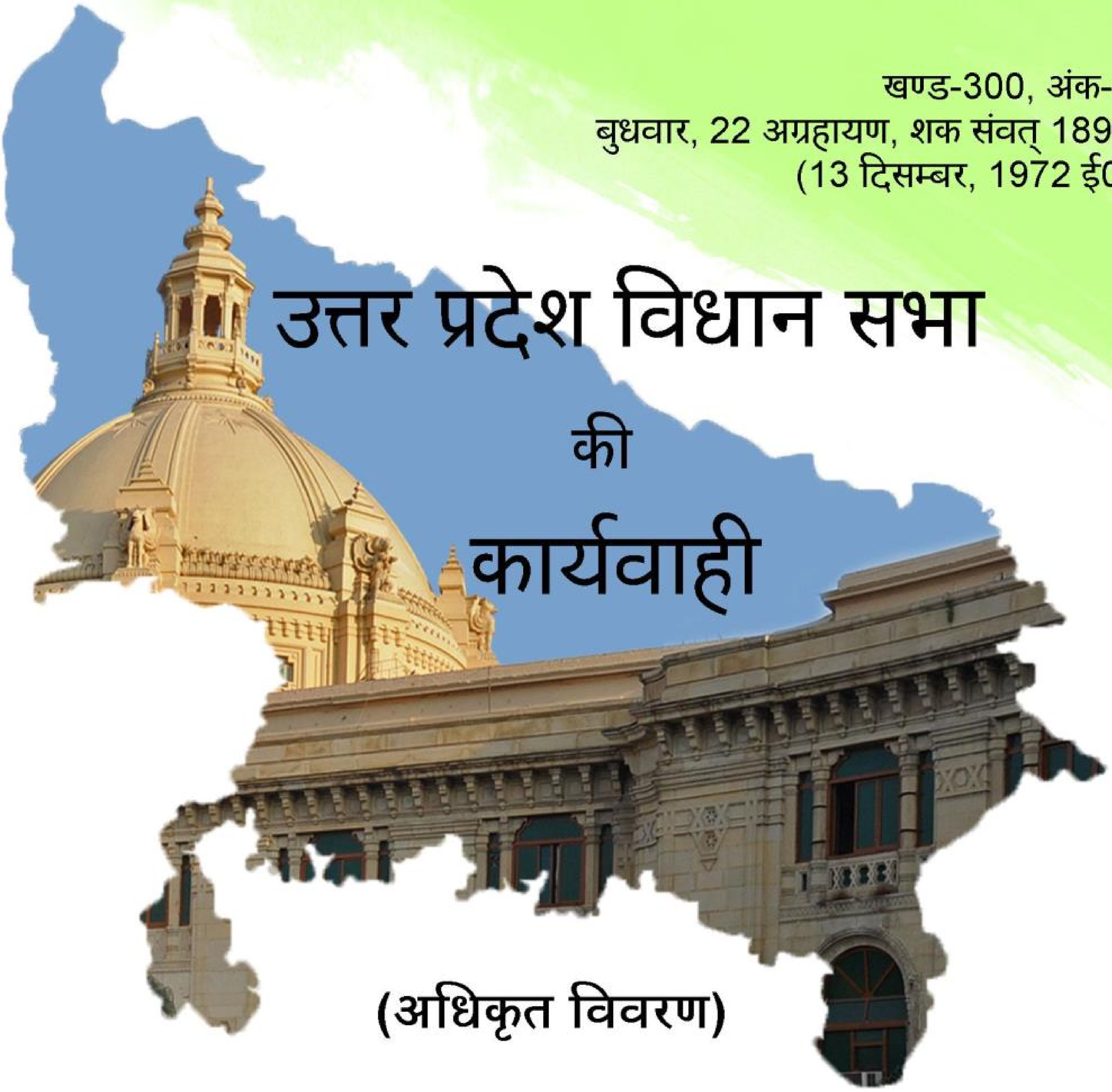

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 300 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 13 दिसम्बर, 1972

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—379

अजब सिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमर नाथ दूबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकांत बाजपेयी, श्री (उर्फ मैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए०सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ अग्रवाल, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गजेंद्र सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेंन्द्रपाल सिंह, श्री
जे०एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी०पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्रनाथ मिश्र, श्री
देवेंन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेंद्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री

बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, (जिला बरेली)
भान प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्साराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीलाल, श्री
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नवी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
राम किशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरण सिंह, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
राम निहोर, श्री

रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्यारे शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम बिलास पांडेय, श्री
रामंमूर्ति'अंचल', श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
राम लाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दूबे, श्री
राम सागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्षमण स्वरूप, श्री
लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालूराम, श्री
लीलाधर, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
बिशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भू नारायण, सिंह, श्री
शान्ति चरण पिंड़रा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिवकैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांड़िया, श्री
शिव वचन, श्री
शिवमहेंद्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिव लाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)

श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
संतोष कुमारी, श्रीमती
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सत्तार अहमद असारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सवसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखवीर श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरज लाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल घुसिया, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

नोट—सूचना राज्य मंत्री, श्री पी० डी० टण्डन भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 13 दिसम्बर, 1972

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सस्ते गल्ले की दुकानों में चीनी की दरों में वृद्धि

**1—श्री शम्भूनाथ चौधरी, (जिला बलिया), श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद), श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद) तथा श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अगस्त सन, 1972 में राजकीय सस्ते गल्ले की दुकानों से मिलने वाली चीनी की दरों में काफी वृद्धि हो गई है और चीनी पृथक पृथक भाव में भी बिक रही है ? यदि हां, तो क्यों तथा उक्त वृद्धि कितनी हुई है और इस वृद्धि को समाप्त करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य तथा रसद तथा राज्य मंत्री (श्री यादवेंद्र सिंह)—

जी हां। भारत सरकार द्वारा 15 जून, 1972 को पारित शुगर (प्राईस डिटर्मिनेशन) आर्डर, 1972 की वैधता को विभिन्न चीनी मिलों ने उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रिट पिटीशन दायर करके चुनौती दी और स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये। स्थगन आदेश के अधीन चीनी मिलों को, न्यायालय की संतुष्टि को बैंक गारन्टी देने पर, अपने मूल्य पर

लेवी चीनी बेचने की अनुमति थी जिसके फलस्वरूप विभिन्न मिलों से विभिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न दरों पर चीनी प्राप्त हुई और उसे प्राप्त मूल्य के आधार पर ही बेंचना पड़ा । इस प्रकार भिन्न-भिन्न स्थानों पर लेवी चीनी के मूल्यों में जुलाई से अगस्त तक की अवधि में भिन्न-भिन्न वृद्धि हुई । इस वृद्धि का तुलनात्मक विवरण सदन के पटल पर रखा जा रहा है ।

परन्तु 1 अक्तूबर, 1972 से भारत सरकार की योजना के अनुसार एक ही दर पर उपभोक्ताओं को सस्ते गल्ले की दुकानों से चीनी बेंची जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 258 पर ।)

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अपने मूल्य से मतलब उत्पादन लागत खर्च से है ? यदि हां, तो मिल वालों के इस लागत खर्च का निर्णय सरकार ने किस आधार पर किया ? यदि नहीं, तो अपने मूल्य का स्तर क्या है ?

श्री यादवेंद्रसिंह—

अपने मूल्य से मतलब, जिस भी मिल को चीनी पैदा करने में जो कास्ट पड़ा उस कास्ट से है । जिस फैक्टरी का ड्यूरेशन अगर कम रहा उसका कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ गया । और अगर किसी मिल का ड्यूरेशन लम्बा रहा उनका कास्ट आफ प्रोडक्शन घट गया । इसी तरह से अगर किसी फैक्टरी की कैपेसिटी कम रही तो उसका भी असर पड़ा । अगर किसी का परसेंटेज कम आया तो उसका भी असर पड़ा । इस तरह से अलग अलग मिलों का अलग-अलग दाम आया और इसी को उन्होंने कोर्ट के सामने दिया कि हमारा कास्ट आफ प्रोडक्शन यह हुआ तो उसका भी असर पड़ा । अलग-अलग मिलों ने अलग-अलग दिया और इसी पर उन्होंने इजाजत दे दी ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस न्यायालय के आदेश के कारण जुलाई और अगस्त में चीनी का भाव बढ़ा है लेकिन जो तालिका प्रस्तुत है उससे साफ जाहिर है कि जून में भी चीनी के भाव में वृद्धि हुई और विभिन्न जिलों में विभिन्न कीमतें गिरी ?

श्री यादवेंद्र सिंह—

मैंने उत्तर के शुरू में ही कहा था "15 जून" और 15 जून की तारीख जून के महीने में ही पड़ती है ।

श्री राम गोपाल संड—

1 अक्तूबर, 1972 से भारत सरकार की योजना के अनुसार एक ही दाम पर सब को चीनी देने की बात थी, तो क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि इलाहाबाद के जिले और नगर की किसी राशन की दुकान में—न केवल इलाहाबाद बल्कि लखनऊ और बहुत से अन्य जिलों में भी पिछले डेढ़ दो महीने से चीनी का एक दाना भी दूकानों में उपलब्ध नहीं है? यदि नहीं, है तो उसकी जांच करायेंगे कि इलाहाबाद में उपभोक्ताओं को चीनी क्यों नहीं मिल रही है ?

श्री यादवेंद्र सिंह—

मान्यवर, जहां तक जांच का प्रश्न है हमेशा हमने आपके आदेश को माना है और हम जांच करा लेंगे। लेकिन बीच में ऐसी स्थिति इलाहाबाद में अवश्य आई थी जब यह हुआ था कि बैंक गारन्टी पर चीनी देने की बात थी तो इलाहाबाद में होलसेलर्स ने चीनी उठाना बन्द कर दिया था और ऐसी स्थिति पैदा हुई थी ।

श्री रामगोपाल संड—

13 तारीख तक इलाहाबाद में एक दाना चीनी का दुकानों पर नहीं रहा ।

श्री यादवेंद्र सिंह—

मैं जांच करा लूंगा ।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि विभिन्न मिलों की चीनी की दरें क्या हैं, क्या उनके सम्बन्ध में अपने नियमों में संशोधन करके ऐसी कोशिश करेंगे कि इसकी बैक्ता को चुनौती न दी जा सके ?

श्री यादवेंद्र सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी भावना को गवर्नमेंट आफ इंडिया तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा क्योंकि चीनी के दामों का ताल्लुक गवर्नमेंट आफ इंडिया से है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो दाम चीनी का तय हुआ है और सरकार ने देना शुरू किया है तो क्या सरकार प्रयास करेगी कि चीनी को सब्सीडाइज करके सस्ते दामों पर जनता को पहुंचाये ? दूसरे जब से होलसेलर्स से चीनी का वितरण फूड कारपोरेशन ने अपने हाथ में लिया है तब से चीनी बाजार में नहीं आई है । पश्चिमी जिलों में भी चीनी नहीं है । इन दोनों बातों के लिये मंत्री जी आश्वासन दें कि चीनी सस्ते दामों पर जनता को मिले और वितरण की ऐसी व्यवस्था हो कि पहली तारीख से चीनी बंटने लगे ।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

जहां तक पहला सुझाव है उसको भारत सरकार ने मान लिया है और 2 रुपये 15 पैसे प्रति किलो चीनी पूरे देश में जो चीनी 70 प्रतिशत लेवी पर ली जा रही है, उसके कास्ट आफ प्रोडक्शन को मिलाकर सब्सीडाइज कर के चीनी बांटने का निश्चय किया है और बंट रही है । जहां तक दूसरे भाग का सवाल है मैं प्रयास करूंगा कि आपको दुबारा शिकायत न करनी पड़े ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है । अभी मंत्री जी ने कहा कि सब्सीडाइज करके चीनी 2 रुपये 15 पैसे प्रति किलो दी जा रही है । तो मैं जानना चाहूंगा कि कितनी सब्सीडाइज की गयी ? मैं समझता हूं कि सब्सीडाइज नहीं की गई, नहीं तो चीनी और सस्ती दी जाती ।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

जहां मैंने सब्सीडाइज शब्द का प्रयोग किया है वहां भारत सरकार शब्द भी कहा है । चीनी मिलों से चीनी लेवी पर लेकर उनकी कास्ट आफ प्रोडक्शन को एकूमुलेट करके चीनी का दाम 2 रुपये 15 पैसे प्रति किलो निश्चय किया है और इसी दाम पर चीनी देश में बंट रही है ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पहली अक्तूबर को जो चीनी की दर मुकर्रर हुई थी व केवल 2 रुपये प्रति किलो थी लेकिन अब 2 रुपये 15 पैसे प्रति किलो क्यों कर दी गई ? इसका क्या कारण है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, जो चीनी की दर दो रुपये प्रति किलो मुकर्रर की गई थी वह गवर्नमेंट आफ इंडिया ने की थी और 15 पैसे की वृद्धि बोनस वगैरा को देखते हुये कर दी है ।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो स्टे आर्डर लिया गया है उस की कौन सी तारीख है ?

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

क्या आप इधर कभी देखेंगे ही नहीं, हमें कभी अवसर नहीं देंगे?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें मैं सब को अवसर देता हूं ।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

मैं कितनी बार खड़ा हुआ हूं, आप देखते भी हैं लेकिन हमें नहीं बुलाते . . .

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं, इस तरह से नहीं होगा।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

इस तरीके से आप रुआब लेंगे कि हम बैठ जायं, क्या इस तरह से हम बैठ जावेंगे?

श्री अध्यक्ष—

इस तरह के शब्द आप प्रयोग करेंगे तो मैं कहूंगा कि आप बाहर जांय।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

आप हमें बाहर करा दीजिये लेकिन धमकी आप क्यों देते हैं ? मैं 2 दर्जन बार खड़ा हुआ और आप मेरी तरफ देखकर भी ध्यान नहीं देते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

जो आवाज आप ने निकाली, वह शब्द अनुचित है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

आज तो डिवेट का दिन है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं ।

श्री बलवीर सिंह—

मैंने प्रश्न यह किया था कि यह स्टे-आर्डर कौन सी डेट का है, यह जो हाई कोर्ट के स्टे आर्डर का जिक्र है वह कौन सी तारीख का है ? मैं साथ ही यह भी जानना चाहूंगा कि उन्होंने जो यह कहा है कि स्टे आर्डर की वजह से मिल मालिकान को छूट दी गई है कि वह अपनी कीमतों पर चीनी सप्लाई करें, तो जो तालिका उन्होंने दी है उसके हिसाब से जून में मेरठ में 1.94 और 1.98 पर हुई और जुलाई में 2.3 पर और वही चीनी अगस्त में 2.48 पर दी गई। सब जगह की बात जाने भी दें तो एक ही जिले में जब एक बार रेट तय हो गया तो जुलाई और अगस्त में इतने दाम कैसे बढ़ गये?

श्री यादवेंद्र सिंह—

ऐसा हुआ कि जब हर फैक्टरी को उसके अपने रेट पर चीनी बेंचने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दी क्योंकि पहले 37 मिले उनमें से हाई कोर्ट में की गई थी जिन को मुख्तलिफ तारीखों को हाई कोर्ट से आदेश मिला था और 3 सुप्रीम कोर्ट में गई थी और उन को भी भिन्न-भिन्न तारीखों को वहां से आदेश अपने रेट पर चीनी बेंचने के मिले थे लेकिन इन सब का कुमुलेटिव एफेक्ट यह हुआ कि हर मिल उन भिन्न-भिन्न तारीखों के कोर्ट्स के आदेशों से गाइड हुई और उसी से रेट्स में भिन्नता पैदा हुई ।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्षों में प्रदेश में चीनी का जो रेट खुले मल्ले की दुकानों का था, वह 1.69, 1.70 व 1.71 रुपया था और इधर केंद्रीय सरकार ने

जो नीति निर्धारित की और जो रेट निर्धारित किये उसके अनुसार वह रेट बढ़कर 2 रुपया और 2.15 रुपया हो गये । मंत्री जी ने बताया कि केंद्र की सरकार ने यह मूल्य निर्धारित किये हैं तो क्या राज्य सरकार केंद्रीय सरकार से इस प्रकार का अनुरोध करेगी या कोई अनुरोध किया गया कि पूर्व दरों पर ही चीनी यहां सप्लाई की जाय ? यदि हां, तो ऐसा पत्र कब भेजा गया और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री यादवेंद्र सिंह—

इस प्रकार का भारत सरकार से कोई निवेदन नहीं किया गया । भारत सरकार जब भी लेवी प्राइस को डिसाइड करती है तो पूरे देश के कन्टैक्सट में करती है । जब पिछले वर्ष चीनी का उत्पादन अधिक हुआ था, तो जैसा मैंने अपने उत्तर में निवेदन किया कि जब मिलों को ड्यूरेशन ज्यादा होगा तो कास्ट आफ प्रोडक्शन कम होगी । तो जो लेवी तय हुयी वह पिछले वर्ष के आधार पर हुयी थी । पहले चीनी का दाम 1.70 था लेकिन जब चीनी का प्रोडक्शन कम हुआ तो कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ी । भारत सरकार दाम के बारे में जो निर्णय लेती है, वह पूरे देश के संदर्भ में ही लेती है।

श्री राम गोपाल संड—

श्रीमन, बड़ी विनम्रता के साथ मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आपके आंकड़ों के अनुसार रायबरेली जिले में चीनी जून के महीने में 2.01 रु0 प्रति किलो के हिसाब से बिकी लेकिन जुलाई में 1.82 रुपया और 2.05 रु0 प्रति किलो के हिसाब से बिकी परन्तु अगस्त में इसका दाम 1.87 कर दिया गया । तो वे कौन से कारण थे कि पूरे उत्तर प्रदेश में तो चीनी 2 रुपये प्रति किलो बिके और रायबरेली में 1.87 रुपया प्रति किलो बिके, यह भेद भाव क्यों?

श्री यादवेंद्रसिंह—

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य को तो रायबरेली से मुहब्बत है, मुझे तो प्रदेश के 54 जिलों से है इसलिये मेरी आंख में किसी एक जिले की मुहब्बत का सवाल नहीं है।

श्री राम गोपाल संड—

श्रीमन्, इलाहाबाद में चीनी महंगी, लेकिन रायबरेली में चीनी सस्ती, यह बहुत बड़ा अन्याय है । एक चुने हुए सदस्य को लोकप्रिय करना और बाकी लोगों को बदनाम करना उचित नहीं है । रायबरेली में अगस्त में चीनी सस्ती मिले और इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर और अन्य स्थानों में मंहगी बिकने के क्या कारण हैं?

श्री यादवेंद्र सिंह—

सम्भव है कि वहां पर जिस मिल को जो चीनी बिकी हो, उसका कास्ट आफ प्रोडक्शन कम हो ।

श्री यादवेंद्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि सब्सिडाइज्ड गवर्नमेंट आफ इंडिया ने शुगर को किया । तो मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की शुगर मिल्स की क्या कास्ट आफ प्रोडक्शन थी और प्रदेशीय सरकार ने कितनी रिकमेंड की और कितनी सब्सिडाइज्ड रिकमेंड की थी ?

श्री यादवेंद्र सिंह—

हर मिल का कास्ट आफ प्रोडक्शन अलग-अलग होता है । जब भी भारतीय सरकार ने तय किया तो प्रदेश की 73 चीनी मिलों के नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के कन्टैक्सट में किया, जिनके अलग-अलग भाव थे ।

श्री यादवेंद्र दत्त दुबे—

श्रीमन्, ये जवाब टाल रहे हैं प्रेमालाप करके । मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट जानना चाहता हूं कि जिस समय भारत सरकार ने सब्सीडाइज्ड किया था तो उत्तर प्रदेश की मिलों की कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या थी और आपने क्या रिकमेंड किया ?

श्री यादवेंद्र सिंह—

उत्तर प्रदेश में 73 चीनी मिलें हैं और सबका अलग-अलग कास्ट आफ प्रोडक्शन है, एक सा नहीं था । जिस मिल का ड्यूरेशन लम्बा था उसका कास्ट आफ प्रोडक्शन लो था और जिसका कम था उसका हाई हो गया । हर मिल का कास्ट आफ प्रोडक्शन अलग-अलग था एक रूपता आ ही नहीं सकती थी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

इस पर बहुत प्रश्न हो चुके हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

कल हमने नियम 52 में लिखकर दिया था कि आप इस पर दो घंटे की चर्चा दें।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मेरा इसी सवाल से संबंधित व्यवस्था का प्रश्न है । जो उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है कि इन्होंने 2 रुपये 15 पैसे पर सब्सिडाइज्ड रेट पर चीनी की कीमत निर्धारित करवाई है भारत सरकार से या भारत सरकार ने सब्सिडाइज्ड रेट पर माना है जो भी स्थिति हो, मैं यह व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि आप इस बात के लिये आदेश देंगे कि वह पत्र जो सबसिडाइज्ड रेट पर 2 रु0 15 पैसे के हिसाब से उत्तर प्रदेश में चीनी मिल रही है, उस केंद्रीय सरकार के पत्र को क्या सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछिये।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इसी प्रश्न का उत्तर दिला दीजिये कि क्या वे पत्र को पढ़कर यहां सुनाने की कृपा करेंगे कि किस आधार पर यह किया गया है ?

श्री यादवेंद्र सिंह—

मैंने पहले ही निवेदन किया था कि पूरे देश में चीनी को एक जगह पूल किया गया है और फिर सब्सिडाइज्ड किया गया है। चीनी का दाम तय करने का काम भारत सरकार का है यहां का नहीं है। जो रेट तय हुआ है उस पर चीनी बिक रही है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, मेरा फिर वही व्यवस्था का सवाल है । मेरा प्रश्न यह था कि केंद्रीय सरकार ने जो सबसिडी के लिये पत्र लिखा है कि 2 रुपये 15 पैसे पर चीनी बिकेगी, उसे पढ़ दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

(श्री यादवेंद्र सिंह से) वह पत्र आपके पास है । आप पढ़ने को तैयार हैं ?

श्री यादवेंद्र सिंह—

श्रीमन्, इस समय वह पत्र उपलब्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

कल पढ़कर सुना दें। इसको कल रक्खेंगे। सूचना के लिये रक्खा जाय।

श्री कल्पनाथ सिंह—

अभी थोड़े देर के बाद मैं इनके खिलाफ विशेषाधिकार की नोटिस दूंगा क्योंकि इन्होंने सदन में गलत बयानी की है। जो तथ्य इनके सामने नहीं हैं इन्होंने वे तथ्य दिये हैं और सदन को गुमराह किया है।

श्री राजेंद्रकुमार शर्मा– (जिला रामपुर)—

श्रीमन्, पिछले डेढ़ महीने से ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी का वितरण बिल्कुल बन्द है, जिसके कारण ओपन मारकेट में एक रुपया प्रति किलो भाव बढ़ गया है। शासन ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की?

श्री अध्यक्ष—

इस पर बहुत प्रश्न हो चुके हैं। अब आगे चलिये।

सस्ते गल्ले की दुकानों पर नम्बर एक चावल की अनुपलब्धि

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

*2—क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में सरकारी गोदामों से सस्ते गल्ले की दुकानों को दिया गया चावल नम्बर 1 पिछले 2 वर्षों से कार्ड होल्डर्स को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार तुरन्त इसकी जांच करायेगी और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ समुचित कार्यवाही करेगी और इस अवधि में कितना चावल नम्बर 1 स्थानीय सस्ते गल्ले की दुकानदारों को दिया गया, इसकी सूची सदन क पटल पर रखेंगे?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

10 नवम्बर, 1970 के पश्चात् अर्थात पिछले दो वर्षों में लखनऊ शहर की सस्ते गल्ले की दुकानों को सरकारी गोदामों से चावल नम्बर 1 ईश्यू नहीं हुआ, अतः दुकानों द्वारा कार्ड होल्डरों को इस चावल के उपलब्ध कराये जाने अथवा किसी व्यक्ति को दंडित करने आदि का प्रश्न नही उठता।

श्री विश्वनाथ कपूर—

श्रीमन्, जो उत्तर दिया गया है वह पूरा नहीं है। उत्तर यह आना चाहिये था कि क्यों नहीं अधिकारियों ने चावल दिया...

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कर लीजिए।

श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दो वर्ष से नम्बर एक का चावल न देने का क्या कारण है?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

श्रीमन, नम्बर एक का चावल हम इकटठा करते हैं एक्सपोर्ट करने के लिये और एक्सपोर्ट करके फारेन करेंसी अर्न करते हैं। इसलिये उसके वितरण का प्रश्न नहीं उठता।

श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दो वर्ष में कितना चावल एक्सपोर्ट हुआ और कितना रुपया आया और उसका क्या हुआ ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

श्रीमन, इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता है ।

श्री राम गोपाल संड—

श्रीमन्, मन्त्री जी ने बताया कि एक नम्बर का चावल लखनऊ की दुकानों पर नहीं दिया गया तो क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के 54 जिलों के अन्दर अधिकांश जिलों में पिछले दो माह से किसी भी प्रकार का चावल नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

ऐसा नहीं है । दिया जा रहा है ।

श्री राम गोपाल संड—

इलाहाबाद में पिछले दो महीनों से सस्ते गल्ले की दुकानों पर चावल नहीं मिल रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

आप इलाहाबाद की बात कह सकते हैं । सब जगह की बात नहीं कह सकते ।

श्री किरंगो प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में जो अरवा चावल 1 रु0 8 पैसे प्रति किलो बिक रहा था, वह अब नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष—

मुझे तो सूचना ऐसी मिली है कि अब वह 1 रु0 12 पैसे हो गया है ।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

इसकी मैं जानकारी कर आपको बता सकता हूं ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

आप चावल बाहर भेजकर एक्सपोर्ट करते हैं । आपको कितनी फारेन मनी मिला है पिछले दो वर्षों में ? उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना चावल बाहर भेजा और कितना रुपया उसको प्राप्त हुआ ? केन्द्र को आपने कितना चावल दिया तथा कितना चावल आपने बाहर एक्सपोर्ट किया, यह बताने की कृपा करें ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है अन्य के लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री बंशीधर पांडेय—

या आप यों कहें कि यह चावल कश्मीर को भेजा गया । कश्मीर भारत का ही अंग है । इट इज ए पार्ट आफ इंडिया ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

नम्बर 1 का चावल उत्तर प्रदेश से बराबर कश्मीर में गया है और वह वहां पर 31 पैसे प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है जब कि यहां पर आप इसको बहुत अधिक दामों पर बेचते हैं ।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

एक्सपोर्ट करने वाला चावल भारत सरकार को दे दिया जाता है अब वह उस चावल को कहीं पर भी भेज सकते हैं, इसको वही जानते हैं ।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

चावल के रेटों में आपने वृद्धि की है । इस वृद्धि का क्या कारण है ?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इस प्रकार की चीजों को मंत्री जी नहीं सुनते हैं । कड़वा तेल तो मंहगा नहीं है, वही कान में छोड़ लिया करें ।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

जहां तक कि कड़वा तेल का सवाल है वह मैं स्वामी जी यहां से मंगवा लूंगा । जहां तक कि चावल के मूल्य में वृद्धि का सवाल है वह केवल रख रखाव में वृद्धि हो जाने कारण थोड़ी सी वृद्धि की गई है । जानकर वृद्धि नहीं की गई है ।

रायबरेली जिले में चीनी मिल खोलने का प्रस्ताव

**3—श्री शिवशंकर सिंह (जिला रायबरेली)—

क्या मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कुछ सहकारी चीनी मिल खोलने का विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो रायबरेली जिले में क्या एक मिल लगाने पर तुरन्त विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

जी हां । रायबरेली में चीनी मिल स्थापित करने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव पर भी शासन द्वारा विचार किया गया पर गन्ने की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता न होने के कारण यह प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया ।

श्री शिवशंकर सिंह—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि किस आधार पर यह विचार प्रकट किया गया है कि जिला रायबरेली में पर्याप्त गन्ना नहीं मिलने के कारण वहां पर सहकारी गन्ना मिल नहीं खोली जा सकती है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, रायबरेली जिले में 6 हजार से 7 हजार एकड़ भूमि पर गन्ने की खेती होती है । एक साधारण मिल की क्षमता के लिये 25 से 30 हजार एकड़ तक गन्ना बोया जाना आवश्यक होता है । अब इसके लिये वहां का पांच गुना क्षेत्र गन्ने की काश्त के लिये ही बढ़ाना सम्भव नहीं है । इसी के साथ ही साथ और भी बातों पर विचार करना पड़ता है । इन सभी चीजों पर विचार करने के बाद ऐसा लगा कि वहां पर गन्ने की इतनी अधिक काश्त नहीं हो सकेगी जिससे कि वहां पर चीनी मिल लगाई जा सके । इसी कारण से यह प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया ।

श्री शिव शंकर सिंह—

सहकारी चीनी मिल खोलने का आधार क्या है ? किन आधारों को देखकर सहकारी चीनी मिल की स्थापना की जा सकती है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

गन्ने की उपलब्धता, क्या भविष्य है, क्या उसको बढ़ाया जा सकता है, जमीन, सुक्रोस कन्टेन्ट, फैक्ट्री लगाने के लिये उपर्युक्त स्थान आदि यही बातें हैं जिनका आधार लेकर इसकी स्थापना की जा सकती है ।

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार ने सुल्तानपुर जिले में सहकारी चीनी मिल खोलने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो उसके खोलने में क्यों देरी हो रही है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो दूसरी बात हो गयी ।

श्री शिवकुमार पांडेय—

मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या सरकार ने सुल्तानपुर जिले में चीनी मिल खोलने का निर्णय ले लिया है ?

श्री यादवेन्द्रसिंह—

जिन-जिन जिलों में चीनी मिल खोलने का विचार है उनमें सुल्तानपुर भी है । इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट आफ इंडिया को प्रार्थना-पत्र भेज दिया है और विषय को उत्तर प्रदेश सरकार विगरसली पर्स्यू कर रही है ।

रिहन्द बांध की दीवार में दरार

**4—श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर), श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी (जिला कानपुर), श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं), श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे तथा सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या यह सही है कि रिहन्द बांध के साउथ ब्लाक की दीवार में एक बड़ी दरार पड़ गई है जिसके कारण बिजली घर और कन्ट्रोल रूम को खतरा पैदा हो गया है और इसी कारण से इस बांध को रिजर्व एरिया में पानी का स्तर कम रक्खा जा रहा है जिसके फलस्वरूप बिजली कम पैदा हो रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन ने तुरन्त क्या कार्यवाही की ?

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

रिहन्ड बांध के दक्षिणी ब्लाक (Block) की दीवार में कोई दरार नहीं है, बांध के उत्तरी शीर्ष भाग में एक मामूली दरार पड़ गई है । रिहन्ड बिजली घर (Rihand Power House) तथा कन्ट्रोल रूम (Control Room) को उक्त दरार से कोई क्षति न हो इसके लिये मरम्मत कार्य जारी है । जलाशय को वर्षा से उपलब्ध जल के अनुसार ही भरा गया है, जल स्तर एवं विद्युत् उत्पादन आदि पर उक्त दरार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

इस मरम्मत पर कितना व्यय हुआ है और यह कब से चालू है ?

श्री नारायण दत्ततिवारी—

मरम्मत अप्रैल, 1972 से चालू है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

अब तक लगभग अंदाजन कितना व्यय हो चुका है ? 8 महीने हो गये मगर मरम्मत अब भी चालू है । बाद में आप कह देंगें कि क्या बताएं इन्जीनियरों ने गड़बडी कर दी थी । में यह जानना चाहता हूं कि मरम्मत का कितना अन्दाज है और क्या दरार मामूली है या नहीं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

डाउन स्ट्रीम केन्टीलिवर पर जो दरार है उसका स्थायी कार्य पूरा कर दिया गया है । 35 ब्लाक में जहां सबसे अधिक चौड़ाई बतायी गयी थी, वहां भी टेप लगाने का काम पूरा हो गया है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

कितने रुपये खर्च होने का अनुमान है और क्या यह मामूली दरार है या गैर मामूली ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

इसके खर्चे का एस्टीमेट तो नहीं आया है लेकिन यह गैर मामूली दरार नहीं है । गैर मामूली दरार होती तो सारा बांध ही खतरे में पड़ जाता ।

श्री चन्द्र भान शर्मा---

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय जलस्तर कितना है और इस समय जल स्तर के कम होने का क्या कारण है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

रिहन्ड बांध की अधिक से अधिक कैपेसिटी 880 फीट है । आवश्यक जल स्तर होने के लिये 830 फीट चाहिये । इस समय 845 फीट के लगभग जल स्तर है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा---

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब यह बांध बनाया गया था तो उस समय उसमें सीमेन्ट और मसाला जरूरत के मुताबिक नहीं लगाया गया था ?

श्री अध्यक्ष---

क्या आपने इसकी जांच की है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

अगर माननीय सदस्य के पास कोई टेक्निकल शिकायत आयी है तो वे कृपया भेज दें, हम उसकी जांच करा लेंगे । वैसे देश के ख्यातिमान इन्जीनियर, श्री ए0 सी0 मित्रा से भी परामर्श किया गया था ।

श्री अध्यक्ष---

परामर्श का क्या नतीजा निकला ? सीमेन्ट कम लगा था या नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जैसा कि मैंने पहले ही निवेदन किया कि अगर कोई टेक्निकल आधार पर शिकायत आयी हो तो उसकी जांच करा लेंगे ।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

यह जो उत्तरी ब्लाक में दरार आयी है उसके आने का क्या कारण था और उसकी मरम्मत पर कितना खर्च कर चुके हैं ? क्या यह दरार इसमें पहले भी आयी थी या अभी आयी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह दरार जो बतायी गयी तो उसका कारण यह बताया गया कि आमतौर पर जो बड़े-बड़े डैम होते हैं उनमें छोटी-छोटी दरार आ जाती है लेकिन उनसे कोई नुकसान नहीं होता ।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

इस पर कास्ट कितनी आयी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं पहले कह चुका हूं, उसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह दीवार कब बनी थी और यह दरार कब आयी ? अकबर के किले की दीवार तो अभी तक भी वैसे ही है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इसमें सूचना की जरूरत है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या यह सही है कि अब तक इस मरम्मत पर 8 लाख रुपया व्यय हो चुका है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

8 लाख खर्च होने की जानकारी नहीं है । इसकी सूचना मंगा ली जायेगी ।

श्री बलवीर सिंह—

क्या मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जब इस दरार को ठीक करवाना शुरू किया तो उसके पहले डिपार्टमेंट से कोई अनुमान मंगा लिया था कि कितना व्यय होगा और उसके बाद काम शुरू करवाया ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जब तक इस दरार को पूरी तरह से देख न लिया जाय तो इसके अलग-अलग एस्टीमेट्स बनते रहे होंगे । मैं इसकी सूचना मंगा लूंगा ।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

आप सूचना कब दे सकेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

एक सप्ताह के अन्दर ।

श्री अध्यक्ष—

एक सप्ताह के बाद मैं इस सवाल को रख दूंगा ।

श्री बंशीधर पांडेय—

विद्युत् मंत्री जी ने तीन चार दिन पहले एक बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश के आयोजकों ने पहली योजना में गलती की कि रिहन्ड डैम बनाने का कार्यक्रम लिया । इसके बजाय भागीरथी डैम बनाना चाहिये था । चूंकि आपके दिमाग में प्रीज्यूडिस्ड भावना हो गयी इसलिये उस बांध में जो दरार हो रही है उसमें आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है । आप स्वयं नहीं चाहते कि रिहन्ड रहे । आपके बयान को हमने पढ़ा जिसमें आपने कहा कि रिहन्ड डैम का साइट गलत सिलेक्ट किया गया ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

माननीय सदस्य को जो सूचना मिली है वह सत्य से परे है। मैंने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया।

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं विशेषाधिकार का नोटिस देता हूं। दस अखबारों में यह निकला है। यह बगैर सोचे समझे भाषण दिया करते हैं। मैंने उसकी कटिंग रख रखी है। उन आयोजकों में पंडित जी, जो आज मुख्य मंत्री हैं, भी थे। मैं कटिंग लाकर दूंगा। मैं आपके खिलाफ विशषाधिकार रखूंगा।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

रिहन्ड डैम में दरार का प्रश्न वर्षानुवर्ष उठा है। इस बात को देखते हुए कि यह बार-बार दरारें कहीं न कहीं पड़ रही हैं तो इसकी जांच करवायेंगे कि इसका कारण फाल्टी कंस्ट्रक्शन है या और कोई कारण ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां। जांच करा लेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा—

क्या विद्युत् मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस स्ट्राइक के दौरान कहां कितनी टरबाइन्स काम करने से बंद हो गयी थीं और वह कब तक काम करना शुरू कर देंगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इसका दरार से ताल्लुक नहीं है, लेकिन स्ट्राइक के समय जो टरबाईन बनायी गई उसके संबंध में मालूम करा लूंगा, लेकिन जहां तक मुझ मालुम है उस समय जितना चलाया जा सकता, वह रिहन्ड डैम में उनको चलाया गया।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

जिस टेक्नीशियन से आपने राय ली, उसकी क्या रिपोर्ट है, वह पढ़ कर सुनाएं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

इसमें राज्य विद्युत परिषद् के ए० सी० मित्रा जो देश के मुख्य जानकार हैं उनसे राय ली थी और उनकी राय से दरार में अस्थायी कुछ कार्य कराया गया। उनकी रिपोर्ट इस समय उपलब्ध नहीं है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

कभी तो कागज नहीं है, कभी रिपोर्ट नहीं है तो किस आधार पर ये जबाब मिलते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

नये सवाल करेंगे तो ऐसा ही होगा।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

यह प्रत्येक वर्ष जो किसी न किसी बांध में दरार पड़ जाती है या टूट जाता है इसका क्या कारण है ? क्या इस सम्बन्ध में मंत्रीजी रिटायर्ड इन्जीनियर्स की कोई कमेटी बनायेंगे जो यह जांच करे कि क्या त्रुटि रह गयी है जो ऐसी शंकाएं सामनें आती रहती हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह सारे बिजली के जेनरेशन के बारे में एक टेक्निकल कमेटी घनानन्द पांडेय जो हिन्दुस्तान स्टील के चेयरमैन थे और रुड़की विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, उनकी अध्यक्षता में बनी हुई है और वह जांच कर रही है ।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

यह दरार की मरम्मत विभाग के द्वारा या टेन्डर के जरिये से करायी जा रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

बाढ़ नियन्त्रण योजनान्तर्गत विभिन्न जिलों हेतु स्वीकृत धन एवं केन्द्र से प्राप्त धनराशि

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) तथा श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)—

*1—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाढ़ नियत्रण के अन्तर्गत किन-किन जिलों पर कितना-कितना धन 30 मई, 1972 तक स्वीकृत किया गया और उनमें से कितना धन 30 मई, 1972 तक खर्च किया गया ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राजबिहारी सिंह)—

यह आंकड़े सही-सही देना सम्भव नहीं है क्योंकि धनराशि का आवंटन वित्तीय वर्ष के लिये योजनावार होता है और योजनायें एक से अधिक जिलों से भी सम्बद्ध होती हैं ।

*2—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा 1970–71, 1971–72 में बाढ़ नियंत्रण के लिये कितना धन मिला था उसमें से कितना धन खर्च किया गया तथा कितना बाकी है ? बाकी होने का कारण क्या है ?

श्री राजबिहारी सिंह—

इसका ब्योरा संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 260 पर)

श्री सुखपाल पांडेय—

उत्तर स्पष्ट नहीं है किस-किस जिले में कितना-कितना धन दिया गया, तो मैं जानना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग के लिये किन-किन जिलों में कितना-कितना धन किस-किस योजना पर स्वीकृत किया गया और कितना बाढ़ नियंत्रण पर खर्च किया गया ?

श्री राजबिहारी सिंह—

मैंने पहले ही निवेदन किया है कि जिलेवार सूचना एकत्रित करने में देर लग सकती है । बाढ़ की योजनाओं का सम्बन्ध एक-एक योजना का दो-तीन जिलों से होता है, इसलिये ठीक-ठीक जिलों का नक्शा तुरन्त देना सम्भव नहीं है । अगर चाहेंगे तो पूरी सूची इकट्ठी करके दी जा सकती है ।

श्री सुखपाल पांडेय—

जो योजनायें बनती हैं क्या वह बिला आंकड़ों के आधार पर बनती हैं ?

श्री राजबिहारी सिंह—

ये बाढ़ की योजनायें, जब कोई घटना घटती है तो उसके आधार पर बनती हैं, जैसे उदाहरण के लिये लखनऊ की नदी का बंधा बन रहा है । जब बाढ़ आयी तो पैसा खर्च करने की स्कीम स्वीकार हुई । ऐसे ही और भी कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसको निकालने के लिये ड्रेन बनाया जाता है । तो बिना आंकड़े के तो कोई योजना बनती नहीं है ।

श्री सुखपाल पांडेय—

बस्ती जिले में घाघरा नदी के कटान से बचाव के लिये क्या कोई योजना तैयार की गयी है और क्या सरकार वहां ठोकर लगाने का कोई विचार कर रही है ?

श्री राजबिहारी सिंह—

सूचना एकत्र करके जबाब दे दूंगा ।

श्री सुखपाल पांडेय—

बस्ती जिले में जो बाढ़ नियंत्रण योजना है उसके अधिकारी वहां पर मौजूद हैं लेकिन सरकार से कोई आदेश चला गया है जिसके कारण दो महीने से कार्य बन्द पड़ा हुआ है, क्या सरकार को इसकी जानकारी है ?

श्री राजबिहारी सिंह—

इसके लिये समय की जरूरत होगी ।

श्री सुखपाल पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर इस पर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

सिंचाई मंत्री (श्री महमूद अली खां)—

अगर ऐसा हो तो ठीक कर दिया जायगा ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हम लोग जो पीछे बैठे हुये हैं यहां के माइक का कनेक्शन कट गया है । दूसरी चीज यह है कि आप इस लाइन में जो लोग बैठे हैं उनको एक भी प्रश्न करने का मौका नहीं देते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आपको मौका दिया तो । आप प्रश्न कीजिये । आप तैयार तो हैं नहीं ।

सरकारी कोटे से स्कूटर एवं कार का आवंटन

*3—श्री राम सिंह खन्ना (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अप्रैल, 1969 से जुलाई, 1970 तक और मार्च, 1971 से जुलाई, 72 तक कितने-कितने स्कूटर और कार सरकारी कोटे से सरकारी अफसरों एवं सदस्य विधान सभा, विधान परिषद् एवं संसद सदस्यों को दिये गये हैं ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री देवकी नन्दन विभव)—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री के० पी० सक्सेना, सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, मेरठ के विरुद्ध जांच

1— श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगें कि श्री के० पी० सक्सेना सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग जिला मेरठ क विरुद्ध आडिट् सेल द्वारा सन् 1970 में जांच हुई थी ? यदि हां, तो वह जांच रिपोट क्या थी और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री महमूद अली खां—

जी हां । जांच रिपोट पर अभी विचार जारी है । रिपोर्ट पर अभी चर्चा करना जनहित में न होगा ।

2—श्री राम गोपाल सण्ड —

[6वें मंगलवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

एटा जिले की कासगंज–अमापुर सड़क का रिवाइज्ड एस्टीमेट

*3—श्री सियाराम (जिला एटा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला एटा की कासगंज अमापुर, सड़क का आधुनिकीकरण के लिये एस्टीमेट जिला अधिशासी अभियन्ता तथा अवीक्षण अभियन्ता द्वितीय वृत आगरा द्वारा माह फरवरी, 72 में रिवाइज्ड होकर शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन ने उस पर क्या कार्यवाही की और सड़क का कब तक आधुनिकरण हो जायगा ?

सार्वजनिक निर्माण उप-मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

जी नहीं ।

श्री सियाराम —

श्री अध्यक्ष महोदय, इस सड़क के सबन्ध में डिटेल्ड इस्टीमेट्स हर साल नीचे से बनकर आता है और हर साल वापस कर दिया जाता है, मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह —

धन के अभाव के कारण काम नहीं हो पाता है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि अब इसको आगे के लिए स्थगित नहीं किया जायेगा और इसे तुरन्त बनवा दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, अगर कहीं से अतिरिक्त धन उपलब्ध हो जायगा तो इसको भी लेने का विचार किया जायेगा वैसे इस समय जो चतुर्थ योजना के काम हो रहे हैं, उसी के लिए धन उपलब्ध नहीं है ।

श्री सियाराम—

यह जिला एटा की मुख्य सड़क है और मथुरा-बरेली को मिलाती है और इस सड़क की हालत बहुत खराब है, तो क्या इस सड़क की महत्ता को देखते हुये अगले वर्ष इसका आगणन कराने का विचार करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इस पर विचार कर लेंगे ।

आजमगढ़ से खादा तक की सड़क एवं निजामाबाद में टोंस नदी का पुल

*4—श्री राम बचन यादव (जिला आजमगढ़—रानी की सराय)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ से रानी की सराय से निजामाबाद होते हुए खादा तक की सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत लिये जाने का शासन का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

*5—श्री राम बचन यादव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में निजामाबाद में टोंस नदी पर पुल बनाने की इस वर्ष कोई योजना है ? यदि हां, तो कब काम शुरू किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरबहादुर सिंह—

प्रश्नगत पुल के निर्माण की इस समय कोई योजना नहीं है ।

श्री रामबचन यादव—

आजमगढ़ जनपद की खादा तक की यह सड़क बहुत महत्व की है जो त्वरित योजना में बनी है । अगर यह विभाग उसको नहीं लेगा तो उसका उपयोग नहीं हो पायेगा । इसलिय क्या सरकार इसे लेने पर विचार करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

धन की कमी है । धन उपलब्ध होने पर ही विचार होगा ।

श्री राम बचन यादव—

पुल के अभाव में यह सड़क बेकार पड़ी है । इस लिये क्या इस सड़क पर पुल बनवाने की मंत्री जी कृपा करेंगे ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)—

पुल का महत्व है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन धन की भी कमी है । जैसे ही धन उपलब्ध होगा, इस पर विचार किया जायेगा ।

श्री राम बचन यादव—

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि आजमगढ़ जिले में कई स्थान ऐसे हैं जहां आज तक कोई पुल नहीं बना है और जहां उनका बनना परम आवश्यक है ? जैसे आजमगढ़ जिले में

भदुली और निजामाबाद स्थान हैं जहां की जनता पुल के अभाव में त्रस्त है, तो इसे ध्यान में रख कर इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर मंत्री जी अगले बजट में इसको लेने की कृपा करेंगें ?

श्री वीरबहादुर सिंह—

अगले बजट में तो नहीं, अगली पंचवर्षीय योजना में इसे लिया जा सके, इस पर अवश्य सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायेगा ।

बस्ती जिले के सड्डा घाट के पुल की मरम्मत

*6—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नौगढ़ लुम्बिनी मार्ग पर स्थित सड्डा घाट का पुल जिसकी मरम्मत में हजारों रुपए व्यय किए गए, इसके पूर्व डेढ़ वर्ष तक विभागीय अधिकारियों के आदेशानुसार बन्द कर दिया गया था ? उक्त पुल की मरम्मत में कितनी धनराशि व्यय की गई ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां, यह सही है कि यह पुल जिसकी मरम्मत की गई है, 1–8–70 से गाड़ियों के लिये बन्द कर दिया गया था । इस पुल की विशेष मरम्मत हेतु 27,186 रुपये की धनराशि व्यय की गई ।

मर्चुला–बैजरों थैलीसैंग (पौड़ी-गढ़वाल) मोटर मार्ग का निर्माण

*7—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला पौड़ी गढ़वाल में मर्चुला–बैजरों थैलीसैंग मोटर मार्ग के निर्माण के लिये कब-कब कितना धन स्वीकार किया गया और उसमें से कितना धन 15–7–72 तक व्यय हो चुका है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

सदस्य महोदय द्वारा मांगी गयी सूचना सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 261 पर)

*8—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[6ठे गुरुवार के लिए तारांकित प्र0 सं0 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

बेतवा नदी के किनारे राजघाट पर जलाशय बनाने की योजना

*9—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से बेतवा के किनारे राजघाट पर 50 करोड़ रुपये का कोई जलाशय बनाने की योजना बनायी है ? इस जलाशय से कितने क्षेत्र की सिंचाई होगी और यह कब बन कर तैयार हो जायगा ?

श्री महमूद अली खां—

जी हां । भारत सरकार की स्वीकृति मिलने और आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर ही इस प्रायोजना पर कार्य आरम्भ हो सकेगा । सिंचाई विभाग का आगणन बन जाने के पश्चात ही यह बतलाना संभव होगा कि इस जलाशय से उत्तर प्रदेश में कितने क्षेत्र की सिंचाई होगी ।

नोट:—तारांकित प्रश्न प्र0 सं0 5 के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

रामगंगा निर्माण खण्ड के इलाहाबाद वैस्ट ब्रांच की प्रस्तावित कैथावा माइनर

*10—श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि रामगंगा, निर्माण खंड के इलाहाबाद वैस्ट ब्रांच की प्रस्तावित कैथावा माइनर जो जिला इटावा की विधूना तहसील में है से एक 1 1/2 मील लम्बी माइनर जरिहापुर मौजा सरहद होती हुई तिलकपुर मोवा नूरपुर तक ले जाने की थी और मंत्री महोदय ने अपनी स्वीकृति दे दी थी ? क्या मा0 मंत्री यह भी बतलाने का कष्ट करेंगे कि उक्त माइनर को बनाने के लिये अधिशासी अभिन्यता रामगंगा निर्माण खन्ड कानपुर ने प्रस्ताव किया था पर उस समय के सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर साहब ने उसे अमान्य करार दे दिया था ? यदि हां, तो हम इस माइनर को बनाने का शासन विचार कर रही है ?

*श्री महमूद अली खां—

प्रथम भाग—जी नहीं ।

द्वितीय भाग—जी हां ।

तृतीय भाग—जी नहीं ।

*11—श्री तेज बहादुर गंगवार—

[1ले मंगलवार में तारांकित प्रश्न सख्या 45 के अन्तर्गत उत्तरित]

जिला एटा की सड़कों के निर्माण सम्बन्धी प्रार्थना

*12—श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)—

क्या सार्वजनिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले से कासगंज विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की सहायक सड़कें (लिंक रोड) को बनवाने एवं पूर्ण कराने के सम्बन्ध में प्रश्न-कर्त्ता का 4--5–1972 का कोई पत्र मंत्री जी को मुख्य अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, एटा को मिला ? यदि हां तो विभाग ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की और ये लिंकरोड कब तक पूरी कर दी जायगी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

सदस्य महोदय का लिंक मार्गों का निर्माण से संबंधित दिनांक 4 अप्रैल, 1972 का पत्र विभाग में प्राप्त हुआ था । इस समय सीमित धनराशि होने के कारण गांवों की पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना सम्भव नहीं है ।

*13—श्री नेतराम सिंह—

[पुनरावृति के कारण निरस्त]

बुलन्दशहर जिले का दनकोर खूपुरा मार्ग

*14—श्री त्रिलोक चंद (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में दनकोर खूपुरा मार्ग वर्ष 1971–72 में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ले लिया गया था और क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क पर कछ पुलियाओं का निर्माण भी हो चुका है ? यदि हां, तो बाकी कार्य कब तक पूर्ण हो जायगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जनपद बुलन्दशहर में दनकोर-खूपुरा मार्ग वर्ष 1971-72 में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं लिया गया था। अतः कुछ पुलियाओं के निर्माण तथा शेष कार्य को पूरा करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*15—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[18वें गुरुवार के लिए प्रश्न सं0 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

कानपुर-बेला-विधूला मार्ग के विभिन्न खण्डों में पेन्ट कराने की व्यवस्था

*16—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

विधान सभा के दिनांक 5-4-72 के अतारांकित प्रश्न सं0 6 के उत्तर में क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि कानपुर बेला-विधूना मार्ग बिल्कुल टूटा-फुटा और कंकर का है, और जनता को भारी दिक्कत उठानी पड़ती है? यदि हां, तो इस सड़क को पहले शिवली से कहिंजरी, फिर कहिंजरी से रसूलाबाद तथा बेला एवं विधूना तक खडों में पेन्ट कराने की व्यवस्था की जायगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

कथित सड़क शिवली के आगे विधूना तक कंकड़ की है। प्रस्तावित सड़क के भाग को पेन्ट कराना इस समय धनाभाव के कारण सम्भव नहीं है।

कानपुर जिले की सड़कों का निर्माण

**17—श्री उपेन्द्र नाथ दीक्षित (जिला कानपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतलायेंगे कि कानपुर जनपद के अन्तर्गत जूही से गजनेर तक एक पक्की सड़क निकालने की योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसे कब तक कार्यान्वित किया जायगा?

*18—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कानपुर तहसील के अन्तर्गत कालपी रोड तथा हमीरपुर रोड के मध्य का क्षेत्र यातायात की सुविधा न होने के कारण बहुत ही पिछड़ा हुआ है तो क्या सरकार इस क्षेत्र के विकास को ध्यान में रख कर सचेड़ी से विधून जाने वाली कच्ची सड़क को पक्का कराने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में धनाभाव के कारण प्रश्नगत सड़कों के निर्माण की इस समय कोई योजना नहीं है।

सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, (बदायूं) के विरुद्ध शिकायतें

*19—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सिंचाई मंत्री जी को ज्ञात है कि बदायूं के सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता ने रिंग सुपरवाइजर से मिल कर 1 लाख रुपयों के फर्जी आर्डर नवम्बर, 1971 से जुलाई, 72 तक विजय ट्रेडर्स बदायूं को दिये जबकि विजय ट्रेडर्स, बदायूं सेल्स टैक्स में पंजीकृत भी नहीं है और क्या उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार गबन, अनियमितताओं व फर्जी आर्डर देने की अनेक शिकायतें तब से अब तक शासन को प्राप्त हुईं? यदि हां, तो उन शिकायती-पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री महमूद अली खां—

जी हां। प्रश्न गत अवधि में नलकूप निर्माण खण्ड, मुरादाबाद के सहायक अभियन्ता तृतीय, बदायूं ने विजय ट्रेडर्स बदायूं को 17, 977 रु0 के आर्डर्स दिए थे। यह फर्म सेल्सटैक्स में पंजीकृत नहीं है। उक्त सहायक अभियन्ता के विरुद्ध काफी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जांच के आदेश दिये जा चुके हैं, तथा सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण केन्द्रीय परिकल्प निदेशालय, लखनऊ को तथा सम्बधित सुपरवाइजर का सिंचाई यांत्रिक मण्डल, इलाहाबाद को कर दिया गया है।

देवरिया जिले के कसया बाजार की मुख्य सड़क का निर्माण

*20—श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कसया, जिला देवरिया में बाजार की मुख्य सड़क के निर्माण के लिये बजट में रुपया रहते हुए भी निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने का क्या कारण है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

यह कार्य कसया नगर के मध्य में होना था अतएव वर्षा ऋतु में कार्य प्रारम्भ होना संभव न था। बरसात के बाद ही अक्टूबर के अन्त में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

हल्द्वानी भावर की कच्ची गुलों को पक्का करने की योजना

21—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

विधान सभा की बैठक दिनांक 19–7–72 की नत्थी (घ) के प्रश्न संख्या 34 के उत्तर में के क्रम में क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतावेंगे कि हल्द्वानी भावर के काश्तकारों की जिन कच्ची गूलों को सरकारी नियन्त्रण में लेकर पक्का करने की प्रायोजना बनाई है, उसकी कुल लम्बाई कितनी होगी और यह कार्य कब तक समाप्त हो जायेगा ?

श्री महमूद अली खां—

निजी गूलों को सरकारी नियंत्रण में लेकर पक्का करने की जो योजना बनायी गयी है उसकी लम्बाई 186 मील 5 फर्लांग है। योजना शासन के विचाराधीन है।

जिला सिंचाई सलाहकार समिति नैनीताल द्वारा पारित कब्जों के सम्बन्ध में प्रस्ताव

*22—श्री इन्द्रलाल—

विधान सभा की बैठक 19–7–72 के नत्थी (ग) के प्रश्न संख्या 12 के उत्तर के क्रम में क्या सिंचाई मंत्री जिला मजिस्ट्रेट को जारी किये गये दिनांक 24–2–72 के आदेश की प्रति सदन में रखते हुये कृपया बतायेंगे कि अब तक अनधिकृत कब्जों को हटाये जाने में विभाग को कितनी सफलता प्राप्त हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महमूद अली खां—

आदेश दिनांक 24–2–72 की प्रति संलग्न है। 17 व्यक्तियों को अनधिकृत कब्जे से हटा दिया गया है। शेष 165 व्यक्तियों को हटाने की कार्यवाही चल रही है।

(देखिये नत्थी 'घ' आग पृष्ठ 262 पर)

*23—श्री सर्वसुख सिंह—

[2रे मंगलवार के लिए तारांकित प्रश्न सं0 25 क अन्तर्गत स्थानान्रित]

*24—श्री हुकुम सिंह परिहार—

[निरस्त]

*25—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*26—श्री शभूनाथ चौधरी—

[निरस्त]

कानपुर डिवीजन के रजबहा घाटमपुर की माइनरों की नालियां बनवाने की व्यवस्था

*27—श्री इन्द्रजीत (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार को विदित है कि नहर गंग, कानपुर डिवीजन की घाटमपुर रजबहा संबंधित जितने माइनर हैं उसमें किसी पर सींचने के लिए नाली नहीं है जिससे खरीफ फसल का लगभग आधा भाग सर्वथा नष्ट हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार रबी की फसल की सिंचाई हेतु नालियां बनानें की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महमूद अली खां—

रजबहा घाटमपुर से जितनी भी माइनरें हैं उन सब में सींचने के लिये नालियां हैं। इस वर्ष खरीफ फसल में इनसे अधिकतम क्षेत्र सिंचित हुआ । अतः कोई और व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

तहसील फतेहाबाद, आगरा के नलकूप का फेल होना

*28—श्री हुकुम सिंह परिहार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फतेहाबाद तहसील जिला आगरा में 15 नम्बर नलकूप और गांव जाजपुर में जो फेल हो गया और जिसके बारे में ग्रामीणों की शिकायत थी कि ट्यूबवेल बनाने वाले कर्मचारियों ने नलकूप बनाने के लिय 500 रू0 की मांग की थी और जब यह रूपया किसान न दे सके तो कर्मचारियों ने साफ कह दिया कि इस नलकूप से तुम्हारी खेती नहीं सिंचेगी ? यदि हां तो क्या सरकार को इस सम्बन्ध में जनता तथा विधायक दोनों की शिकायत पिछले वर्ष मिली थी ? अगर हां, तो उस शिकायत पर क्या किया गया ?

श्री महमूद अली खां—

जी हां, वह कूप फेल हो गया है । दूसरा बोर करने की कार्यवाही चल रही है।

कर्मचारियों द्वारा 500 रु0 मांगे जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

बलिया जिले में गांवों के स्तर का ऊंचा उठाने की मांग

*29—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार ने प्रायः बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांव के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये वर्ष 1972 में कोई योजना स्वीकार की है ? यदि हां तो कब कितने लागत की और बलिया जनपद में इस योजना के अन्तर्गत कितना व्यय होगा ?

श्री महमूद अली खां—

जी नहीं।

तहसील विधूना, इटावा का बरसाती पानी निकालने की ड्रेनेज स्कीम

*30--श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि तहसील विधूना (जिला इटावा) का बरसाती पानी निकालने के लिये कौन-कौन सी ड्रेनेज स्कीम शासन के विचाराधीन है ? किन-किन स्कीमों का निर्माण कार्य जारी है ? शेष पर निर्माण जारी न होने का क्या कारण है ?

श्री महमूद अली खां--

बरसाती पानी निकालने के लिये विधूना तहसील में निम्नलिखित आठ नालों के निर्माण के प्रस्ताव का प्राविधान रामगंगा परियोजना के अन्तर्गत है :--

1--मादा माछीं झील ड्रेन
2--इंगुरा ड्रेन
4--साहिल ड्रेन
4--मुगराहा ड्रेन
5--सबलपुर ड्रेन
6--सियारी नाला
7--छुइया नाला
8--ढकपुरवा नाला

उक्त आठ नालों में से इंगुरा नाला पर निर्माण कार्य जारी है तथा शेष सात नालों पर कार्य भूमि अध्याप्ति के बाद आरम्भ किया जायेगा जिसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

बझेड़ा रजबहा, बरेली से हुई सिंचाई

*31--श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली की फरीदपुर ब्रांच से जो बझेड़ा रजबहा निकला है उससे ग्राम बझेड़ा भगवानपुर खेड़ा रठ, गोहावर, विक्रमपुर व सरजूपुर गांवों की जमीन की 1969, 1970, 1971 तथा 1972 में कितने एकड़ रबी तथा खरीफ की सिंचाई हुई ?

श्री महमूद अली खां--

सूचना संलग्न में दी गयी है

(देखिये नत्थी 'ङ' आगें पृष्ठ 263 पर ।

विधायक निवास, रायल होटल लखनऊ का मांसाहारी भोजनालय

*32--श्री रघुवीर सिंह यादव (जिला मैनपुरी)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने कृपा करेंगे कि विधायक निवास नं0 4 (रायल होटल) के कमरा नं0 100 व 101 में अपनी किसी निजी संबंधी को होटल खोलने के लिये दो कमरे दिये हैं ? यदि हां, तो इनको देने के क्या विशेष कारण थें जबकि विधायक नं0 4 में एक होटल व एक चाय की दुकान पहले से ही चल रही है ?

श्री महमूद अली खां--

रायल होटल के क्रम संख्या 100 व 101 विधायको कें अनुरोध पर श्री अब्दुल हफीज को मांसाहारी भोजनालय खोलने के लिय दिये गये है यह कहना गलत है कि वह मेरे कोई संबंधी है ।

इटावा जिले की कंचौसी बाजार-ककोर सड़क

*33—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बताएंगे कि इटावा जिले की कंचौसी बाजार से ककोर तक की सड़क बनाए जाने की स्वीकृति वितीय वर्ष 1970–71 में दी गई थी? यदि हां तो इस सड़क की लम्बाई और अनुमानित लागत क्या है, ये सड़क किन-किन गांवों से होकर निकलेगी और अभी तक इसके न बनाए जाने का क्या कारण रहा है?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

प्रश्नगत मार्ग को 10 कि0 मी0 की लंबाई तथा 6,80,000 रुपये की लागत पर निर्माश करने की स्वीकृति 31 दिसम्बर, 1970 को प्रदान की गयी थी। यह मार्ग ग्राम ककोर चमराहा, जमौली, कंचौसी तथा कंचौसी बाजार से होकर जायगा।

इस मार्ग पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना शासन द्वारा कुछ समय के लिये स्थगित कर दिया गया था। अब निर्माण प्रगति पर है।

जेवर-बुलन्दशहर सड़क के किनारे अवैधानिक दुकानें

*34—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर में कस्बा जवर के बस अड्डे से बुलन्दशहर जाने वाली सड़क पर दोनों ओर अनधिकार कब्जा करके दुकानें बना ली गई हैं? यदि हां, तो तुरन्त उस अनधिकार कब्जों को हटाने के सम्बन्ध में सरकार कार्यवाही करेगी?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां, परन्तु जो पक्की दुकानें और मकान बने हुए हैं वे वर्ष 1971 के पहले के बने हुए हैं, जब ये सड़क जिला परिषद् के अन्तर्गत थी, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 1971 में निर्माण कार्य शुरू करने के बाद से कोई अनधिकृत कब्जा नहीं हुआ है।

*35—श्री सजीवन लाल—

[3रे मंगलवार के लिए प्रश्न संख्या 25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सिंचाई विभाग अभियन्त्रण सेवा नियम में परिवर्तन

*36—श्री निर्भय नारायणसिंह (जिला बलिया)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग अभियन्त्रण सेवा नियम 23 में कोई परिवर्तन करने का विचार चल रहा है? यदि हां, तो विभाग में पुराने कार्यरत अभियन्ताओं का सेवाओं की कोई वरीयता दी जायेगी?

श्री महमूद अली खां—

जी हां। विभाग में कार्यरत अभियन्ताओं के सेवाओं की वरीयता देने के सम्बन्ध में अभी कुछ भी कह सकना सम्भव नहीं है।

ग्राम जैतपुर, फैजाबाद के हरिजनों के विरुद्ध फर्जी रिपोर्ट

*37—श्री लालसा (जिला आजमगढ़)—

प्रथम सत्र 1972 के 9वें बुधवार के तारांकित प्रश्न 42 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री कृपया इस बात की जानकारी करायेंगे कि मन्त्री जी द्वारा दिये गये आदेश के विषय पर सम्बन्धित अधिकारियों ने अब तक क्या कार्यवाही की?

श्री महमूद अली खां—

इस मामले की जांच कराई गई। जांच के समय सबूत न मिलने के कारण मामले को समाप्त कर दिया गया है।

हल्दौर–चांदपुर मार्ग, बिजनौर को पक्का करने की योजना

*38—शिव महेन्द्र सिंह कुंवर (जिला बिजनौर)—

विधान सभा दिनांक 3-5-72 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10 के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित सड़क का अधिग्रहण कब और किस आधार पर किया गया था ? क्या इसके पक्का करने की पहले कोई योजना थी जो अब रद्द कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

हल्दौर–चान्दपुर मार्ग को पक्का करने हेतु 1946 म सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन लिया गया था। वर्ष 1949 में वित्तीय कठिनाइयों के कारण बहुत सी सड़कों का निर्माण रोक दिया गया था उनमें हल्दौर—चान्दपुर मार्ग भी सम्मिलित था। सितम्बर, 1972 में चांदपुर–हल्दौर मार्ग 5 किलोमीटर भाग का निर्माण शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है।

आगरा रीजन में ट्रेलर्स की करमुक्ति तथा रजिस्ट्रेशन

*39—श्री तेजपाल सिंह 'कृष्ण' (जिला मथुरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शासन द्वारा अक्तूबर, 1969 के इस गजट नोटीफिकेशन के बाद कि कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर ट्रेलर अब टैक्स मुक्त रहेंगे और केवल 15 रु0 वार्षिक शुल्क से उनका रजिस्ट्रेशन (आर0 टी0 ओ0 स0 के यहां) होगा, इसके बाद आज तक आगरा रीजन में आगरा ट्रांसपोर्ट अथोरिटी द्वारा कितने ट्रेलर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है ? यदि कोई नहीं हुआ तो क्या सरकार कृपया इसका कारण बतायेगी ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री देवकीनन्दन विभव)—

शासन द्वारा 1969 में जारी किये गये नोटिफिकेशन के अनुसार उन ट्रैक्टर ट्रेलरों की जो कृषि कार्यों में प्रयोग किये जाने के अतिरिक्त फार्म से खेती की उपज को बाजार–फैक्ट्री तक ले जाने के कार्य में भी, प्रयुक्त किये जाते हैं केवल 15 रु0 वार्षिक कर देना पड़ता है। आगरा सम्भाग में अक्तूबर 1969 से अब तक कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाले ऐसे 11 ट्रेलर पंजीकृत हुए हैं।

*40—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन सिंह—

[प्रदेश सरकार से असम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

*41—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[10वें गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

छितौनी बांध के आपूर्ति उपखण्ड प्रथम क अधिदर्शक लिपिक एवं सहायक अभियन्ता तथा श्री राम अधार सिंह अधिदर्शक के विरुद्ध शिकायतें

*42—श्री देवराम (जिला गाजीपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि छितौनी बांध पर आपूर्ति उपखंड प्रथम में कितने अधिदर्शक लिपिक एव सहायक अभियन्ता 3 वर्ष से अधिक अवधि में कार्यरत है और उनके द्वारा पृथक-पृथक कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ?

श्री महमूद अली खां—

उल्लिखित खण्ड में कोई सहायक अभियन्ता तथा लिपिक इस समय तीन वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत नहीं है। केवल दो ऐसे अधिदर्शक अवश्य हैं जो तीन वर्ष से अधिक अवधि से इस उपखण्ड में कार्यरत हैं। इनके द्वारा भुगतान की गई धनराशि का विवरण संलग्न तालिका में है।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 264 पर)

*43—श्री देवराम—

क्या सिंचाई मन्त्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि छितौनी बांध अधिदर्शक श्री राम अधार सिंह के विरूद्ध स्थानीय समाचार पत्रों एव क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायतों की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया था? यदि हां, तो अब तक उनके विरुद्ध कौन सी विभागीय कार्यवाही की गई?

श्री महमूद अली खां—

भ्रष्टाचार की जो शिकायत प्राप्त हुई थी उनकी जांच कराई गई जो निराधार पाये गये।

*44—श्री देवराम—

[2रे बुधवार के लिए तारांकित प्रश्न 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गण्डक परियोजना में व्याप्त भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायत

*45—श्री विश्राम दास (जिला इलाहाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गण्डक परियोजना पर व्याप्त भ्रष्टाचार के सन्दर्भ में भूतपूर्व विधायक, श्री राजाराम पांडे, जिला देवरिया ने 4 अप्रैल, 1972 को लिखित शिकायत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को दिया था जिसमें करोड़ों रुपए का दुरुपयोग का विवरण है? सरकार ने इस मामले की जांच में अब तक क्या कार्यवाही की?

श्री महमूद अली खां—

इस मामलें की जांच अधीक्षण अभियन्ता, गण्डक नहर निर्माण मण्डल, तृतीय, गोरखपुर द्वारा कराई गई है। उनकी रिपोर्ट प्रमुख अभियन्ता को प्राप्त हो गई है जो उनके विचाराधीन है।

गाजीपुर के किसानों की भूमि का मुआवजा

*46—श्री सच्चिदानन्द (जिला लखनऊ) तथा श्री रामकरन सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत सन् 1967-68 में विभाग द्वारा बनारस से जिला गाजीपुर तक सड़क निर्माण का कार्य किया गया था तथा साथ ही साथ गोमती नदी का पुल भी बनाया गया था जिसमें गाजीपुर के किसानों की भमि ली गई थी क्या उनको शासन द्वारा मुआवजा दिया जा चुका है? यदि हां, तो कितना-कितना और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

प्रश्नगत मार्ग पहिले से बना हुआ था। इस मार्ग पर मोहानाघाट के पास गोमती नदी के पुल के पहुंच मार्ग का निर्माण सन् 1967-68 में किया जा रहा था। इस सम्बन्ध में जिला गाजीपुर के किसानों की भूमि ली गई थी जिन्हें अभी तक मुआवजा कुछ कानूनी अड़चनों के कारण नहीं दिया जा सका है।

*47—श्री शिव कैलाश—

[3रे शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या 56 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम खाण्डा, आगरा के सहपऊ रजबहा के टूटने से किसानों की हुई हानि

*48—श्री तिरमल सिंह (जिला एटा) तथा श्री मुल्तान सिंह (जिला आगरा)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1966-67 में ग्राम खाण्डा, ब्लाक एतमादपुर, सपऊमाइनर, जनपद आगरा में पानी ज्यादा होने से टूट गई थी और 300 एकड़ फसल डूब गई थी जिससे किसानों की एक लाख रुपये की हानि हुई और अफसरान कहते रहे कि इसका मुआवजा दिया जायगा यह बात भी सही है कि किसानों ने सन 1970 में भूत पूर्व सिंचाई मन्त्री, श्री वीरेन्द्र वर्मा से शिकायत की थी और उन्होंने मौके पर स्वयं जाकर ग्राम खाण्डा में मय अफसरान मौका मुआयना किया था और यह कहा था कि इनको एक महीने के अन्दर मुआवजा दिया जायगा और साथ-साथ अन्य अधिकारियों ने भी वायदा किया था ? यदि हां, तो वह अब तक क्यों पूरा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कब तक पूरा किया जायगा ?

श्री महमूद अली खां—

दिनांक 3 नवम्बर, 1967 को ग्राम खाण्डा ब्लाक एतमादपुर, रजबहा सहपऊ पर खांदी हो जाने के कारण लगभग 100 एकड़ जमीन में पानी फैल गया था जिसमें लगभग 10 एकड़ भूमि में बीज बोया हुआ था और शेष भूमि खाली पड़ी थी। अतः मुआवजा देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

राजेपुर-कटरा मार्ग, फर्रुखाबाद को पक्का कराने हेतु सर्वेक्षण एव निर्माण

*49—श्री महराम सिंह (जिल फर्रुखाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिलो में खुदायगंज बदायूं रोड क एक भाग राजेपुर से कटरा तक राजेपुर ब्लाक के अन्तर्गत 24 कि0 मी0 को पक्का बनाने के लिये निर्माण विभाग ने सर्वे कराया है ? यदि हां, तो उक्त रोड को तुरन्त बनाने में क्या धनराशि व्यय होगी ? और सरकार उसकी महत्ता को देखते हुए उस रोड को तुरन्त बनाने का निर्णय करेगी ? यदि हां, तो उस पर कार्य कब से आरम्भ हो जायगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां। धनाभाव के कारण इस मार्ग का निर्माण कराना अभी सम्भव नहीं है।

*50—श्री बिहारी लाल (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद में गंगा व काली नदी के बीच डणवारी क्षेत्र में कोई लिफ्ट सिंचाई के अन्तर्गत ऐसे स्थान पर कोई नहर बनाई जा रही है जिसमें सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में निजी नलकूप है जिसके फलस्वरूप वहां के सैकड़ों किसानों ने नहर बनने का विरोध किया है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री महमूद अली खां—

जी नहीं।

सीतापुर जिले में नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र

*51—श्री जयराम वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि सीतापुर जिले में सन् 1971-72 में नहर द्वारा रजिस्टर बन्दी शुदकार जिलेदारी के अनुसार कितने क्षेत्रफल की सिंचाई हुई ? और अधिशासी अभियन्ता के मुख्य कार्यालय के रजिस्टर आबपाशी के अनुसार उक्त क्षेत्रफल कितना है और क्या यह सही है कि उक्त दोनों रजिस्टरों में दर्ज क्षेत्रफलों में अन्तर है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री महमूद अली खां—

सीतापुर जिले में शारदा नहर से दो खंडों में सिंचाई होती है। वर्ष 1971-72 में उक्त नहर द्वारा खंडवार व फसलवार हुई सिंचाई के आंकड़े निम्न हैं—

खण्ड का नाम		खरीफ	रबी	योग
		(एकड़)	(एकड़)	(एकड़)
सीतापुर	..	20,215	89,431	1,09,646
बाराबंकी	..	3,329	27,925	31,254

जिलेदारी के बन्दी शुदकार रजिस्टर एवं अधिशासी अभियन्ता के कार्यालयों के रजिस्टरों में उल्लिखित आंकड़े समान हैं।

आगरा की ग्राम बहरावती—फतेहपुरसीकरी सड़क को मिलाने हेतु नाप व एस्टीमेट

*52—श्री रघुनाथ सिंह (जिला आगरा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पी0 डब्लू0 डी0 आगरा, द्वारा सरकार ने ग्राम बहरावती की रोड को ग्राम से फतेहपुर सीकरी रोड मील नम्बर 17 पर मिलाने हेतु इंजीनियरों द्वारा नाप वए स्टीमेट वगैरा बनवाये थे जो एस्टीमेट बनाकर अधीक्षक अभियन्ता, 2 वृत्त सा0 नि0 वि0, आगरा द्वारा 8 अगस्त सन् 1958 में ही पत्र सं0 12719/20/सी0 2/58 द्वारा मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के माध्यम से सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जी हां।

*53-54—श्री गंगा प्रसाद—

[2रे मंगलवार के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 37-38 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विधायक निवासों में अनधिकृत निवास

*55—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कौन-कौन से लोग कितने दिनों से अनधिकृत रूप से विभिन्न विधायक निवासों में रह रहे हैं और उन अनधिकृत व्यक्तियों के जिम्मे निवास का कितना किराया बाकी है, तथा किराये की वसूली तथा निवास स्थान खाली कराने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महमूद अली खां--

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 265 पर)

रोडवेज कर्मचारियों का परिवहन निगम में सम्विलियन

*56—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि परिवहन निगम ने या सरकार ने कोई ऐसे आदेश जारी किये हैं जिसके फलस्वरूप रोडवेज अधिकारियों व कर्मचारियों से यह कहा गया है कि वह अपने इस्तीफे सरकार को दे दें और साथ ही साथ निगम को अपने प्रार्थना पत्र अपनी नियुक्ति के लिए भेज दें ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया है ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

शासनादेश सं0 3000/तीस-2—170 एन/72, दिनांक 7 जून, 1972 के अनुसार रोडवेज के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को शासन के पद से इस्तीफा देने और निगम में संविलियन के लिये अपनी स्वीकृति देना आवश्यक था, किन्तु शासनादेश संख्या 3414/तीस-2—10-एन-72, दिनांक 5 जुलाई, 1972 द्वारा यह आदेश निरस्त कर दिये गये हैं।

*57—श्री सर्वसुख सिंह—

[उरे मंगलवार के लिए प्रश्न संख्या 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*58—श्री रूपनाथ यादव—

[निरस्त]

*59—श्री उमा नाथ सिंह—

[माननीय सदस्य ने वापस लिया]

*60—श्री राम निहोर राय—

[निगम बन जाने के कारण निरस्त]

ग्राम गनियार, जिला लखनऊ के निवासियों की गूल सम्बधी शिकायत

*61—श्री प्यारे लाल शर्मा (जिला मेरठ)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गनियार, तहसील मोहनलाल गज, जिला लखनऊ के ग्रामवासियों ने दिनांक 31 जुलाई, 1972 को शारदा सहायक नहर के अमौसी राजबहा के 85 नं0 कुलाबा की गूल को कुछ व्यक्तियों द्वारा जबरदस्ती पाट कर खेत बनाये जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायती पत्र इस आशय का दिया है कि गुल पाटने से हरिजन किसानों की खड़ी फसल पानी न मिलने के कारण सूखी जा रही है ? यदि हां, तो सरकार तुरन्त इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी और दोषी व्यक्तियों को दंडित करेगी ?

श्री महमूद अली खां—

अमौसी रजबहा के कुलाबा नं0 85 की गूल को पाट कर स्त्रोत बनाये जाने से पानी न मिलने के कारण किसानों की खड़ी फसल के सूखने के सम्बन्ध में सर्वश्री शोभा सिंह, बृज किशोर सिंह, चन्द्रपाल सिंह, प्रभाशंकर आदि का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है।

चूंकि गूलें सरकारी नियन्त्रण में नहीं होती हैं, इसलिए प्रार्थियों को नार्दन इंडिया कैनाल ऐंड ड्रेनेज एक्ट की धारा 70 (4) के अन्तर्गत गूल बन्द करने वालों के विरुद्ध कैनाल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुकदमा दायर करने की राय दे दी गई है।

*62—श्री बांके लाल—

[निगम बन जाने के कारण निरस्त]

बस चालकों को बस परमिट देने का निर्णय

*63—श्री रामसिंह खन्ना (जिला बरेली)—

क्या सरकार ने हाल ही में बस चालकों को नये बस परमिट उदारतापूर्ण देने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो किन कारणों से और उस पर अमल कब से किया जायगा?

श्री देवकी नन्दन विभव—

जी हां। अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर यात्री बसों के परमिटों के प्राप्त करने में आपरेटरों की प्रतिद्वन्द्विता, परमिटों की सीमित संख्या के फलस्वरूप शिकायतों को दूर करने के लिए, आवेदकों की सुविधा तथा परमिट स्वीकृत करने की पद्धति में सरलता लाने के लिए निदेश जारी किये गये थे। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है। इस पर अमल सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर निर्भर होगा।

प्रतापगढ़ की पट्टी-राजा बाजार रोड तथा जेठवारा—कुन्डा मार्ग

*64—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की पट्टी राजा बाजार रोड को विभाग अपने नियन्त्रण में लेकर निर्माण करने का विचार कर रहा है?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

प्रश्नगत मार्ग के पक्का करने की कोई योजना नहीं है।

*65—श्री जयराम यादव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार जेठवारा कुंडा मार्ग का निर्माण करने हेतु कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

धनाभाव के कारण इस सड़क का निर्माण किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

*66—श्री राम निहोर राय—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

गोरखपुर एल०आर०पी० में भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं सम्बन्धी जांच

*67—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर एल० आर० पी० में भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के कारण लाखों रुपए का अपराध सिद्ध हुआ है, और जांच अधिकारी द्वारा विजिलेंस की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है? यदि हां, तो कब और

कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं, कौन-कौन अधिकारी मुअत्तल हैं और कौन-कौन अधिकारी आरोप सिद्ध होने के बावजूद अभी तक मुअत्तल नहीं किये गये, पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

प्रश्नगत मामले में सतर्कता जांच की रिपोर्ट शासन को दिनांक 12 दिसम्बर, 1972 को प्राप्त हो गई है और उस पर आश्वयक कार्यवाही की जा रही है। इस मामले में सर्वश्री एल0 एन0 अग्रवाल, अधिशासी अभियन्ता, एस0 एन0 शुक्ला, सहायक अभियन्ता, बृजराज सिंह, ओवरसियर, रूप नारायण यादव तथा बद्री प्रसाद, क्लर्क निलम्बित हैं।

*68—श्री सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री राम शिरोमणि दुबे, श्री मोतीलाल यादव, श्री राम सागर, श्री उमानाथ सिंह तथा श्री जगन्नाथ राव।

[माननीय सदस्यों ने वापस लिया]

गोरखपुर जिले में विभिन्न सड़कों को पक्की करने की मांग

*69—श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 1972 में राजपुर से खड़खोड़ी, खड़ खोड़ा, सहजनवां बाबू मोहनगढ़, पृथ्वीपालगढ़ से उसका बृजमनगज रोड के हाताबेला हरैया अस्पताल में मिला देने और लौटने से फरेंदा तक पक्की सड़क बनाने हेतु बजट में रखने का लिखित आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही अब तक की गई ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी नही।

जिले की फरेन्दाधानी सड़क, गोरखपुर का एस्टीमेट

*70—श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता—

क्या सरकार 21 जुलाई, सन् 1972 के प्रश्न 28 के संदर्भ में बतायेगी कि फरेन्दाधानी सड़क को पेटेन्ट करने के लिये अधिशासी अभियन्ता 2 अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, गोरखपुर में एस्टीमेट (आगणन) बनाकर मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश, सार्वजनिक निर्माण विभाग को भेजा है ? यदि हां, तो उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

प्रश्नगत मार्ग का आगणन तैयार किया गया है परन्तु धनाभाव के कारण इसका निर्माण किसी योजना में सम्मिलित नहीं किया जा सका है।

रिंग डिवीजन तथा ट्यूबवेल डिवीजन, मुरादाबाद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थानान्तरण

*71—श्री रियासत हुसैन—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद के रिंग डिवीजन तथा ट्यूब वेल डिवीजन में कौन-कौन अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, सुपरवाइजर तथा स्टोर कीपर 4 साल से ज्यादा समय से हैं और उन लोगों के अनेक बार स्थानान्तरण किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो किन कारणों से स्थगित किये गये ?

श्री महमूद अली खां—

सूचना संलग्नक में प्रस्तुत है।

[देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 267 पर]

*72-73—श्री चन्द्रभान शर्मा—

[निगम बन जाने मे कारण निरस्त]

सिंचाई की दरों में वृद्धि

*74—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि 1 अक्तूबर, 1972 से प्रदेश में सिंचाई की दर बढ़ायी गयी है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ? और बढ़ाई हुई दरें क्या हैं ?

श्री महमूद अली खां—

जी हां। दरें सिंचाई साधनों के सम्यक् विकास तथा राजकीय सिंचाई निर्माण कार्यों पर शासन को होने वाली बड़ी हानि को कम करने के उद्देश्य से बढ़ाई गई हैं। बढ़ी हुई दरों के संबंध में सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 269 पर)

शारदा नहर के बाराबंकी डिवीजन में सिंचित क्षेत्रफल

*75—श्री जयराम वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतलायेंगे कि शारदा नहर के बाराबंकी डिवीजन में वर्ष 1970-71 और 1971-72 में अलग-अलग कुल कितने क्षेत्रफल की सिंचाई हुई है ? क्या यह सही है कि वर्ष 1971-72 में सिंचित क्षेत्रफल के संबंध में तहसील के जमाबन्दी रजिस्टर और विभाग में रक्खे गये रिकार्ड में अन्तर है ? यदि हां, तो क्या और क्यों ?

श्री महमूद अली खां—

बाराबंकी प्रखण्ड शारदा नहर, बाराबंकी में वर्ष 1970-71 और 1971-72 में निम्नलिखित क्षेत्रफल की आबपाशी हुई है:—

सन्		सिंचित क्षेत्र एकड़ में		
		रबी	खरीफ	योग
1970-71	..	65405	146808	212213
1971-72	..	44556	161119	205675

उल्लिखित सिंचित क्षेत्रफल विभाग के रजिस्टर जमाबन्दी में दर्ज है। उतना ही सिंचित क्षेत्रफल विभाग से जमाबन्दी द्वारा तहसील को भेजा गया है। अतः तहसील व विभाग के रिकार्ड में अन्तर का प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

पौड़ी-देव प्रयाग मोटर मार्ग में पुल निर्माण की योजना

1—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलायेंगे कि पौड़ी-देव प्रयाग मोटर मार्ग में कहां-कहां पर पुल बनने हैं और प्रत्येक में क्या प्रगति हुई है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

पौड़ी-देव प्रयाग मोटर मार्ग पर केवल एक ही सेतु देव प्रयाग में अलक नन्दा नदी पर बनना आवश्यक है, जिसके निर्माण की कोई योजना स्वीकृत नहीं है ।

2—श्री राम बचन यादव—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

मिर्जापुर के ग्रामों में सरकारी नलकूप

3—श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी (जिला वाराणसी)—

क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में सन् 1971–72 व 1972–73 में कितने सरकारी नलकूप कितने ग्रामों में लगे तथा लगाने का विचार है ? और उनमें से कितने ग्रामों का सर्वेक्षण किया जा चुका है ?

श्री महमूद अली खां—

मिर्जापुर जनपद में वर्ष 1971–72 में 6 राजकीय नलकूपों का 6 ग्रामों में छिद्रण किया गया जिनमें से एक बोरिंग असफल रही । 5 नलकूप तैयार हो गये हैं । वर्ष 1972–73 में 5 नये राजकीय नलकूप बनाना प्रस्तावित है जिसमें से चार नलकूपों को बनाने के वास्ते चार ग्रामों का सर्वेक्षण किया जा चुका है ।

कासगंज एटा की विभिन्न सड़कों का निर्माण

4—श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)—

क्या सार्वजनिक मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले के कासगंज विधान सभा क्षेत्र में कासगंज-अतरौली, कासगंज-इस्माइलपुर, कासगंज-सहावर, ढोलना गढ़ी, कासगंज-अमापुर सड़कों के निर्माण किस-किस चरण पर चल रहे हैं और सरकार कितने समय तक कितना-कितना धन व्यय करके पूर्ण करायेगी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

सूचना सदन की मेज पर रक्खी है ।

(देखिए नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ 271 पर)

कासगंज, जिला एटा के बरसाती पानी के नालों की सफाई

5—श्री नेतराम सिंह—

क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले के कासगंज विधान सभाई क्षेत्र में कितने और कौन-कौन से बरसाती पानी के ऐसे नाले सिंचाई विभाग के पास हैं जिनकी सफाई और मिट्टी खुदाई वर्षा के पूर्व 15 जुलाई, 1972 तक की गई और सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि किस-किस नाले पर कितना-कितना धन व्यय किया गया ?

श्री महमूद अली खां—

कासगंज विधान सभा क्षेत्र में आने वाले सिंचाई विभाग के बरसाती नालों की सूचना उनकी सफाई पर व्यय किये गये धन का विवरण सहित, संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिए नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ 272 पर)

आगरा-बरेली मार्ग में काली नदी पर निर्मित पुल पर व्यय

6—श्री नेतराम सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा-बरेली मार्ग पर कासगंज के पास काली नदी पर विभाग द्वारा कोई पुल का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो ये किस तारीख से खोल दिया गया और इसका उद्घाटन एवं शिलान्यास किसके द्वारा एवं किस तारीख में हुआ ? इस पुल के निर्माण पर सरकार ने कितना रुपया व्यय किया ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव

जी हां ।

प्रश्नगत पुल यातायात के लिये 10 जून, 1972 को खोल दिया गया था। इस पुल का उद्घाटन एवं शिलान्यास नहीं किया गया । 20,10,000 रुपये की लागत पर प्रश्नगत पुल का निर्माण स्वीकृत किया गया था और अगस्त, 1972 तक 15,36,000 रुपये व्यय हुए हैं ।

टिहरी बांध परियोजना में कर्मचारियों की नियुक्ति

7—श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी बांध परियोजना में कितने लिपिक व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भर्ती किये गये और उनमें से कितने जिला टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं ? भर्ती के लिये किन-किन सेवा योजना कार्यालयों से नाम मांगे गये ?

श्री महमूद अली खां—

टिहरी परियोजना के देहरादून ऋषीकेश तथा टिहरी में स्थित कार्यालयों के लिये 14 लिपिक एवं 55 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी सीधे नियुक्त किये गये हैं । इनमें से 4 लिपिक एवं 34 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जिला टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं तथा उनकी भर्ती के लिये जिला सेवायोजन कार्यालय नरेन्द्र नगर, देहरादून तथा सहारनपुर से नाम मंगाये गये थे ।

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष 1971 में प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग द्वारा ली गई विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से 14 लिपिक टिहरी परियोजना में नियुक्त किये गये हैं । यह 14 लिपिक टिहरी गढ़वाल के निवासी नहीं हैं ।

8—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

आगरा जिले की फतहाबाद-फिरोजाबाद सड़क का निर्माण कार्य

9—श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला आगरा में फतहाबाद-फिरोजाबाद सड़क निर्माण कार्य, जिस पर शासन की स्वीकृति मिल चुकी है, इस वर्ष पूरा हो जायेगा ? क्या यह सड़क शमसाबाद-फतहाबाद का एक मार्ग ही है और इसका निर्माण फतहाबाद से आगे कब और कितने किलोमीटर तक इस वर्ष होगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

फतहाबाद-फिरोजाबाद मार्ग के फतहाबाद की ओर से केवल 5 किलोमीटर भाग का निर्माण सितम्बर, 1972 में स्वीकृत किया गया है । इस भाग का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ किया जा रहा है। किन्तु चालू वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य पूरा नहीं होगा। फतहाबाद-फिरोजाबाद मार्ग शमसमबाद-फतहाबाद मार्ग का भाग नहीं है । शमशाबाद-फतहाबाद मार्ग (18 कि0 मी0) का निर्माण हो रहा है और मार्च, 1975 तक उसके पूर्ण होने की आशा है ।

तहसील सोरांव, जिला इलाहाबाद की विभिन्न सड़कों का निर्माण

10—श्री राम गोपाल संड—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद की तहसील सोरांव के अन्तर्गत सोरांव से नबावगंज तथा होलागढ़ से आनापुर तक की सड़क कब तक पक्की बनवाने की योजना है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

प्रश्नगत सड़कों के निर्माण की इस समय कोई योजना नहीं है ।

विधान सभा क्षेत्र वारा, जिला इलाहाबाद का असिंचित क्षेत्र

11—श्री सर्वसुख सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद के वारा विधान सभा क्षेत्र का जो लगभग 50 प्रतिशत भाग असिंचित है और जिसके सम्बन्ध में मैंने 9 मई, 1972 को तत्कालीन सिंचाई मंत्री से 25 नलकूपों की मांग की थी लगभग इतने ही बांध-बंधियों की मांग की थी, उसके लिये सरकार ने आज तक क्या उपाय किया ?

श्री महमूद अली खां—

प्रश्नगत क्षेत्र का अधिकांश भाग पठारी है तथा उसके भूगर्भ में बड़ी चट्टानों के पाये जाने के कारण इस क्षेत्र में नलकूपों का लगाया जाना सम्भव नहीं है ।

इसी क्षेत्र में सिंचाई के वास्ते 7 बन्धियों का निर्माण प्रस्तावित है जिनमें से तीन पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।

ग्राम बढ़नी, जिला बस्ती के डाक बंगले की भूमि का मुआवज

12—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बढ़नी बाजार, तहसील नौगढ़, जिला बस्ती के डाक बंगले में कुल कितनी जमीन है और उक्त जमीन किसानों से कब ली गई ? उक्त जमीन तथा उसमें लगे हुये पेड़ों का मुआवजा किसानों को दिया गया या नहीं ? यदि हां, तो किस दर से और कब ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

प्रश्नगत डाक बंगले में कुल 6.59 एकड़ जमीन है । इसमें से 2.38 एकड़ भूमि ग्राम समाज की है और शेष 4.21 एकड़ भूमि किसानों से ली गयी है । कुल भूमि दिनांक 20 अक्तूबर, 1967 को ली गयी थी । मुआवजा अभी वितरण नही हुआ है ।

बस्ती जिले की बम्बई योजना के अन्तर्गत सड़क

13—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के बाम्बे प्लान के अन्तर्गत कुल कितनी सड़कें हैं, कितनी सड़कों का निर्माण स्वीकृत हो चुका है, कितना बाकी है और कितनी सड़कों पर काम सितम्बर, सन् 1972 तक चालू हो जायगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जिला बस्ती में बम्बई योजना के अनुसार सन् 1981 तक 1111 किलोमीटर पक्की सड़कों की आवश्यकता आंकी गई है ।

मार्च, 1971 के अन्त में इस जिले में पक्की सड़कों की कुल लम्बाई 758.3 किलोमीटर थी। अब तक स्वीकृत मार्गों के पूर्ण हो जाने पर पक्की सड़कों की लम्बाई इस जिले में 963.3 किलोमीटर हो जायेगी। बम्बई योजना का लक्ष्य पूरा करने के लिये 147.7 किलोमीटर सड़कों की स्वीकृति और आवश्यक है।

सितम्बर, 1972 तक इस विभाग द्वारा 108 किलोमीटर स्वीकृत मार्गों पर निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया था।

सिंचाई नलकूप मण्डल, वाराणसी में चौकीदार व वर्कचार्ज की नियुक्ति

14—श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई नलकूप मंडल, वाराणसी में सन् 71-72 व 72-73 में कितने व्यक्ति कूप चौकीदार व वर्कचार्ज के पद पर नियुक्त हुए और उनमें से कितने अनुसूचित जाति के हैं ?

श्री महमूद अली खां—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

मथुरा जिले की राकोली माइनर का नम्बर बीस कुलावा

15—श्री तेजपाल सिंह 'कृष्ण'—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मथुरा की आगरा नहर की शाखा राकोली माइनर के कुलाबे नं0 20 द्वारा पिछले पांच वर्षों में प्रति वर्ष कितना रकबा सींचा गया है ? और कृपा कर यह भी बतायें कि यह कुलावा कितना बड़ा है और इसका प्रतिवर्ष सिंचाई के लिये कितना क्षेत्रफल कमांड में निर्धारित है ?

श्री महमूद अली खां—

सींचा गया रकबा निम्नलिखित है :

(एकड़ों में)

फसली	खरीफ	रबी	कुल
1375	..	7	7
1376	1	1	2
1377	..	6	6
1378	..	5	5
1379	..	11	11

यह कुलावा 6 दहन का है और 265 एकड़ कमान्ड के क्षेत्र में प्रस्तावित सिंचाई 10 6—एकड़ है।

मथुरा जिले को रामगंगा परियोजना से आगरा नहर द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त पानी

16—श्री तेजपाल सिंह 'कृष्ण—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अब अंतिम पुनरीक्षित आधार से रामगंगा सिंचाई परियोजना से मथुरा जिले की यमुना से निकली हुई आगरा नहर द्वारा मथुरा जिले को कितना पानी प्रति सीजन मिलेगा और वह अतिरिक्त पानी कब से मिलना प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री महमूद अली खां—

रामगंगा परियोजना से आगरा नहर द्वारा मथुरा जिले को रबी में 5 नवम्बर से 31 मार्च तक औसतन 278 क्यूसेक्स तथा खरीफ में 1 अप्रैल से 17 जून तक औसतन 250 क्यूसेक्स पानी प्रतिवर्ष उपलब्ध हो सकेगा । यह पानी अक्तूबर, 1974 से मिलने की आशा है ।

17—श्री सजीवन लाल—

[3रे मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

18–19—श्री गोपाल दत्त ओझा—

[3रे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न 3–4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

20—श्री गोपाल दत्त ओझा—

[5वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विविध विषय

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला रायबरेली)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जब मैं आज सदन में आ रहा था तो फाटक से लेकर यहां तक इतने पुलिस मैन लगे हुए थे कि देखकर आश्चर्य हुआ । मालूम पड़ता है कि विरोधी दल के लोगों को आतंकित करने के लिये ऐसा किया गया है । जबकि सारे प्रदेश में कहीं लूट हो रही है, कहीं डकैती हो रही है । इनको वहां भेज दिया जाय, यहां तो आप ही काफी हैं । हमारा रास्ता चलना मुश्किल है ।

श्री अध्यक्ष—

आपने दरवाजे से लेकर यहां तक कहा है, मैंने तो इतने आदमी नहीं देखे ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि, मान्यवर, मेरे दल ने आज बड़े शान्तिपूर्वक ढंग से कौंसिल हाउस के सामने जो धरने का प्रोग्राम निश्चित किया था, वह प्रारम्भ कर दिया है । उनकी प्रमुख मांगों में—हरिजनों पर हुए अत्याचार के बारे में है और ऐसे ही तमाम हैं । हमारी 10–12 मांगें हैं और मैं चाहता हूं कि इसकी प्रसंशा हमारे मुख्य मंत्री जी करें कि कितने पीसफुल तरीके से कार्य करने का ढंग हमने अपनाया है । उनका मांग-पत्र किसी समय चलकर लेने की मुख्य मंत्री जी कृपा करें या जैसी आज्ञा दें या समय दे दें । उसमें पुराने मंत्री और विधायक रहेंगे, वह न समझें कि उनका कोई अनादर है ।

श्री अध्यक्ष—

आप यह कहना चाहते हैं कि इसकी वजह से ही पुलिस वाले खड़े हैं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

हमारे माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है । अन्य गम्भीर स्थानों पर पुलिस लगाई जाय, हमारे शान्तिपूर्ण प्रदर्शनों पर पुलिस लगाने की आवश्यकता नहीं है । इसकी प्रशंसा मारे मुख्य मंत्री जी करें और वह देखेंगे कि पुलिस यहां पर बेकार है ।

श्री अध्यक्ष—

इस काम के लिये जरूरी नही है, धरने के रोकथाम के लिये जरूरी नहीं है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह तो इनका काम है, मैं इसकी आलोचना नहीं करता । मुख्य मंत्री जी हमारी प्रार्थना मान लें तो बड़ी कृपा होगी ।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने एक नया शगूफा छोड़ दिया । प्रातःकाल जनसंघ के महा मंत्री का मेरे पास टेलीफोन आया कि हम एक मांगपत्र लेकर माधव प्रसाद त्रिपाठी आदि के साथ आपसे मिलना चाहते हैं । मैंने इस पर कहा की अभी कृपा कर चले आवें । उसके के बाद मुझे फिर यह सूचना दी गई कि हम अभी नहीं आना चाहते हैं 10 बजे हमारा धरना देने का प्रोग्राम है । तो मैंने कहा धरने के बाद चले आवें । फिर मुझे सूचना दी गई कि वह हमें मांग-पत्र दो बजे हमारे दफ्तर में आकर दे देंगे । मैंने सोचा २ बजे भोजन का समय है, चलो अब आज । नहीं खायेंगे पता नहीं आज किसका मुंह देख कर उठे हैं । अब दो बजे लेकर आवेंगे तो २ बजे हम लोग ले लेंगे ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जब लोग टेलीफोन करते हैं तो कुर्ता-पैजामा पहने तैयार नहीं रहते हैं कि तुरन्त चले आवें, हम केवले पहले समय मांगते हैं, इसलिये ऐसा नहीं हो पाया ।

दूसरा कारण मैं मानता हूं सब लोग एकत्र हो कर आते तब नम्रतापूर्वक निवेदन करते। मगर आपने समय दे दिया तो वही ठीक है।

पंचम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति के प्रतिवेदन†

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पंचम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का उन्नीसवां, बीसवां, इक्कीसवां, बाइसवां, तेईसवां, चौबीसवां, और पच्चीसवां प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं ।

इन सात प्रतिवेदनों में से तीन प्रतिवेदन अर्थात् उन्नीसवां, इक्वीसवां तथा बाईसवां प्रतिवेदन द्वितीय विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति के प्रथम, द्वितीय तथा पंचम प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों के कार्यान्वियन के सम्बन्ध में है ।

बीसवें प्रतिवेदन में समिति ने यू0पी0 जनरल क्लाजेज ऐक्ट में कतिपय संशोधन करने की सिफारिश की हैं जिससे हमारे प्रदेश में अधीनस्थ विधान के निर्माण की प्रक्रिया में सुधार होगा तथा विधान मण्डल उस पर अधिक प्रभावी नियंत्रण रख सकेगा । इस प्रतिवेदन में समिति ने यह भी सिफारिश की है कि उत्तर प्रदेश में, प्रवृत्त विधियों को हमारे लोकतंत्रात्मक संविधान के तथा परिवर्तित समय की आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुकूल बनाने के लिये पुनरीक्षित करने हेतु तुरन्त आवश्यक कार्यवाही की जाय ।

तेईसवें प्रतिवेदन में समिति ने यह संस्तुति की है कि यू0पी0 जनरल क्लाजेज ऐक्ट में ऐसा संशोधन किया जाय कि केन्द्रीय अधिनियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमों

---

†छापे नहीं गये ।

को भी विधान मण्डल के समक्ष कम से कम तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाय और वे उन परिष्कारों के अधीन रहें जो राज्य विधान मण्डल के दोनों सदन उनमें करें।

चौबीसवें प्रतिवेदन में समिति ने उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (नालियां तथा जलोत्सारण) नियमावली, 1967 के नियम 4, 5 तथा 8 को राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति के प्रतिकूल पाया। ये नियम उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 के विरुद्ध होने के कारण कहीं लागू नहीं किये जा सकते थे। अतः समिति ने इन नियमों को निकालने की सिफारिश की है।

पच्चीसवां प्रतिवेदन विधान मंडल के सदस्यों को दिये जाने वाले यात्रिक तथा दैनिक भत्तों से सम्बन्धित है। पच्चीसवें प्रतिवेदन में समिति ने यह सिफारिश की है कि सरकारी समितियों और परिनियत निकायों में उपस्थिति के लिए विधान मण्डल के सदस्यों को दिये जाने वाले यात्रिक तथा दैनिक भत्तों का विनियमन भी विधान मण्डल द्वारा बनाये गये कानून के अन्तर्गत ही किया जाय। समिति ने इस बात का कोई औचित्य नहीं समझा कि विधान मण्डल की समितियों में आने के लिए उन्हें एक दर पर भत्ता दिया जाय और सरकारी समितियों में आने के लिये दूसरी दर पर। सड़क मील भत्ते के सम्बन्ध में समिति ने यह सिफारिश की है कि विधान मण्डल के सदस्यों को प्रथम श्रेणी के, राजपत्रित अधिकारियों के लिए लागू नियमों के अनुसार भत्ता दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। उन्हें आवश्यकतानुसार टैक्सी से यात्रा करने की सुविधा दी जानी चाहिये और जिस प्रकार रेल यात्रा के सम्बन्ध में किराये के बराबर आनुषंगिक व्यय दिया जाता है, उसी प्रकार टैक्सी की यात्रा के सम्बन्ध में भी दिया जाय।

वर्तमान नियमों के अनुसार यदि अधिवेशन 4 दिनों तक के लिए स्थगित हो तो विधान मण्डल के सदस्यों को केवल अपने निवास स्थान या निर्वाचन क्षेत्र को ही जाने की सुविधा है। समिति ने यह सिफारिश की है कि स्थगन की उक्त अवधि में विधान मंडल के सदस्यों को कहीं भी जाने की सुविधा रहनी चाहिए।

समिति ने यह देखा कि यद्यपि 1969 में संशोधन अधिनियम द्वारा विधान मण्डल के सदस्यों के यात्रिक तथा दैनिक भत्ते में परिवर्तन कर दिये गये थे किन्तु 3 वर्ष से अधिक की अवधि बीत जाने पर भी नियमों में आवश्यक संशोधन नहीं किये गये जिसके कारण काफी भ्रम रहा और सदस्यों को हानि भी उठानी पड़ी।

विधान मण्डल के सदस्यों के यात्रिक तथा दैनिक भत्ते के नियमों में "दिन" की परिभाषा मध्यरात्रि से प्रारम्भ होकर आगामी मध्यरात्रि में समाप्त होने वाले कलैण्डर दिन के रूप में दी गयी है। अतः 24 घंटे से कम की अवधि के लिए कोई दैनिक भत्ता दिया जाना नियम के विरुद्ध है। यह परिभाषा इन नियमों में सन 1939 से चली आ रही है, किन्तु इसका उल्लंघन करके दिन के एक भाग के लिए भी दैनिक भत्ता दिया जाता रहा है। यह प्रथा अवैध है। इस को नियमित करने के लिये समिति ने सिफारिश की है कि नियमों में ऐसा संशोधन किया जाय कि सदस्यगण यदि दिन के किसी एक भाग में भी उपस्थित रहें, तब भी उन्हें दैनिक भत्ता देय हो।

कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, यहां पर विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन आते हैं लेकिन कभी भी हमें सदन में उन प्रतिवेदनों पर विचार करने का अवसर नहीं मिलता। इस सदन की तरफ से बाकायदा प्रस्ताव पास किया गया था कि कम से कम 90 दिन सदन बैठेगा और उस में यह भी तय कर दिया गया था कि इन तारीखों से लेकर इन तारीखों तक सदन बैठेगा। लेकिन अफसोस है कि हमारे उस अधिकार का हनन हो रहा है और सदन की कम से कम बैठकें की जा रही हैं और

[श्री गोविन्द सिंह नेगी—]

माननीय सदस्यों को अवसर नहीं दिया जा रहा है कि वे अपने विचार उन प्रतिवेदनों पर व्यक्त कर सकें। आप इस सदन के माननीय सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करें और हमको अवसर दें कि हम उन प्रतिवेदनों पर विचार कर सकें।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, आप यह बात बराबर देख रहें होंगे कि जब भी सदन बैठता है तो सरकार जो टाइमटेबिल लेकर आती है उसमें हमको दबाने की कोशिश होती है कि इतने दिन के अन्दर बात मान जाइये, वर्ना काम नहीं हो पायेगा और मजबूरी के अन्दर सारा काम हमसे कराया जाता है। इस बार शनिवार को लेने की बात भी करदी गयी है। इस सदन के अन्दर बहुमूल्य प्रतिवेदन आते हैं। पी0ए0सी0, आश्वासन समिति, विशेषाधिकार समिति तथा प्रतिनिहित विधायन समिति के तथा हिंडालको की रिपोर्ट भी आई लेकिन उन सब रिपोर्ट्स को कोल्डस्टोरेज में डाल दिया जाता है और उनको कोई पढ़ता तक नहीं जब तक कि उन पर चर्चा न हो। मेरा निवेदन है कि विधान सभा का जो समय रखा जाय उसमें बम से बम इतनी गुंजायश हो कि दो चार दिन वह आगे चल सके और सब विषयों पर उसमें विचार हो सके। नारायणदत्त जी चाहते हैं कि रोटीन वर्क हम पास करदें और अपने घर चले जायं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, नेगी जी कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य हैं। पर्दे के पीछे कुछ और पर्दे पर कुछ, यह उनका रवैया है वर्ना वह वहां प्रेस करते कि इन चीजों पर मौका निकाला जाय।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

शास्त्री जी से पता लगा लीजिये कि कितना प्रेस हम करते हैं। इस बार इन चीजों के लिये समय निकाला गया है।

श्री अध्यक्ष—

अब की दफा यह नहीं हुआ कि सरकार ने कह दिया कि हम इतने दिन बैठेंगे और वही होगा जो वह चाहेगी। इस दफा दिसम्बर में और जनवरी में भी कार्य मंत्रणा समिति ने बैठने के लिये तय किया। कार्य मंत्रणा समिति ने कहा कि जनवरी में 10 तारीख से फिर बैठा जाय तो उसके लिये तय हो गया। उसे मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं। उससे मालूम हो जायगा कि इन रिपोर्ट्स के लिये भी समय दिया गया है। कार्य मंत्रणा समिति का निर्णय इस प्रकार है:—

कार्य मन्त्रणा समिति की 12 दिसम्बर, 1972 की बैठक के निर्णय के अनुसार 14 दिसम्बर, 1972 से 23 जनवरी, 1973 तक के उपवेशनों का प्रस्तावित कार्य-क्रम:

1—14 दिसम्बर, 1972 को श्री चरण सिंह तथा अन्य सदस्यों के 'उत्तर प्रदेश मन्त्रि-मंडल के कतिपय सदस्यों के विरुद्ध सत्तारूढ़ दल के सदस्यों द्वारा लगाये गये आरोपों अथवा सदन में लगाये गये आरोपों की जांच हेतु उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किये जाने, से संबंधित प्रस्ताव पर विचार हो।

2—दिसम्बर 15, 16, 18, 19, 20 तथा 21, 1972 को उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1972 लिया जाय जिसमें 15, 16, 18 व 19 दिसम्बर, 1972 को जनरल डिस्कशन हो और 20 व 21 दिसम्बर, 1972 को क्लाज वाइज डिस्कशन के साथ पारण हो और तदनुसार शनिवार 16 दिसम्बर, 1972 को सदन की बैठक हो।

3—22 दिसम्बर, 1972 को असरकारी दिवस हो।

4—22 दिसम्बर, 1972 को सदन स्थगित हो और 10 जनवरी, 1973 से पुनः सदन की बैठक हो।

10 जनवरी, 1973 को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के वार्षिक विवरण-पत्र 1971-72 (पर चर्चा हो)।

11 जनवरी, 1973 को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1972 पर विचार एवं उसका पारण हो।

12 जनवरी, 1973 को उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षा संस्था (निवारण) विधेयक, 1972 जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित होगा अपराह्न 2 बजे तक विचार एवं उसका पारण हो, तथा उसके बाद असरकारी कार्य हो।

15 जनवरी, 1973 को उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1972, जैसा कि वह विधान परिषद से पारित होगा, पर विचार एवं उसका पारण हो।

17 जनवरी, 1973 को उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1972 तथा उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित होगा, पर विचार एवं उनका पारण हो।

18 जनवरी, 1973 को उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1972, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित होगा, पर विचार एवं उसका पारण हो।

19 जनवरी, 1973 को 12 बजे से 2 बजे तक उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 1972, तथा संसद द्वारा यथा पारित संविधान (30 वां संशोधन) विधेयक, 1972 के अनुसमर्थन के संकल्प पर विचार एवं उसका पारण तथा अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक असरकारी कार्य हो।

22 जनवरी, 1973 को उत्तर प्रदेश सहकारी फेडरेशन, लखनऊ की अतिरिक्त निबन्धक सहकारी समितियों उत्तर प्रदेश द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट पर चर्चा हो।

23 जनवरी, 1973 को आश्वासन समिति के निम्नलिखित दो प्रतिवेदनों पर चर्चा हो:—

(1) आश्वासन समिति के 38 वें प्रतिवेदन पर चर्चा।

(2) वीरभद्र सहकारी समिति, देहरादून को दी गई भूमि का भूमिहीनों में वितरण सम्बंधी आश्वासन पर आश्वासन समिति के छठे प्रतिवेदन पर चर्चा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरा निवेदन है कि सदन के सभी पक्षों के अनेक सदस्य शनिवार के लिये सहमत नहीं हैं। यह सारे सदन की भावना है कि शनिवार का कार्यक्रम जो रखा गया है, उसके लिये वह तैयार नहीं हैं।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, श्री जयराम वर्मा और माननीय रामधारी शास्त्री तथा अन्य लोगों से हमारी बातचीत हो गई है कि 16 दिसम्बर को बैठक न हो। 23 जनवरी, 1973 तक सदन चल रहा है। उसमें एक दिन एडजेस्ट कर लें। हम लोग अपना प्रोग्राम उस दिन के लिये बनाये हुये हैं। इसलिये 16 दिसम्बर (शनिवार) को बैठक न बुलाई जाय. . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह निर्णय कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लिया गया है।

वन उप मंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के दिनांक 14 दिसम्बर, 1972 से 23 जनवरी, 1973 तक के कार्यक्रम के सम्बन्ध में की गई सिफारिश को, जिसकी सूचना सदन को आज दी गई है, स्वीकार करता है।

(व्यवधान)

(कई विरोधी दलों के सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष जी, जो समय का वितरण किया गया है उसके अनुसार यह मालूम हुआ कि 16 दिसम्बर को सदन का कार्य रखा हुआ है। उस दिन शनिवार है। यह बात सही है कि उस दिन के लिये सभी लोगों के कार्यक्रम पहले से लगे हुये हैं। मेरा खुद कार्यक्रम लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में हम लोगों को असुविधा होगी। तो किसी तरह से यदि यह सम्भव हो कि 16 दिसम्बर के बजाय किसी दूसरे दिन रख दिया जाय तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—

इसके ऊपर कार्य मंत्रणा समिति में बहुत चर्चा हुई थी। चौधरी चरण सिंह जी का जो प्रस्ताव था वह भी सर्वसम्मति से था इसलिये उसे एकमोडेट कर लिया गया। उसे केवल एक दिन के लिये रखना था और जो सीलिंग वाला विधेयक है, उसके लिये 5–6 रोज चाहिये थे। इस लिये यह हुआ कि 16 तारीख को हम लोग बैठ जायं और इस तरह से 6 रोज उस विधेयक को मिल जायेंगे। उसमें अब ऐसा है कि सीलिंग वाला विधेयक कंटीन्यू करेगा तो जो लोग शनिवार को नहीं रहेंगे वे किसी दूसरे दिन उस पर बोल सकेंगे और जो लोग मौजूद रहेंगे वे 16 तारीख को भी उस पर बोल लेंगे। बोलने वाले उस पर बाद में भी बोल सकते हैं तो कोई असुविधा नहीं होगी। तो मैंने ही यह सुझाव दिया था और तब लोगों ने उसे सर्व सम्मति से स्वीकार किया है अब मैं इस प्रश्न को रखता हूं।

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, एक मिनट मेरी बात सुन लें। जो आपने कहा वह बिलकुल सत्य है कि 16 तारीख का निर्णय कार्य मंत्रणा समिति ने लिया किन्तु वहीं पर मैंने तथा माननीय जायसवाल जी ने यह कहा था कि शनिवार को न रखा जाय किन्तु कुछ परिस्थितियां वहां पर ऐसी आ गईं थीं। हम लोगों को माननीय सदस्यों की इच्छा की पूर्ति भी करनी चाहिये। मैंने वहां पर दो बातें कहीं थी एक तो यह कि शनिवार की बैठक न बुलाई जाय और दूसरे यह कि 5 बजे के बाद सदन की बैठक न हुआ करे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आइन्दा आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन इस वक्त परिस्थिति ऐसी आ गई है कि यदि 16 तारीख को नहीं लेते हैं तो काम पूरा नहीं होता था।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, हमारा गैर सरकारी दिवस हटा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

यह सारे सुझाव वहां पर आये थे ।

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के दिनांक 14 दिसम्बर, 1972 से 23 जनवरी, 1973 तक के कार्यक्रम के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों को जिसकी सूचना सदन को आज दी गई है, स्वीकार करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घन्टी बजाई गई)

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मैं निवेदन कर रहा था कि विरोधी दलों और अपने मित्रों की प्राय: 99. 9 प्रतिशत बात हम मान लेते हैं । शायद ही मुझे स्मरण नहीं है, कोई ऐसे काम होते हों जिन्हें अस्वीकार किया जाता है । जब वहां पर चौधरी साहब भी मौजूद थे, आप भी मौजूद थे और एक बात तय हो गई तो फिर यहां पर खड़े होकर वोटिंग की मांग करें तो यह मुनासिब बात नहीं है । सबकी कठिनाई पर ध्यान देना चाहिये तभी हम आपके सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं । हमारी ऐसी कठिनाइयां हैं, हमारे लिये कई दिक्कतें पैदा हो गयी हैं । आप सब जानते हैं कि हमारा संगठनात्मक चुनाव आ गया है, उधर हम सीलिंग बिल पहले ही पास करना चाहते हैं । यही कारण है कि जब कल आपने इसको स्वीकार कर लिया तो कृपा करके यहां भी सर्व सम्मति से स्वीकार कर लें । इस बात को मान लें कि 16 दिसबर को प्रोग्राम रख लिया जाय ।

(घंटी बन्द होने पर)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा—मैं भी इस बात को मानता हूं कि जहां तक हो सके सर्वसम्मति से किसी प्रस्ताव को मान लेना चाहिये लेकिन मेरी केवल यही प्रार्थना है कि शनिवार न लेकर और किसी तरह से इसको एडजस्ट कर लिया जाय तो अच्छा रहेगा । मैं समझता हूं कि चौधरी साहब भी इससे सहमत होंगे कि शनिवार को असेम्बली की बैठक होने से 70 प्रतिशत सदस्यों को असुविधा होगी । मेरा किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं है, केवल मेरी आपसे अपील है कि अगर इस तरह से एडजस्ट कर लिया जाय तो अच्छा रहेगा ।

श्री अध्यक्ष—

कल जब यह प्रश्न उठा कि 16 तारीख को बैठक होनी चाहिये तो हम ता0 16 में चौधरी साहब के प्रस्ताव को नहीं रख सकते थे क्योंकि उनका एक ही दिन का मामला है लेकिन जो 5–6 दिन का काम है उसमें से एक दिन रख सकते हैं क्योंकि उसमें अगर कोई गैर हाजिर भी होता है तो कोई नुकसान नहीं होता है, दूसरे जो बोलने वाले हैं, वे रहेंगे । इसलिये यह चीज कल स्वीकार कर ली गयी । अब मैं फिर इस पर वोट ले लेता हूं ।

(प्रश्न पुन: उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज 5–6 कार्य-स्थगन प्रस्ताव जो आये हैं इनमें से एक को भी मैंने स्वीकार नहीं किया है । एक को तो मैंने इसलिये स्वीकार नहीं किया है कि उनके बारे में अल्पसूचित तारांकित प्रश्न आये हैं । और कुछ ऐसे हैं जो सेंटर से संबंधित हैं, विधान सभा से उनका कोई सम्बन्ध नहीं हैं इसलिये उनको स्वीकार नहीं किया गया । कुछ ऐसे हैं, जो इतने महत्व के नहीं हैं जिनके कारण उनको स्वीकार किया जाय और काम रोका जाय । इसलिये मैंने उनको स्वीकार नहीं किया ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, मैंने एक ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव दिया है। हाल ही में मुरादनगर से गाजियाबाद तक जाने वाली ट्रेन के अन्दर जो गड़बड़ी हुई है, उसके अन्दर छात्राओं का शील भंग हुआ है, उनके ऊपर विधान परिषद् के अन्दर तो चर्चा का समय दे दिया गया और विधान सभा जो एक महत्वपूर्ण सदन है, उसके अन्दर ऐसे विषय को आप टाले दे रहे हैं। आज सारे प्रदेश और सारे देश के अन्दर इस सम्बन्ध में चर्चा है। करीब 150 छात्रायें थीं जो मोदीनगर से चली थीं। . . . . . .

श्री अध्यक्ष—

इस विषय के ऊपर नियम 52 के अन्तर्गत श्री चरण सिंह की सूचना स्वीकृत हो चुकी है। उस पर 18 तारीख को चर्चा हो जायेगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आप कृपया धैर्य रखते हुए मेरी बात सुन लें। यह जो माननीय चरण सिंह का प्रस्ताव बहस के लिये रखा गया है, उस पर इतनी व्यापक बहस होगी कि उसके अन्दर वे चीजें नहीं आ पायेंगी।

श्री अध्यक्ष—

नियम 52 के अन्तर्गत इसके लिये अलग से है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमन्, मैंने भी एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है कि बिजली की कमी तो थी ही अब बाजार से डिजल, मिट्टी का तेल वगैरह भी गायब हो गया है जिससे पंपिग सेट्स का चलना मुश्किल हो गया है। ऐसी हालत में किसान अपने गेहूं के खेतों में पानी कहां से दे सकेंगे। यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हमारा प्रदेश तो ऐसे ही बहुत पिछड़ा हुआ है लेकिन रुहेलखंड के इलाके में यह विशेष स्थिति है।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, मैंने भी एक दिया था कि इलाहाबाद में सभी सस्ते गल्ले की दूकानों से चीनी, चावल, व गेहूं नहीं मिल रहा है पिछले डेढ़ दो महीने से, लेकिन उसको भी आपने स्वीकार नहीं किया है। कम से कम उस पर वक्तव्य तो दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसको पढ़े देता हूं। वह इस प्रकार है कि—

"इस समय प्रदेश में डीजल, मिट्टी का तेल व उर्वरकों का बाजार से गायब हो जाने के फलस्वरूप हरितक्रान्ति खतरे में है। ट्यूबवेल जो बिजली से चलते थे, बिजली के अभाव में बन्द हैं तथा डीजल व मिट्टी का तेल भी गायब है। अतः डीजल से चलने वाले पंपिग सेट बन्द हो गये हैं। यह संकट वैसे तो समस्त प्रदेश में है विशेषकर रुहेलखंड डिवीजन में बिलकुल अभाव है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा आवश्यक है। अतः नियम 56 के अन्तर्गत व कामरोको उपस्थित करने हेतु अध्यक्ष की अनुज्ञा चाहते हैं।"

यह अनिश्चित है। एक ही विषय के ऊपर नहीं है।

श्री सुरेन्द्र बिक्रम---

डीजल और मिट्टी के तेल से ही पंपिंग सेट्स चलते हैं। अगर यह नहीं मिलेगा तो इनका क्या होगा ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

बिजली की कमी थी। इसलिये शहरों में भी 8 बजे से दो बजे तक के लिये बिजली बन्द कर दी गई। (व्यवधान)

श्री राम गोपाल संड---

आपने मेरे प्रस्ताव पर क्या निर्णय लिया है ? (व्यवधान)

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

हमने गन्ने की कीमत के बारे में एक काम रोको प्रस्ताव दिया है। पश्चिमी जिलों में सवा बारह रुपये क्विटंल गन्ना बिक रहा है और पूर्वी प्रदेश में सवा ग्यारह रुपये क्विंटल है। यह ठीक नहीं है। इस पर विचार करने के लिये समय दिया जाय अन्यथा सदन का सारा काम बन्द करके इस पर विचार किया जायेगा।

(व्यवधान)

*श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

मान्यवर, मेरा निवेदन यह था कि गन्ने की कीमत के संबंध में कामरोको प्रस्ताव दिया गया है। इसका औचित्य यह है कि पश्चिमी प्रदेश में सवा बारह रुपये क्विटल गन्ना बिक रहा है। बाकी प्रदेश में सवा ग्यारह रुपये क्विटल बिक रहा है। पूर्वी प्रदेश में बनारस जिला है उसमें औराई शुगर फैक्ट्री जो सहकारी फैक्ट्री है, वहां गन्ना 14 रुपये क्विटल बिक रहा है।

श्री अध्यक्ष---

देखिए गन्ने के बारे में कीमत केन्द्र से फिक्स होती है। यहां से नहीं होती है। (व्यवधान)

श्री रामधारी शास्त्री---

आप मेरी बात सुन लें। मैं यह कह रहा हूं कि गन्ने के दाम केन्द्रीय सरकार तय करती है। केन्द्रीय सरकार ने गन्ने के दाम 8 रुपये तय किये। लेकिन हमारे मुख्य मंत्री ने पश्चिमी प्रदेश में सवा बारह रुपये तक किये और बाकी प्रदेश के लिये सवा ग्यारह रुपये तय किये। लेकिन हमारे प्रदेश में एक जिला बनारस है वहां पर जो सहकारी शुगर फैक्ट्री, औराई है वहां गन्ना 14 रुपये के हिसाब से बिक रहा है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इसका प्रदेश की सरकार से ताल्लुक है। गन्ने का बड़ा भारी प्राबलम हमारे सामने है। जितनी यूनियन हैं---सहकारी गन्ना फेडरेशन ने नोटिस दे दिया है कि गन्ने की सप्लाई 25 दिसम्बर से बन्द कर दी जायेगी। इससे इंडस्ट्री को बड़ा भारी धक्का लगेगा। पीलीभीत में शुगर फैक्ट्री बन्द हो गई है, बाराबंकी में बन्द हो गयी है। यही हाल देवरिया में रामकोला फैक्ट्री वगैरह का है। यह सारे प्रदेश का मामला है, चीनी और गन्ने का बहुत ज्यादा ताल्लुक है। 8 रुपया प्रति क्विटल दिल्ली की सरकार ने जबकि तय किया था। इसलिये सीधे-सीधे इस सरकार का इससे संबंध हो जाता है। अतः आप वाद-विवाद का मौका दें और मुख्य मंत्री जी से आप चाहें तो अभी जान लें कि उन्होंने इस गन्ने के दाम निर्धारित करने में मध्यस्थता की या नहीं ? यदि वह इससे इंकार करें तो बात दूसरी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बांके लाल—

अध्यक्ष, महोदय हमारा निवेदन यह है कि मुख्य मंत्री जी गन्ने की कीमत मुकर्रर करने के मामले में पंच बने और उन्होंने पूर्व में सवा 11 रुपया और पश्चिम में सवा 12 रुपया प्रति क्विटल गन्ने के दाम तय किये। हमारा ऐसा अनुमान है कि प्रदेश की अधिकतर मिलें और खासतौर से कई मिलें देवरिया की बन्द हो गई हैं, रामकोला, खेतान, पंजाब और लक्ष्मीगंज के किसान परेशान हैं और उनका गन्ना पड़ा हुआ है। वहां की गन्ना यूनियन ने प्रस्ताव किया कि 15 रुपये प्रति क्विटल गन्ने के दाम तय किये जायं लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने पंच बनकर उस कीमत से भी कम कीमत तय की जो कि रामकोला और पंजाब मिल वाले खुद 12.83 रु0 के दाम देने पर राजी थे। जबकि मिलें साढ़े 3 रुपये के दाम चीनी के वसूल कर रही हैं तो ऐसे वक्त में मुख्य मंत्री जी उनके गन्ने के दाम कम कराते हैं। आज चीनी, कपड़ा और सारी चीजें मंहगी हो रही हैं लेकिन मुख्य मंत्री जी ने पंच बनकर गन्ने की कीमत को घटाया है। अगर वह पंच न बनते तो वैसे ही 12.83 रुपये प्रति क्विटल के दाम मिल-मालिक देने को राजी थे। उन्होंने पंच बनकर किसानों का अहित किया है। इसलिये आप से निवेदन है कि आप कामरोको प्रस्ताव को स्वीकार करें अन्यथा हम सदन को नहीं चलने देंगे, आप चाहें हमें भले ही सदन से बाहर कर दें।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि गन्ने से सम्बन्धित बात पर भी और दूसरे विषय जो आप के सम्मुख हैं उन पर भी विचार करने की आवश्यकता है। यह सरकार बार-बार कहती है कि गन्ने की कीमत का प्रश्न उनकी रिकवरी से सम्बन्धित है और इस वास्ते कीमत पश्चिमी प्रदेश में ज्यादा है और पूर्व में कम है रिकवरी के हिसाब से, यह उनका हिसाब है। बनारस जिले की औराई शुगर मिल में जो कि सहकारी शुगर फैक्ट्री है, उसकी रिकवरी निश्चित रूप से उन मिलों से कम होगी जो अन्य फैक्ट्रीज में होती है क्योंकि उसकी मशीनरी ऐसी नहीं है जो अधिक रिकवरी दे सके। हमारा अन्दाजा है कि मुख्य मंत्री जी इसके बारे में जानकारी रखते होंगे।

श्री अध्यक्ष—

मुख्य मंत्री जी सुन नहीं रहे हैं...माननीय गंगा प्रसाद जी, गंगा प्रसाद जी, गंगा प्रसाद जी मुख्य मंत्री जी का नाम लिया जा रहा है, उनको सुनने दीजिये।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं निवेदन कर रहा था कि औराई शुगर फैक्ट्री जिसके डायरेक्टर्स निहाला सिंह, बंशीधर जी पांडेय, श्यामधर मिश्र, एम० पी० और दूसरे लोग थे, उन्होंने हमारी सूचना के अनुसार 14 रुपया प्रति क्विटल गन्ने के दाम तय किये थे, गलती हो तो मुझे वह कहें कि गलत है और कोई भी मेरठ, देवरिया, गोरखपुर में कहीं भी कोई प्रदेश की ऐसी मिल नहीं है जिसकी रिकवरी औराई मिल से कम हो। मेरा निश्चित आरोप है कि वह संतुलित कर के सारे मामले को नहीं ले जा रहे हैं। इसलिये अगर मेरी बुद्धि में भ्रांति हो तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस बात को साफ कर देंगे अन्यथा एक बात और है इस सिलसिले में और वह यह है कि यह बात बिल्कुल सही है कि हमारी दृष्टि से इस सरकार की किसान विरोधी नीति है। इसलिये भी हम चाहते हैं कि सरकार सफाई से कह दे कि किसान की जो उत्पादकता है, जिसमें गन्ना भी शामिल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, क्यों गन्ने की कीमत कम हो रही है और चीनी के दाम बढ़ रहे हैं । मान्यवर, अगर आप इनके उत्तर से सन्तुष्ट न हों, तो आप इसे कामरोको प्रस्ताव के रूप में न लेकर नियम 52 के अन्तर्गत 2 1/2 घंटे की इस विषय पर बहस करवा दें क्योंकि इससे किसानों में घोर असंतोष है ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है आप नियम 52 में दे दीजिये । मैंने नियम 52 में कई स्वीकार किये हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

ठीक है श्रीमन्, मैं लिख कर दे दूंगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

वैसे तो, श्रीमन् इस विषय पर बहुत से माननीय सदस्य बोल चुके हैं लेकिन मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं । इस सरकार की चीनी नीति ऐसी है कि इसकी जड़ में केवल एक बात है कि सरकार ने 20सों लाख रुपया चीनी मिल-मालिकों से इलेक्शन के दौरान लिया है इसलिये ये कोई ऐसा कदम उठाने को तैयार नहीं हैं जिससे मिल-मालिक नाराज हो जायं वरना क्या कारण हैं कि चीनी की कीमत बढ़ रही है और गन्ने की कीमत कम हो रही है। चीनी की कीमत बढ़ने के बारे में कह दिया जाता है कि बोनस देना पड़ता है और चीनी पैदा करने का खर्चा बढ़ रहा है । लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर ये चीनी मिल मालिकों से इतनी हमदर्दी क्यों दिखलाते हैं ? क्यों चाहते हैं कि उनका मुनाफा कम न होने पाये ? हमने गन्ने का दाम 15 रुपया तय करने की मांग की थी, यह अधिक नहीं है । हमारे प्रदेश के किसान कितनी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं । हमारे प्रदेश में 72–73 मिलें हैं यह यहां की मेन इन्डस्ट्री है, इस पर हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिये । अतः मेरी प्रार्थना है कि आप इस पर बहस कराने की आज्ञा दें । पता नहीं कैसे इसको आप नियम 52 में लेने के लिये राजी हो गये हैं ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इस पर एक रोज चर्चा करवा दूंगा ।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मैं यह कह रहा था कि बीसों लाख रुपया जनसंघ को मिलता होगा, मुझे तो 1 लाख रुपया भी नहीं मिला और न मैंने कोई इलेक्शन ही लड़ा है । और जब इलेक्शन लड़ने का वक्त आयेगा तो देखेंगे कि किसको मिलता है, मुझे या इन्हें ? यदि आप शुगर पर कोई चर्चा करवाना चाहते हैं तो कोई समय नियत कर दें ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, नागरवाला जनसंघ का नहीं है । क्या कारण है कि शुगर फैक्ट्रीज के बारे में आर्डिनेन्स की बात पार्लियामेंट सोच रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर रकम दी गयी होगी तो क्या मेरे सामने दी जायगी ? मिल मालिकों ने कहा कि हम आपको क्यों दें, बड़ी मुश्किल से हाल में गन्ने का दाम 11 1/4 किया गया है । जो किसान मांगता है वह उसे नहीं दिया जाता है लेकिन जो मिल-मालिक कहते हैं, उसे स्वीकार कर लिया जाता है। इन बातों से, उनके कहने से और अन्य परिस्थितियों से आखिर निष्कर्ष हम यही निकालते हैं कि जो मिल-मालिक चाहते हैं वह होता है न कि वह जो किसान चाहते हैं ।

श्री बांकेलाल—

जब इस प्रदेश में संविद की सरकार थी तो माननीय कमलापति त्रिपाठी जी चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण का बड़ा नारा लगाते थे लेकिन अब इन्होंन मिल मालिकों के साथ पक्षपात करके गन्ने का दाम 11 1/4 रुपया तय कर दिया । कहने को ये किसान के नेता बनते हैं लेकिन कार्य इनके किसान विरोधी हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें, मैं चर्चा करा दूंगा ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं केवल यह कहना चाहता था कि किसी बात को शोर मचाकर या हल्ला मचाकर सत्य साबित कर देना सत्य नहीं हो सकता। जब चुनाव होते हैं तब आप एक पैसा नहीं लेते अगर आप गंगा जल उठाकर कह दें तो मैं मान लूंगा। इस समय शुगर की कीमत पर चर्चा थी। नागरवाला और 20 लाख रुपये ये कहां से बीच में आ गये ।

(व्यवधान)

(श्री बांकेलाल द्वारा कुछ कहने पर)

अनन्तराम जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने शिष्यों को स्थिर करें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—"

मान्यवर, किसानों का खर्चा बराबर बढ़ रहा है और उनके बिल बकाया हैं, उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं कब कहता हूं। आप इस पर बहस कीजिये ।

श्री बांकेलाल—

मान्यवर, पंचायत के पहले रामकोला आदि मिलें बारह रुपये दे रही थीं लेकिन पंचायत करके हम लोगों की लड़ाई को बन्द कर दिया और किसानों का हक भी खत्म कर दिया गया ।

(व्यवधान)

श्री बांकेलाल—

आप लोग क्यों हल्ला कर रहे हैं । जो खुद ही दलबदलू हैं वे क्या हल्ला करेंगे ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, ये स्वयं गन्ना पैदा करते हैं। इनको दाम कम मिल रहे हैं। ये किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। चर्चा हो जायेगी तो कोई हर्ज नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

चर्चा स्वीकार कर ली है। माननीय मुख्य मन्त्री ने भी कह दिया है कि चर्चा हो जाय।

(व्यवधान)

श्री कमलापति त्रिपाठी—

भाई बांकेलाल जी, अकारण आक्षेप और शोर गुल करके क्या कह रहे हैं।

श्री बांकेलाल—

माननीय मुख्य मन्त्री जी यह शोर गल नहीं बिल्कुल सत्य है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, एक निवेदन और है। कल ऐसा हुआ कि आपन हमारा एक कामरोको प्रस्ताव जो विद्यार्थियों से सम्बन्धित था उसको आपने स्वीकृत कर लिया था लेकिन उपाध्यक्ष जी बाद में वहां बैठे उन्होंने उस पर असमर्थता जाहिर की। जब इन सवालों पर भी असमर्थता हो जाती है। इसी सिलसिले में इसलिए फिर से आपको दिक्कत पैदा न हो और जो छात्र हैं वे भी जेलों से बाहर निकल आय, आपको याद दिला दी है।

श्री अध्यक्ष—

इस विषय में नियम 52 के अन्तर्गत माधव प्रसाद त्रिपाठी जी की सूचना स्वीकृत है उस पर चर्चा स्वीकार कर ली है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, कल हम सब दल वालों की एक मांग थी कि इस विषय पर समय मुकर्रर हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इसको स्वीकार कर लिया है। इस पर चर्चा होगी। समय में मुकर्रर कर दूंगा।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, इनके प्रस्ताव को भी उसमें जोड़ लिया जाय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, आपने बड़ी कृपा की है। जो हमारे असन्तोष का कारण था उसको आपने स्वीकार कर लिया.....

(अध्यक्ष के अपने स्थान पर खड़े रहने पर)

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

मान्यवर, जब आप खड़े होते हैं तब किसी को खड़े नहीं होना चाहिये। जब तक आप न बैठ जायं तब तक किसी अन्य को बोलने का अधिकार नहीं है। मेरा प्वाइंट आफ आर्डर माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के खड़े होने पर था।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि जब से माननीय कमलापति जी मुख्य मन्त्री हुए हैं, यह बात आज मैं उनके स्वभाव के विपरीत देख रहा हूं। कारण पता नहीं क्या है। विद्यार्थियों पर चर्चा का आपने अवसर दिया वह तो होगी ही। लेकिन अकारण विद्यार्थी जेलों में हैं। उन पर लाठी प्रहार हो इस बात को स्वयं मुख्य मन्त्री जी कभी नहीं बरदाश्त करेंगे।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]
मेरा निवेदन है कि वातावरण शान्त करने के लिये उनको बिना शर्त छोड़ दें। ऐसा न करके मैं समझता हूं वह अपने स्वभाव के विपरीत कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

इसके लिये समय मुकर्रर करके मैं आपको बता दूंगा। बीच में से समय निकालना पड़ेगा।

श्री रामधारी शास्त्री—

18 से पहले जरूर हो जाय।

श्री कल्पनाथ सिंह—

समय आज शाम को बता दीजिये।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

मुख्य मन्त्री जी रिहाई के बारे में कुछ कहना चाहते थे।

श्री अध्यक्ष—

अब आगे चलिये।

1972-73 के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद

श्री अध्यक्ष—

सामान्य चर्चा कितने बजे तक होगी ?

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

चार बजे तक हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

तीन बजे तक रखें। राय लेने में भी तो समय लगेगा।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

तीन बजे तक कम रहेगा।

श्री अध्यक्ष—

तो साढ़े तीन बजे तक रख लीजिये। ठीक है, साढ़े तीन बजे तक जनरल डिस्कशन होगा, फिर डेढ़ घंटे में पारित हो जायगा।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हू। आज जो सप्लीमेंटरी बजट हमारे सामने लाया गया है उसकी वैधानिकता के सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना है। इसके साथ एक कन्टिनजेंसी ऐक्ट में भी अमेंडमेंट आया है और आकस्मिकता निधि बढ़ाने का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संशोधन है। वैसे तो हम वित्तीय मामलों के एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन उन्होंने लिखा है कि इतना हमने कन्टिजेंन्सी फण्ड से निकाल लिया है। तो हम यह कहना चाहते हैं कि पहले कन्टिन्जेंसी फण्ड पास होना चाहिये—फर्ज करें 50 लाख रुपया है और तब हम उसमें से कुछ निकालेंगे सप्लीमेंटरी लाकर हम पहले ही समाप्त कर दें? मान लीजिये इतना रुपया हम कन्टिजेन्सी फण्ड से निकालने का अधिकार देते है और कन्टिजेंन्सी फण्ड में इतना न हो..

श्री अध्यक्ष—

दस करोड़ रुपया कन्टिजेंन्सी फण्ड में मौजूद है। अब उसको बढ़ाने का सवाल है। वह तो बिल लायेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जो इन्होंने डिमान्ड किया है और जिसके कारण इसको बढ़ाना चाहते हैंतो क्या पहले..

श्री अध्यक्ष—

अगर कन्टीजेंसी फण्ड में से रुपया निकालना है तो जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक निकालेंगे कैसे ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

तो पहले एक्ट में संशोधन होना चाहिये। पहले उसमें रुपया होना चाहिये। मेरी आपत्ति यही है कि पहले कन्टीजेंसी फण्ड बढ़ाया जाय तब इनको निकालने का अधिकार दिया जाय।

वित्त मन्त्री श्री (नारायण दत्त तिवारी)—

मान्यवर, कन्टीजेंसी फण्ड का जो अधिनियम है उसमें 20 करोड़ रुपया निकालने का अधिकार पहले से ही विद्यमान है इसके अन्तर्गत 20 करोड़ से जो कम की धनराशि है वह इस बजट में लाई गई है। बजट में अधिक रुपया नहीं निकाला गया है और जितना अधिकार था वही निकाला गया है। भारत सरकार से 49 करोड़ सूखा राहत के लिये मिला और उसको तुरन्त सहायता कार्य में लगाने की आवश्यकता है और इसीलिए आवश्यकता है कि कन्टीजेंसी फण्ड बढ़ाया जाय। वह कहते हैं कि आपने खर्च ही नहीं किया तो आप क्यों रुपया मांगते हैं। जब मैं विधेयक प्रस्तुत करूंगा तब उस पर आप विचार कर लेंगे।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, आज सदन के सामने अनुपूरक मांगों के रूप में इस सरकार ने 64 करोड़ की मांग की है। इसमें श्रीमन्, आयोजनेतर मांग 49 करोड़ की है और योजना के अन्तर्गत करीब 15 करोड़ है। इस मांग से ही स्पष्ट हो जाता है कि इस सरकार ने खर्च को गैर विकास कार्यों में अधिक किया है और विकास कार्यों में खर्च बहुत कम किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो खर्च हुआ है जिसको यह सरकार समझती है कि उसका सदुपयोग हुआ है, क्या इस प्रदेश की आमदनी में वृद्धि हुई है और क्या जनता के जान-माल की हिफाजत हुई है? इस तरफ हमको अपना ध्यान आकर्षित करना होगा।

यहां पर मैं यह कह देना उपयुक्त समझता हू कि अभी हाल ही में अक्तूबर मास 1972 में इंडियन चैम्बर आफ कामर्स ऐंड इनडस्ट्रीज के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें कहा गया है कि हिन्दुस्तान में सबसे गरीब प्रदेश उत्तर प्रदेश है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

(इस समय 12 बजकर 51 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

उसमें यह भी लिखा गया है कि देश की 1/3 गरीब जनता जिसकी आमदनी देहात में 27 रु0 तथा शहरों में 40.7 रु0 है वह केवल उत्तर प्रदेश और बिहार में ही रहती है। ऐसे गरीब लोगों की संख्या उत्तर प्रदेश में कहा गया है कि 3 करोड़ 46 लाख है। इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कारण ही गरीबों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है।

मैं तो निश्चित रूप से यह कहूंगा कि जब से यह सरकार बनी है तब से इस देश में गरीबी बढ़ी है। इस सरकार का दृष्टिकोण गरीब और गरीबी के निवारण की तरफ कभी नहीं रहा है। इसका दृष्टिकोण है पैसा कमाना। उसकी पैसा कमाने की लत इतनी बिगड़ चुकी है कि आज सारे प्रदेश में यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हम क्या कहें जिस दल की यह सरकार है उस दल के लोग ही इस बात को सम्मिलित रूप से कबूल करते हैं कि इसी सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ाया है और लगातार उसको पनपा रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है और यह सरकार भ्रष्टाचार की जननी बन चुकी है। जब तक सारे देश और प्रदश में यह भ्रष्टाचार रहेगा तब तक विकास की गति धीमी ही रहेगी। जब तक यह सरकार रहेगी जो भ्रष्टाचार की जननी है तब तक विकास की गति निरन्तर घटती ही चली जाएगी। यह अच्छा हुआ कि मंत्रियों के आचरण को लेकर आपने सदन में चर्चा करने के लिए मौका दिया।

अब मैं एक दूसरी बात कहूंगा। जब से यह सरकार बनी तब से इसने किसान विरोधी नीति को अपनाया है। अभी हाल ही में, श्रीमन् सरकार ने एक अध्यादेश निकाला और उस अध्यादेश के माध्यम से सिंचाई की दरों में वृद्धि की गयी। एक तरफ तो सरकार कहती है कि सूखा है, केन्द्रीय सरकार से सूखा कह कर सहायता की मांग की जा रही है और दूसरी तरफ सिंचाई की दर बढ़ा दी है। सूखे में तो सरकार को सिंचाई की व्यवस्था सस्ती दर पर करनी चाहिए थी जैसे कि सन् 1967 में जब सूखा पड़ा था तो संविद सरकार का प्रसाद किसानों को मिला था। एक-चौथाई की छूट चाहे किसान कुआं खुदवाता था, चाहे किसान पम्पिंग सेट लगवाता था और चाहें निजी ट्यूबवेल लगवाता था सभी को मिलती थी लेकिन इस सरकार ने सूखे की स्थिति में भी क्या किया? इसने तो 20–25 प्रतिशत की सिंचाई की दरों में वृद्धि कर दी है।

सिंचाई की दरों के साथ ही साथ खाद के मूल्य भी बढ़े हैं और महंगाई इतनी बढ़ गयी है कि हमारी केन्द्र की सरकार ने खुद कबूल किया है पार्लियामेंट में कि इधर 6–7 महीनों में 15–20 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी है। यह सरकार विकास कर के नाम पर किसान पर कर लगा रही है। श्रीमन् कल इस सदन में सवाल आया था कि बिजली की कटौती क्यों की गयी। विद्युत् मंत्री ने उत्तर दिया कि किसानों के हित के लिए ऐसा किया गया था। मैं विद्युत् मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि क्यों उन्हें मालूम है कि बलिया और आजमगढ़ जनपदों में दोहरी घाट लिफ्ट केनाल से पानी मिलता है। उस लिफ्ट केनाल की बिजली की कटौती कर दी गयी। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम कटौती कर रहे हैं उद्योग-धंधों की किसानों के हित के लिए और दूसरी तरफ हमारे बलिया जिले में सुरहा ताल में बिजली की कटौती कर दी गयी। यह सरकार प्रदेश को अन्धकार में डाल रही है और यह सरकार किसान विरोधी सरकार है।

तीसरी बात मैं, श्रीमन् जान माल की हिफाजत के बारे में कहूंगा। जब से यह सरकार बनी है तब से इसने जान माल की हिफाजत की तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। 2 दिसम्बर को मैं आजमगढ़ जनपद गया था। मैं नौनारी गांव में पहुंचा। वहां हमारे साथ भूतपूर्व एम० एल० सी० श्री रऊफ साहब भी थे। वहां पर जाकर क्या देखते हैं कि एक नहीं 70 मुसलमानों के घरों को लूटा गया था और आग लगा दी गयी थी। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि पुलिस वहां पर उपस्थित थी। पुलिस की मौजूदगी का सबूत इससे मिलता है कि उसी गांव में इस घटना के पूर्व एक कत्ल हो गया था सीताराम और उसके भाई का। पुलिस इन्कार नहीं कर सकती कि वह वहां पर मौजूद नहीं थी। हमें यह बताया गया कि पुलिस ने 12 गोलियों के चलाए जाने का षड़यन्त्र रचा है। लेकिन श्रीमन्, यह पूछा जाय सरकार से कि गोलियां चली कहां। भीड़ लूट पाट कर रही थी, जला रही थी, 600 पशुओं और बकरियों को लेकर चले गये और पुलिस मूकदर्शक बनी खड़ी रही। जिस प्रदेश में यह हालत हो उस प्रदेश में सुरक्षा की भावना समाप्त होती जा रही है।

हमारे बलिया जिले में गुडारा ग्राम है। एक व्यक्ति हरिजनों को बुलाकर जिसमें औरतें थीं, ले गया और कहा कि जुनरी की बाल काटो। जब हरिजन और महिला बाल काट कर उनके दरवाजे पर ले गये तो उन पंडितों ने यही नहीं किया कि हरिजन को मारा बल्कि हरिजन महिला के साथ बलात्कार किया। मुख्य मंत्री जी को याद होगा कि जब चौधरी साहब मुख्य मंत्री थे तो यह आदेश था कि कोई व्यक्ति जैसी रिपोर्ट लिखायेगा रिपोर्ट लिखी जायगी लेकिन यहां हरिजन चोट खाकर बेहोश हो गया और अस्पताल में दाखिल हो गया। उसकी बेहोशी की हालत में दबाव देकर मुंशी जी ने जो रिपोर्ट लिखवाई है वह गलत थी। यह इस सरकार के जमाने में सुनने को मिल रहा है कि कोई आदमी चोट खाकर बेहोश हो जाय और अस्पताल में भर्ती हो जाय और जब उसके परिवार का कोई सदस्य रिपोर्ट लिखाने जाय तो उसकी रिपोर्ट 323 में लिखी जाय ।

अभी जब मैं आ रहा था तब मालूम हुआ कि जो अभियुक्त थे वे हाजिर हुए और उनकी जमानत भी हो गयी है सरकार के जो सरकारी वकील होते हैं उन्होंने विरोध भी नहीं किया। हाकिम ने फैसले में लिखा है कि ए0 डी0 जी0 सी0 और पुलिस के रवैये के कारण हम मजबूर हो जाते हैं ऐसे लोगों की बेल करने के लिए। श्रीमन्, अदालत ने कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पेश करो, जो रिपोर्ट लिखाई गयी है वह पेश की जाय या कोई अन्य रिपोर्ट हो तो उसे पेश किया जाय। लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने न तो पोस्टमार्टम और न दूसरी रिपोर्ट पेश की गयी। इस प्रकार अदालत मजबूर हो गयी निर्णय देने के लिए कि इनकी बेल कर दी जाय।

आज श्रीमन्, इस प्रकार की एक नहीं अनेक घटनाएं हैं। नगरा गांव में जुलाई में एक घटना घटी थी। जब एक औरत चिकित्सालय में दवा कराने गयी तो नगरा के कुछ गुंडों न जो कि चांडाल चौकड़ी के नाम से कहलाते हैं और जो कांग्रेस के अच्छे पदों पर सदस्य बने हुए हैं उस औरत को अस्पताल से खींच लिया और उसके साथ कमरे में व्यभिचार किया। उस औरत की मृत्यु हो गयी और स्थानीय पुलिस ने उस लाश को जबरदस्ती दफना दिया। डेढ़ दो महीने बाद जब मैं उस क्षेत्र में गया तो यह घटना मालूम हुई। जब हमने मीटिंग की और प्रस्ताव पास किया तो आप आश्चर्य करेंगे कि दो महीने बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई। और एस0 पी0 साहब ने कहा कि हमने तो 304 (1) का मुकदमा दाखिल कर दिया। आज क्या है? वह रिपोर्ट क्यों नहीं समय पर लिखी गयी और निश्चित था कि भारतीय क्रांति दल के सभापति उस क्षेत्र में न गये होते तो इस अमानुषिक कांड पर परदा डाल दिया गया होता। मैंने पूछा कि मुलजिमान के खिलाफ आपने मुकदमा दायर कर दिया? जो थानेदार मौके पर मौजूद था, जिसने

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

लाश दफनाने क लिए बाध्य किया है उन गरीबों को, उनके प्रति क्या किया ? थानेदार के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। ऐसा लगता है कि यह पुलिस राज हो गया है।

एक हमारे यहां 145 का मुकदमा था। अदालत ने निर्णय दे दिया रिवाइज करने क लिए। जब थाने में गया, थानेदार एक उपाध्याय हैं, उसने कहा कि सौ रुपया लाओ आदमी दौड़ कर मेरे पास आता है। मैं जब डी0 एस0 पी0 से उसकी शिकायत करता हूं तो और लोग भी बैठे हुए थे। खुले आम डी0 एस0पी0 ने कहा कि उपाध्याय हमारे मान का नहीं है। इसकी पहुंच बड़ी दूर तक है और बनारस तक तो काफी है। आज इस प्रकार के पुलिस के कार्य के अनेकों उदाहरण मिलेंगे कि पुलिस के बड़े अफसर आज अपने मातहतों के ऊपर कोई कार्यवाही करने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं। मैं समय पर इसके उदाहरण दूंगा जब चर्चा होगी। ऐसा होता है कि बड़े पुलिस अफसर ने आदेश किया कि थानेदार को यहां से हटा दिया जाय तो उसके हटने के पहले ही ऊपर से सरकार का आदेश होता है कि नहीं, इस थानेदार को वहीं रहने दिया जाय और वह वहीं भेज दिया जाता है या जाता ही नहीं है। ऐसे अनकों उदाहरण पुलिस के मुहकमें में मिलेंगे। इसका नतीजा यह हुआ है कि पुलिस के बड़े अफ़सर अपने को निस्सहाय समझ कर हम लोगों से कहते हैं कि हम क्या करें, नेता लोग तो सब कुछ करा रहे हैं। आज इस प्रकार की भावना से जो सारे प्रदेश में व्याप्त हो गयी है, असुरक्षा की भावना फैल रही है और निश्चित रूप से कहा जा सकता है पुलिस जैसी इस समय किंकर्तव्य-विमूढ़ हो गयी है वैसी कभी नहीं हुई और पुलिस का काम केवल एक रह गया है कि येन-केन-प्रकारेण पैसा कमाना और कुछ नहीं। जब कभी हमारे ऐसे लोग शिकायत करते हैं तो कहते हैं कि क्या हम लोग ही कमाते हैं मंत्री लोग और ज्यादा कमाते हैं, उनको क्यों नहीं देखते ? इस प्रकार का इस प्रदेश में वातावरण बन गया है।

इसके साथ ही आज चर्चा हो रही है छात्र आन्दोलन की, छात्र समस्या की। श्रीमन, यह सरकार इस छात्र समस्या की जननी है। संविद सरकार ने एक बिल पास किया, मुझको मालूम है, यूनियन के संबंध में और आश्चर्य की बात है कि जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी के उसमें शिक्षा मंत्री चतुर्भुज शर्मा थे जिन्होंने इस बिल को इस सदन में पेश किया था, लेकिन सस्ती लोकप्रियता और छात्रों की वाह-वाही लेने के लिए कौन सा नाटक रचा गया ? एक नाटक रचा गया कि विधान परिषद, से उसको पारित नहीं कराया गया और दूसरे उसको वापस ले लिया गया और वापस लेने का क्या अर्थ है ? क्यों रो रहे हैं ? आज छात्रों को क्यों बन्द किये हुए हैं।

अखबार में निकला था कि मुख्य मंत्री ने कहा है कि उनकी कुछ जायज मांगें हैं, जब उनकी कुछ जायज मांगें हैं तो मुझे आश्चर्य होता है और सरकार को इसमें शर्म आनी चाहिये कि उन जायज मांगों को सरकार या मुख्य मंत्री को मानने में क्या कठिनाई है। हमें विश्वास है कि अगर सरकार छात्रों की जायज मांगों को स्वीकार कर लें तो जो आज छात्रों में असन्तोष है, वह बहुत मानों में दूर हो सकता है। लेकिन यह सरकार उस असन्तोष को दूर करने के बजाय छात्रों में टुकड़े-टुकड़े कर रही है और राजनीति का घर छात्र बना दिया गया है। महात्मा गांधी की यह धारणा थी कि छात्रों को राजनीति से दूर रखना चाहिये। लेकिन आज कांग्रेस के लोगों ने छात्रों में राजनीति को घुसेड़ दिया है। नतीजा,आज चारों तरफ अशान्ति का वातावरण है।

सभी यह जानते हैं कि अधिकांश छात्र पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ही ऐसे हैं, चाहे भीतरी हों या बाहरी, जो विश्वविद्यालय तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं में राजनीति को घुसेड़ कर

अशान्ति का वातावरण बनाये हुये हैं। यह मानी हुई बात है कि उत्तर प्रदेश उद्योगों के मामले में पिछड़ा जा रहा है। इधर जो गिरावट उद्योग में हुई है उसका सबसे बड़ा कारण यह सरकार है। अभी हम निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा कल्याण बड़े उद्योगों से होगा या कुटीर उद्योग से होगा, हम अपना विकास विदेशी पूंजी या केन्द्र के ऋण से करें या जो हमारे पास अपने साधन हैं उनसे करें। नतीजा यह है कि इस उहापोह की स्थिति में हमारे उद्योग धन्धे नष्ट होते जा रहे हैं।

चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में इस सदन में बार बार चर्चा होती है। आज क्या कारण है इस सरकार के पास कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा रहा है। इस विलम्ब का असर सबसे अधिक इस प्रदेश के विकास पर पड़ रहा है। जितनी देर होती जा रही है, जैसा हमारे यहां कहा जाता है, मुख्य मंत्री जी को ठूंठ मिलेंगे क्योंकि मिलमालिक अच्छे अच्छे पुरजों को अपने कारखानों से हटाते चले जा रहे हैं। उत्पादन घटता चला जा रहा है, पेराई कम हो रही है। ऐसी परिस्थिति में सरकार ने वायदा किया है कि साढ़े 11 लाख टन चीनी तैयार करेंगे। मेरा ख्याल है कि अगर यह सरकार 9 और 10 लाख टन के बीच तक ही पहुंच जाये तो बहुत काफी है, 11 लाख टन तो कभी हो ही नहीं सकता।

थोड़े में मैंने शिक्षा, उद्योग और कृषि के बारे में अपने विचार प्रकट किये। साफ जाहिर है कि यह सरकार नागरिक के जान माल की हितैषी नहीं है, छात्र विरोधी है, किसान विरोधी है। इनके मंत्रियों के रोज़ दौरे ही होते रहते हैं। बलिया में एक राज्य मंत्री जी इतना दौरा करते हैं कि वहां के सारे कर्मचारी उसी में लगे रहते हैं, उनको अपना कार्य करने की फुरसत ही नहीं मिलती। तो इस तरह से काफी धन का अपव्यय हो रहा है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी––

माम्यवर, अनुपूरक अनुदानों से संबंधित नीति के विषय में हम अधिकांश चर्चा पहले बजट में कर चुके हैं, आगे जब बजट आयेगा तब भी विस्तार के साथ करेंगे और इस समय चूंकि समय कम है, दो चार मुख्य अनुदानों के संबंध में ही मैं संकेत रूप में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। मूलतः इस प्रदेश की गरीबी, आर्थिक स्थिति और इसके पिछड़ेपन को देखते हुये इस पर जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन में घटाव को देखते हुये जो मुख्य कदम सरकार को उठाने चाहिये थे वे उसने नहीं उठाये। पहला कदम इस सरकार को यह उठाना चाहिये था कि वह इस अनुपूरक अनुदान में कुछ संकेत कटौती की ओर भी करती। इसके विपरीत सरकार ने नान प्लान एक्सपेंडीचर को बहुत बढ़ा दिया है। अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार कहीं यह संकेत नहीं मिलता कि 5 परसेंट या 10 परसेंट की कटौती व्यय में की जायेगी।

मान्यवर, अभी एक घंटा पूर्व ही मुझे इसको देखने का अवसर मिला। इसमें एक दो आइटम्स तो ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता ही नहीं थी। जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के अन्तर्गत जो एक वित्तीय संस्था कायम की गयी है, इसकी मेरी समझ से कोई जरूरत नहीं थी। अपनी असफलताओं को देखते हुये ही आपने इसे कायम किया है। आखिर पहले इनका कार्य कैसे चलता था। मेरी समझ से जब पहले 25 वर्षों से काम चल रहा था तो आज इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी यह अनावश्यक है।

एक काम आपने सराहनीय किया है, यद्यपि दो तीन विभागों में ही किया है कि वित्तीय सलाहकार की आपने वहां नियुक्ति की है। यह अच्छा काम किया है। चूंकि समय कम है, जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन इतना व्यापक है कि इस समय अधिक कहना सम्भव नहीं है, इसलिये मैं बहुत संक्षेप में ही कहूंगा। जन-जीवन को प्रभावित करने वाली जितनी भी मुख्य मुख्य बातें हैं उनकी ओर आपने कतई ध्यान नहीं दिया है। ला एण्ड आर्डर की हालत दिन पर दिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

खराब हो रही है, हरिजनों के साथ ज्यादती वैसी ही होती आ रही है, सिंचाई की दरें वैसे ही हैं, विद्युत संकट वैसा ही है, कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्य प्रशासन में आप बिलकुल असफल रहे है। अभी बनारस की एक सभा में बोलते हुये माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि आज 50 फी सदी जनता ऐसी है जो दोनों वक्त भोजन नहीं कर पाती।

भोजन के अलावा जन जीवन की मर्यादा, बहू-बेटियों की मर्यादा, आज किसी चीज की मर्यादा सुरक्षित नहीं है। कोई भी खाली दिन ऐसा नहीं निकलता, जिस दिन न निकले कि इस रेल में डकैती हुई, अमुक व्यक्ति के रुपये लिये गये, 11 आदमी मार डाले गये, घर भर समाप्त कर दिया गया, वगैरह वगैरह। श्रीमन्, अभी आपने नियम 51 या 52 में स्वीकार किया है—हरिजनों के साथ जो घटना हुई है जो चौधरी साहब ने कहा है तथा छात्राओं के साथ जो लज्जाजनक घटना हुई है। यह एक प्रमाण है, कि सरकार ला ऐण्ड आर्डर मेन्टेन करने में असफल रही है। ऐसी हालत में कैसे कोई योजना सफल हो सकती है।

कानून व्यवस्था की यह दुर्गति देखते हुए मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल असम्भव है कि सरकार किसी भी दिशा में प्रगति कर सके—चाहे वह एलोकेशन आफ फण्ड कितना भी करे। ला ऐण्ड आर्डर की स्थिति संभालना मुख्य समस्या है। आज हमारी पुलिस कैसी हो गई है, इसके हमारे पास दो प्रमाण हैं। कुछ केन्द्रीय अधिकारी मेरठ या बुलन्दशहर आए किसी बड़े खाद्य पदार्थ के व्यापारी के यहां जांच करने के लिए, किन्तु उसे हमारे यहां के पुलिस अधिकारियों ने रोक लिया, पैसा लिया और व्यापारी से मिल गये। और उन्होंने कहा अपना आइडिन्टी कार्ड दिखाओ। उन्होंन यह भी दिखाया, तिस पर भी उन्होंने कह दिया हम तुमको नहीं मानते। तो इस तरह से कैसे ला एण्ड आर्डर मेन्टेन हो सकता है। हमारी पुलिस के पास आज रुपया पैसा तो बहुत हो गया है, लेकिन उसके पास कर्तव्य भावना नहीं रह गई है। हमारे प्रशासन का मस्तिष्क दषित हो गया है और जब मस्तिष्क ही दूषित और अकर्मण्य हो गया है तो शरीर कैसे ठीक से काम कर सकता है। हमारा मंत्रिमंडल स्वयं योग्य और सक्षम नहीं है, तो उसके अन्डर में काम करने वाले कैसे सक्षम और योग्य हो सकते हैं। मुगलसराय में बहुत से व्यक्ति पकड़े गये, फिर छोड़ दिये गये, पूरे प्रदेश की जनता जानना चाहती है वे कि क्यों छोड़ दिये गये। वहां रेलवे माल का बहुत बड़ा पिलप्रेज बहुत अर्से से होता रहा है, यदि वे इसमें पकड़े गये थे तो पूरा मुकदमा चला कर ही उन्हें छोड़ना चाहिए था। ला ऐण्ड आर्डर नहीं है और मैं इस स्थिति से बिल्कुल निराश हूं।

एक दूसरी बात मैं न्याय-प्रशासन के बारे में कहना चाहूंगा। इसकी बड़ी तारीफ होती थी कि जूडिशियरी बिलकुल डिमोरेलाइज नहीं है, इंडिपेंडेंट है, वह रुपया पैसा नहीं लेती, राजा और प्रजा के बारे में भी कोई बात होती है तो यह स्वतन्त्रता पूर्वक अपना निर्णय देती है। इसका मुझे भी बड़ा अभिमान था और मैं जुडिशियरी के मान के लिए लड़ता भी था।

लेकिन मेरा अभिमान मिट गया। प्रधान मंत्री जी ने न्याय प्रशासन के बारे में बहुत कुछ कह डाला। उसमें काफी परिवर्तन कर डाला, उनके मंत्री कुमारमंगलम साहब ने कह दिया कि यह इत्तिफाक है, तमाम एकदम से जज हो जाते हैं। उन पर समय समय ऊपर से छींटाकशी की गई और यह उनके बारे में कहा गया कि ये हमारे प्लान की सफलता के मार्ग में बाधक होते हैं। उन्होंने आज उनको और उनके मान को नीचे डुबो दिया है। वह एक दम से, इत्तिफाक से जज हो जाते हैं, तो उन्हें चीफ मिनिस्टर क्यों रिकमेण्ड करते हैं। इसका नतीजा यह है कि इनएफीशिएन्सी और अकुशलता वहां भी पहुंची।

न्याय प्रशासन से यदि सबका विश्वास उठ गया तो भविष्य में क्या होगा, इस पर विचार कीजिए। 63 हजार मुकदमे बाकी पड़े हैं। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आपने इस सम्बन्ध में गरीबों के लिए क्या किया, आपने गरीबों की हेल्प के लिए क्या किया, मुकदमें में खर्च करने के लिए आपने क्या किया? आज आपने हर चीज हिण्डालको बना दी है—किसानों को बिजली सस्ती नहीं देंगे, लेकिन हिण्डालको को देंगे। छोटे आदमियों के साथ आपकी कोई सहानुभति नहीं है, इस पर आपको विचार करना है।

ला कमीशन ने बार बार रिपोर्ट किया। किसी ने चिन्ता नहीं की कहां सुधार करें। यह तो सोशल सर्विसेज में है कि गरीब को न्याय मिले गरीब को न्याय नहीं मिलता है और इस शासन में कभी नहीं मिला।

तीसरे शिक्षा के बारे में आना चाहता हूं। आपने बड़ी कृपा की है आपनें समय दिया है शिक्षा के सम्बन्ध में हम बात करेंगे। आज शासन पक्ष के लोग कहते हैं कि शिक्षा को राजनीति दलों ने अपना घर बना लिया है। इस पहलू को रख दूं। सन् 42 से हमने उनको बनाया है हमारी प्रधान मंत्री जी खड़ी हुईं, तो सारे विद्यार्थी हमारे पक्ष में हो गये। हमने उनको बनाया मीठा मीठा गप कड़ुवा कड़ुवा थू।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

एक बात त्रिपाठी जी को बताऊंगा। अभी हमारे नेता जनसंघ के पंडित अटलबिहारी जी ने अपनी स्पीच में यह कहा, अखबारों में निकला था, कि विद्यार्थियों के मामले में जितने हमारे राजनीतिक दल हैं उनको ट्रूस कर लेना चाहिए, इससे क्या यह भावना नहीं निकलती है कि कुछ बन गया है राजनीतिक दलों का, आपका ही नहीं, हमारा और सब का?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं कहने जा रहा था। पंडित जी ने पहले कह दिया। मेरी प्रकृति में है कि मैं पहले अपना कुसूर स्वीकार करता हूं। सारा समाज देखता है। सबसे बड़ी संस्था कांग्रेस है। उसमें सबसे बड़े इस प्रान्त में पंडित जी हो सकते हैं और केन्द्र में प्रधान मंत्री हो सकती हैं। जब कांग्रेस विद्यार्थियों के दल बनाकर चलती है तो छोटे-छोटे दलों का आकर्षित होना आवश्यक है। मैं मानता हूं, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं बिल्कुल अछूता बना हुआ हूं। लेकिन एक बात जरूर है, कोई भी विद्यार्थी हो, उसका हृदय बड़ा कोमल है। वह उस पेड़ की तरह है जिसको काट कर चाहे शेर बना दो, या डाकू बना दो। सनातन से चला आया है कि हम छोटे की गलती को माफ करते हैं। बालक के पास विवेक नहीं होता है। बी० ए० की डिग्री करके भी उच्छृंखलता करता है उसको हम दंड देते हैं। लेकिन उसकी पढ़ाई में शोषण नहीं करते। ऐसे वायसचांसलर को भेजें जो पालिटीशियन-कम-वायसचांसलर हो, जो हमारे दल से सम्बन्धित हो।

इलाहाबाद में पटरी नहीं बैठी, इसलिए कोई परमानेंट वाइस-चांसलर नहीं बनाया। बनारस यूनिवर्सिटी में एक वाइसचांसलर आया। उसने एक धारणा बना ली। पहले शान्तिपूर्वक वद्यार्थी बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सारी बातें मान ली हैं, अखबार में निकलता है, हमारे बीच में आकर घोषणा कर दीजिये। हम सब शान्त हो जायं। उस पर फायरिंग होती है, गोली चलती है। शेल्स फायर किये जाते हैं। यह कोई शिक्षा की नीति, विद्यार्थी आन्दोलन को संभालने का तरीका है। विद्यार्थी आन्दोलन बनारस और इलाहाबाद का नहीं है। सारे देश का है। 25 वर्षों में, जो बच्चा पैदा हुआ वह कलेक्टर, डिप्टी हो जाता। देश के चरित्र को उठाने का प्रयास किया? गंगा, राम का नाम आता है तो आंख सिकुड़ जाती है। विद्यार्थी का भविष्य अन्धकारमय कर दिया। आपने ऐसी शिक्षा नहीं दी

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

जिससे वह अपना जीवकोपार्जन कर सके। लाखों टेक्निकल पर्सन्स बेकार पड़े हुए हैं। आपकी शिक्षा नीति कैसी है ? आप यूनिवर्सिटी के कटघड़े में खेलना चाहते हैं।

लखनऊ यूनिवर्सिटी के वायसचांसलर ने एक कमाल दिखलाया। विद्यार्थियों को बाट कर प्रशासन करो। हू इज दि बेस्ट वायसचांसलर ? हू कैन मनूवर मोस्ट, हू कैन डिवाइड स्टूडेंट्स मोस्ट। क्षमा करेंगे। अंग्रेजी में जोश में कह गया। वापस लेता हूं। पहले आग लगा दी विद्यार्थियों को फंसाने के लिए बाद में विद्यार्थियों को फंसा दिया गया। आज यह स्थिति हो रही है, क्या असर पड़ेगा हमारे विद्यालयों पर ? अटल बिहारी जी ने जो कहा है उसके सामने मैं नतमस्तक हूं। विद्यार्थियों को बुलाइये आप स्वयं बैठिये, आप की योग्यता तथा सज्जनता को मैं मानता हूं। इसका हल आप निकालिये।

श्री कमलापति मिपाठी--

विद्यार्थियों के मामले पर जब ढाई घंटा चर्चा करनी है। अभी सारी बात कह दीजियेगा तो उस समय क्या कहियेगा और इस समय मैं भी उनका उत्तर कैसे दे सकूंगा ?

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

तब तक और कारगुजारियां हो चुकी होंगी।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

कारगुजारियों से आप भी बहुत परिचित हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

25 वर्षकी कहानी 25 मिनट में कैसे कह सकूंगा लेकिन पंडित जी की आज्ञा मान कर मैं इसे यहां समाप्त करता हूं। आपने एक निदेशालय स्थापित करने की सोची है। उसके लिये पैसा चाहिये। डिग्री कालेज के लिये अलग होगा। मूल की दवा नहीं की, ऊपर से टोपी आप पहना रहे हैं। आप देखें कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक सर्कुलर भेजा गया कि अध्यापकगण आर्टिकिल न लिखें, कोई नुक्ताचीनी नहीं कर सकते, चीफ मिनिस्टर तथा सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। किधर यह हवा जा रही है ? यह हवा डिक्टेटर शिप की ओर जा रही है।

अब मैं शिक्षा के विषय को छोड़ कर गरीबों के खाद्य तथा रसद के विषय पर आता हूं। गरीबों की चिन्ता यह सरकार करेगी जो स्वयं हड़प जाय सारी चीजों को। चीनी की जितनी दूकानें चलती हैं उनमें आधे से ज्यादा का ब्लैक होता है। लेजिस्लेटर्स अपने नाम से भिन्न-भिन्न आदमियों की दूकानें दिलवा देते हैं और 400, 300 रुपया फी दूकान लेते हैं। मेरी बात मान कर मेरे जिले बस्ती की जांच कराइये। मेरा नाम भी देखें। हालत यह है इस विभाग की कि पहले मैं खा लूं तब प्रबन्ध करूं। किस को किस की रखवाली दी जाय ?

मोटे कपड़े का कंट्रोल किया गया। 1 नवम्बर के पहले क्यों नहीं सीज किया ? जिस दिन से लागू किया उससे पहले बेंच डाला और लाखों रुपया कमा लिया गया। उसमें कुछ इलेक्शन फंड में गया होगा। राशन की दूकान पर जो चीज लेने जाइये उसे आप खुले बाजार में ले लीजिये। यह गरीबों के साथ हमदर्दी है और यह खाद्य तथा रसद की हालत है ? दुर्भिक्ष सहायता हेतु आपने 10 करोड़ रुपया मांगा है। भारतवर्ष पर बड़ा भारी कलंक है कि यहां हमेशा दुर्भिक्ष पड़ा करता है। उत्तर प्रदेश में तो हमेशा ही दुर्भिक्ष पड़ता है और सूखा तथा

बाढ़ का प्रकोप होता है और ऐसा होने पर अधिकारी बड़े धनी हो जाते हैं। 4 रुपया देते हैं और 14 लिखते हैं। मेरे जिले में जांच हो रही है। 10 करोड़ रुपया दुर्भिक्ष सहायता के लिये लिया जा रहा है। 5 करोड़ व्यक्तियों में उसे बांटना है जो दोनों वक्त भोजन नहीं पा पाते और आप देखें कि यह 10 करोड़ रुपया एक आदमी पर 2 रुपया आकर पड़ता है।

सरकार को इसकी चिन्ता नहीं है कि गरीब के लिये भोजन का प्रबन्ध कैसे होगा, कैसे बेकारी दूर होगी। उनके पास कोई खेती नहीं है तो वह क्या खायेंगे। मालूम होता है आपने बहुत ज्यादा रुपया उनके लिये रख दिया है। मुझे मालूम है कि आप ज्यादा रुपया इकट्ठा नहीं कर सकते हैं किन्तु फिर भी 2 रुपये प्रति व्यक्ति आपके हिसाब से आता है। इस दो रुपये में वह रोटी, दाल व नमक खा ही नहीं सकता है। दाल तो वह खा ही नहीं सकता है। यदि उसकी छत पर लौकी न हो तो वह रोटी चावल ही पर अपना जीवन निर्वाह करे। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कहीं तो बैल के पेट से निकले हुये गेहूं की रोटी वे खाते हैं।

मान्यवर, एक बात हरिजनों के बारे में भी कहना चाहता हूं। हमने अपने आन्दोलन में हरिजनों की समस्या प्रमुख रूप से रखी है। इसको देख कर हमारा हृदय बड़ा दुखित होता है। इसके लिये हम सभी दोषी हैं। समाज का वह वर्ग कलंकित है। क्या उन पर बीत रही है। मैं हिन्दू समाज से अपील करूंगा कि वह हरिजनों के इस कलंक को मिटायें। मैं पूछता हूं कि क्या वे हाड़ मांस के नहीं हैं? वे भी हाड़ मांस के हैं। हमें उनमें कोई मतभेद नहीं रखना चाहिए। यह हमारा परम पुनीत कर्तव्य होना चाहिए। हमने 25 वर्षों तक क्या किया है। उन्हें खुशहाल बनाने के बजाय उनकी हत्या तक हो जाती है। यदि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी हुई होती तो वह कमर कस कर काम करता किन्तु वह भी हालत उनकी गिरी हुई है। यह किसकी जिम्मेदारी है। यह किसी से छिपा नहीं है कि हमने शेडयूल्ड क्लास वालों के लिये आज तक क्या किया है।

एजूकेशन डिपार्टमेंट की मैं बात करता हूं कि वहां पर कितना रुपया अनयूटिलाइज्ड रह जाता है और यही हालत लगभग हर डिपार्टमेंट की है। किसी भी प्रकार का न्याय इस हरिजन क्लास को नहीं मिलता है। इसका कारण यह है कि जो शोषण करने वाला क्लास है वह उसको शोषित किये हुये है और वह इसलिये कि हरिजन क्लास शोषित होने की स्थिति में है। हरिजन क्लास की बहू-बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है वह भी किसी से छिपा नहीं है। हरिजन क्लास आज मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित है। हमारे एक मित्र ने नौतारी का उदाहरण दिया। मैं भी वहां पर जांच करने गया था। वहां पर दो हरिजन थे और उन्होंने अपनी सुविधा के लिये वहां पर एक मन्दिर बनवाया। वहां पर बहुसंख्यक, मुझे आप ऐसा कहने के लिये क्षमा करेंगे, मुसलमान थे जिन्हें आप अल्प-संख्यक कहते हैं। वहां पर यह चीज बरदाश्त न हो सकी। वहां पर कई हत्यायें मन्दिर के बारे में हुईं। वहां पर एक दयाराम नामक व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हो गये थे उनकी किसी एम0एल0ए0 और एम0एल0सी0 की साजिस से हत्या कर दी गई। उन दोनों हरिजनों के घरों में घुस कर उनका पल्ला पकड़कर उन्हें निकाला गया। उनके घर की सारी चीजें हटा दी गईं। मान्यवर, यह मेरा कथन नहीं है, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो कहना है उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं। योजनाबद्ध रूप से उन्हें मारा गया।

तो कहने का मतलब यह है कि जो लोग दिन रात मजदूरी करके अपनी दिनचर्या निभाते हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। हमें इस समस्या की गहराई में जाना चाहिए चाहे वह मुसलमान हो, हिन्दू हो, क्रिश्चियन हो, जनसंघी हो अथवा कांग्रेसी हो आज हमें इस कलंक को जो कि हमारे समाज पर लगी हुई है उसे दूर करने के लिये विचार करना पड़ेगा। चाहे आप मानें या न मानें, यह सब देखकर मेरा हृदय रोता है। विद्यार्थी काल में भी जो

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

मोटा सोटा अनाज हमारे घर में होता था उन्हें अपने हाथ से खिलाता था। इसमें अपनी प्रशंसा की बात नहीं है। उनको खिलाता था, ब्राह्मण को नहीं खिलाता था। मेरी मां बड़ी कंजर्वेटिव थीं जो इसे पसन्द नहीं करती थीं लेकिन मैं उनको अपने ही हाड़-मांस का समझता था और उनके साथ वैसा ही व्यवहार भी करता था। गोविन्दपुरी में क्या हुआ, बलिया में क्या हुआ ? हरिजनों को जिन्दा जला दिया गया। मुझे तो वाराणसी का समाचार जानकर बड़ा दुख हुआ। माननीय मुख्य मंत्री जी जो वाराणसी में ही रहते हैं, मैं जानता हूं कि उनके हृदय में उनके लिये सहानुभूति होगी लेकिन मुझे रिपोर्ट मिली है कि वहां पुलिस वालों का भोजन बना तो वहां के सवर्ण पुलिस वालों ने कहा कि पहले हम खाना खा लें उसके बाद हरिजन कांस्टेबिल खायेंगे।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह बात सही नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह बात सही नहीं है तो ठीक है, लेकिन अखबारों में ऐसा निकला है। सरकारी अधिकारी गण ने जो सूचना भेजी होगी उसके आधार पर आप ऐसा कहते हैं लेकिन आप ही बतलायें कि कितने व्यक्तियों को आपने हृदय से लगाया है, उनके सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिये आपने कौन सा कदम उठाया है, आपने उनकी दवा के लिये, उनके भोजन के लिये क्या प्रबन्ध किया है। उनको आपने जमीन दी ? उनके लिये किसी पहलू पर भी आपने काम किया ? एक बड़ा दुखद प्रसंग है कि आज हमारी पुलिस वाले और अधिकारी वर्ग हरिजनों के साथ जिस प्रकार से इनडिफरेन्स दिखलाते हैं कि आजमगढ़ में एक आदमी की हत्या की गयी और कोई व्यक्ति आज तक पकड़ा नहीं जा सका। आज 14 प्रतिशत हरिजन हमारे प्रदेश में रहते हैं लेकिन उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता है उससे भगवान ही उनकी रक्षा कर सकता है। उनकी आहों से जो काम हो सकता है वह डंडे के जोर से नहीं हो सकता।

अब मैं चिकित्सा के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। आज उत्तर प्रदेश में यहां की गरीब जनता पर फी व्यक्ति एक आना ही चिकित्सा के नाम पर खर्च होता है। यह मैं नहीं कहता कि किसी को सुविधा न दी जाय लेकिन आपकी कैसी नीति है, गरीबों के लिये आपने क्या किया। जो उच्च अधिकारी हैं, मंत्री हैं उनके ऊपर आपकी बड़ी कृपा है लेकिन उन गरीबों के लिये जिनका टैक्सेशन के रूप में 84 प्रतिशत कांट्रीब्यूशन है प्रदेश को उनके जीवन के लिये केवल एक आना ही दवा पर खर्च करने को रहा ? मैं यही कहूंगा कि आप गरीबों की चिकित्सा के सम्बन्ध में भी विचार करें।

सिंचाई की हालत यह है कि बजाय खेतों की सिंचाई होने के आपका यह डिपार्टमेंट ही गरीबों द्वारा सींचा जा रहा है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ अधिक नहीं कहूंगा। सरकारी नीति से सिंचाई की कीमत बढ़ गयी है। बिजली के बारे में बार बार कहा गया है कि हिंडालको को कम कीमत पर बिजली न दी जाय लेकिन मुझे तो आश्चर्य हुआ कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ने कहा कि सरकार से रुपया इसलिये मिलता है कि हिंडालको को बिजली दी जाय। उनके दिमाग में रोटी, चावल वगैरह जनता के लिये अत्यावश्यक नहीं है बल्कि अल्मुनियम का बनना अधिक आवश्यक है जिससे ट्रांसमिशन लाइन निकले और गरीबों के पेट को काट कर कुछ लोग करोड़पति हो जायं। हो सकता है कि इलेक्शन के लिये उनसे दो करोड़ रुपये मिल गये हों। किसान ही है जो सबसे बड़ा मार्केट प्रोवाइड करता है, लेकिन उनको बिजली न देकर बड़े लोगों को

बिजली दी जा रही है। आप किसानों को बिजली न देकर हिंडोरकों को बिजली देने को तैयार हैं और इसके लिये दुनिया भर की दलीलें पेश करते हैं। आज कहा जाता है कि हम किसानों के बड़े भारी संरक्षक हैं लेकिन सरकार की सारी नीति किसान विरोधी है जिससे उनका आर्थिक जीवन त्रस्त है। इन शब्दों के साथ मैं इस सप्लीमेंटरी बजट पर अपना विचार समाप्त करता हूं।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अनुपूरक अनुदान सरकार की ओर से उपस्थित किया गया है उस पर नीतिगत चर्चा जितनी हो उससे अधिक चर्चा उन मुद्दों की है जो सरकार ने उपस्थित किये हैं और नीतिगत चर्चा यदि समय रहा तो देख लेंगे। लेकिन कुछ मुद्दे हैं जिनके बारे में हम चाहेंगे कि सरकार उनका स्पष्टीकरण कर दे।

गोरखपुर के मदनमोहन इंजीनियरिंग कालेज के बारे में कहा गया कि 170 एकड़ जमीन एक है और 30 एकड़ जमीन एक है, यानी 200 एकड़ जमीन किसानों से ली गई इस कालेज को खोलने के लिये और वह जमीन आज भी ज्यों की त्यों अनुपयुक्त पड़ी हुई है। सरकार ने कहा कि साढ़े चार साल के लिये पट्टे पर 84 हजार रुपये में दी गई थी। वह जमीन बाद में जिसका कोई लेने वाला नहीं था, उसकी सरकार ने क्या व्यवस्था की है। सरकार ने यह व्यवस्था की कि उसने 49 लाख हजार रुपया अनुपूरक अनुदान में मांगा है। बाकी सात लाख रुपया यह सरकार खर्च करने वाली है। इस पर, जिस पर 19 हजार रुपया सरकार अलग से खर्च करेगी अगर औसत देखा जाये तो जो पिछला औसत पट्टे पर था वह यह था कि 84 रुपये प्रति एकड़ सरकार को आमदनी हुई थी और अब यह रुपया खर्च करके सरकार 80 रुपये प्रति एकड़ आमदनी करेगी। 200 एकड़ जमीन गोरखपुर शहर में किसानों की ले रखी है और इतना रुपया खर्च करना चाहती है। मेरी समझ में नहीं आता है कि जितनी जमीन सरकार ने ली है उसका वह उपयोग नहीं कर सकते हैं। वह कहते हैं कि 30 एकड़ जमीन का यह उपयोग में ला सकते हैं और 170 एकड़ जमीन का उपयोग नहीं कर सकते हैं, समझने में कठिनाई होती है। यह सदन से चाहते हैं कि जिस व्यवसाय के लिये, खेती करने के लिये जमीन ली गई थी, उसको मदनमोहन इंजीनियरिंग कालेज के प्रशासक मंडल को अधिकृत कर दिया जाये कि वह खेती कराये। यह वहां के प्रधानाचार्य को खेतिहर बनायेंगे, इंजीनियरिंग कालेज के छात्रों से कृषि का कार्य करायेंगे या कृषि का छात्र बनायेंगे। इसके माने यह हैं कि इनके दिमाग में सफाई नहीं है। यह एक अनुदान सरकार की ओर से पेश किया गया है उसके अनुदानों का यह नमूना नम्बर वन है।

इसी प्रकार श्रीमन्, शिक्षा विभाग के संबंध में एक बात और कहना चाहता हूं। बंगलौर में वहां के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष को वहां हिन्दी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिये हमारे प्रदेश की सरकार सहायता दें। दक्षिण में हिन्दी के प्रसार बढ़े यह बात तो ठीक है। लेकिन क्या यह कार्य उत्तर प्रदेश की सरकार ही करे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सभी प्रदेशों की सरकार यह काम कर रही हैं या नहीं। अगर नहीं कर रही है तो अकेले उत्तर प्रदेश की सरकार ही क्यों करे? लेकिन अगर करना भी है विश्वविद्यालय की सहायता इस काम के लिये तो मैं केन्द्रीय सरकार के लिये पूछना चाहता हूं कि इस सरकार ने केन्द्रीय सरकार से पूछा कि फलां यूनिवर्सिटी ने हमसे यह अनुदान मांगा है? क्योंकि यह ऐसी नीति का प्रश्न है जिसमें केन्द्रीय सरकार की हिन्दी विरोधी नीति पर आंच आती है।

केन्द्रीय सरकार सीधे सीधे जितने अनुदान देती है और हिन्दी को प्रसार का माध्यम बनाती है तो केन्द्रीय सरकार का माध्यम बनने के बाद इस सरकार से पैसा मांगने की गुंजायश

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनाथ सिंह]

न होती। हमने बंगलौर की बात मान ली लेकिन हैदराबाद में या आन्ध्र में भी वही काम आप करने जा रहे हैं और वहां की यूनीवर्सिटी को भी पैसा देने की बात है। मैंने सुना है कि आंध्र में और खास तौर से हैदराबाद में, आंध्र अलग होने के बावजूद हिन्दी अच्छी तरह से बोली जाती है और उर्दू बोलने वाले वहां अच्छी तादाद में हैं, हिन्दी उर्दू वाले सभी लोग वहां मौजूद हैं। हैदराबाद को लखनऊ से ज्यादा फर्क कर के देखना उचित न होगा भाषा के लिहाज से। लेकिन वहां भी वही बात है।

हिन्दी की प्रगति के लिये यह सरकार हैदराबाद यूनिवर्सिटी में खर्चा करेगी। एक नीतिगत सवाल है, सवाल यह नहीं है कि यह प्रदेश वहां इतना पैसा खर्च करे या न करे लेकिन जिन नीतियों के तहत आप काम करना चाहते है वह सफल हो या न हो लेकिन दूसरे प्रदेशों के लोगों के मन में यह बात आयेगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार धीरे धीरे यूनिवर्सिटी और वहां की अन्य संस्थाओं के मामलों में या हिन्दी के लिये घुसपैठ की बात कर रही है और इससे हिन्दी का हित नहीं बल्कि अहित होगा। यह काम अगर केन्द्रीय सरकार करती और इन कालेजेज के हिन्दी विभागों को वह अनुदान देती और हिन्दी के प्रसार और प्रोत्साहन के नाम पर देती कि जो राष्ट्र भाषा के प्रसार का कार्य करेंगे उनको विशेष अनुदान दिया जायगा तो शायद यह शंका किसी के मन में उत्पन्न न होती। हम नहीं जानते कि किन परिस्थितियों में अनुपूरक अनुदान की शक्ल में इसको लिया जा रहा है। अगर नीति ही बनाना थी तो सामान्य वार्षिक बजट में यह सरकार इसको लाती और 7 दिन तक ग्रान्टवाइज चर्चा में इस पर हम विचार करते। यह बात हमारी समझ में नहीं आती कि अनुपूरक अनुदान में इस तरह से इसको लाने की कौन सी आवश्यकता हो गई? आपने जो काम शुरू किया इसकी कहीं कोई सफाई इस साहित्य में नहीं है।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग ने अपनी एक और शाखा खोल लिया और उसने आकस्मिकता निधि से पैसा निकाल कर अपने काम में लेना शुरू कर दिया। मैं यह तो मान सकता हूं कि सूखे, बाढ़ या अन्य किसी दैवी आपदा के समय कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाय कि तत्काल इस सदन से सरकार के लिये रुपया मंजूर कराना कठिन हो जाय तो उस हालत में आकस्मिकता निधि का प्रयोग किया जाय पैसा निकालने के लिये तो बात कुछ समझ में आ सकती थी लेकिन सदन की बैठक चलती हो, सामान्य बजट चलता हो और प्लान की सारी बातें तय हो रही हों तो पहले ही से आकस्मिकता निधि से पैसा निकाल कर खर्च कर लेना उचित नहीं है। यह इस सदन में इस तरफ और आप की तरफ बैठने वाले लोगों के मन में सन्देह पैदा करता है। पास हो जायगा यह अनुदान, मैं यह मान लेता हूं, लेकिन आप जिस परम्परा का सृजन कर रहे हैं, इस पर मेरी घोर आपत्ति है।

श्रीमन्, इसी प्रकार से गोरखपुर में विशाल नसबन्दी शिविर 22 जनवरी से आरम्भ हुआ। तभी उसमें कुछ लोगों को टिटनेस हुआ और मर गये। उसके कई महीने बाद अर्थात् जुलाई या अगस्त में जब कि पिछले वर्ष का बजट स्वीकार हुआ इनको होश नहीं आया कि जो लोग जनवरी में मरे, उनके आश्रितों को 1-1 हजार रुपया अनुदान के रूप में दिया जाय। जब गत वर्ष के बजट में पास हो गया तब इन्हें याद आयी कि उन आश्रित व्यक्तियों को 1-1 हजार रुपया देना है। पैसा तो पहले ही दे दिया गया है लेकिन उसको रेग्युलेराइज करने के लिए 13 हजार रुपया आकस्मिक निधि से निकाल कर लेना चाहते हैं। पैसा आप दे देते हैं। लेकिन फिर आप चले आते हैं, संख्या के बल पर कि हमें पैसा दे दीजिए। यह, श्रीमन्, इनके कार्य करने का तौर-तरीका है जिसका उदाहरण मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं कि किस प्रकार से संख्या के बल पर ये वित्तीय अनियमितताओं का अनसरण कर रहे हैं और किस

प्रकार हर मामले में सारे कायदे कानून, सारी मान्यताओं और परम्पराओं को ये रौंद कर रख देना चाहते हैं।

इसी प्रकार से मैं आपका ध्यान एक और बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। न केवल उन्होंने यह काम किया है अपितु सरकार के ऊपर जो फिजूलखर्ची का आरोप है उसका नमूना भी इनकी मांग में शामिल हैं। आज तक जितनी भी सरकारें प्रदेश में रही हैं, किसी सरकार को इस प्रदेश में हैलीकोप्टर खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। बड़ी से बड़ी बाढ़ आयी, बड़े से बड़ा सूखा पड़ा परन्तु तत्कालीन सरकारों ने उनका सामना किया लेकिन मौजूदा सरकार बिना हैलीकोप्टर के काम नहीं कर सकती है। मेरा विचार है कि जो लोग हैलीकोप्टर का शौक मिटाना चाहते हैं, दिल्ली में भी उनकी सरकार है, चुनाव में भी हैलीकोप्टर का प्रयोग होता है, वहां चले जायं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

शौक नहीं लेकिन हैलीकोप्टर की जरूरत क्या आप नहीं समझते हैं? आवश्यकता होती है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैं नहीं समझ पाया हूं कि हैलीकोप्टर की आज कैसे आवश्यकता बढ़ गयी है? उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि दिल्ली में जो प्रधानमंत्री हैं, वे बहुत से मंत्रियों को शायद अपने यहां बुला लेना पसन्द करें तो जिनका यहां पर शौक पूरा न हो वे वहां जाकर पूरा कर लें लेकिन यह साफ-साफ सरकार के धन का अपव्यय है। वित्त मंत्री जी कहते हैं कि 1974 में आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, मेरी प्रार्थना है कि उनके मुंह में घी शक्कर। लेकिन अगर उन्होंने खरीद लिया है तो मेरे सामने कठिनाई होगी कि पब्लिक मनी का दुरुपयोग कैसे रोका जायगा?

इसी प्रकार इन्होंने और क्या किया है। जरा गौर करें वातानुकूलित स्थान बनाये बिना उसमें रहे बिना, इस सरकार का काम चलने वाला नहीं है। प्रदेश में करोड़ों-करोड़ों जनता झोपड़ियों में रहती है और यहां जो अफसर बन जायेंगे और गरीब जनता का नुमाइन्दा कहने का जो दावा करते हैं उनका क्या कहना है। जो खप की टट्टियां लगती थीं उन खस की टट्टियों में आग लग जाने के भय से स्थान को वातानुकूलित किया जाना है। क्योंकि बिना वातानुकूलित किये इस सरकार का काम चल नहीं सकता और मैं समझता हूं कि यह सरकार एक तरफ गरीबों के ऊपर टैक्स लगाती है और दूसरी तरफ इस तरह फिजूलखर्ची करती है। एक तरफ इन्होंने किसानों के ऊपर सिंचाई का रेट एक दम सवाया कर दिया और दूसरी तरफ वातानुकूलित कमरों में रहने के लिये और वातानुकूलित कमरों को सुसज्जित करने के लिये हमसे अनुदान चाहते हैं। श्रीमन्, अगर मैं मिनिस्टर होता तो हरगिज-हरगिज ऐसे अनुदान पेश न करता और काटकर रद्दी की टोकरी में फेंक देता।

श्रीमन्, इसी प्रकार आप देखिए और क्या हो रहा है। सरकार ने अब प्रचार का सहारा लिया है। हर तरफ समाजवाद समाजवाद और समाजवाद का प्रचार हो रहा है। समाजवाद का प्रचार दिल्ली से आल इंडिया रेडियो से और इन अखबारों से करने से काम नहीं चल रहा है। यह क्या करने जा रहे हैं। हर जिले में सूचना विभाग के माध्यम से कुछ ऐसे कर्मचारी मुकर्रर किये जायेंगे जो न केवल पत्रकार हैं उन्हीं को नहीं, सम्पादकों से भी अपना संपर्क करेंगे। वे इनका फोटो छापेंगे और फिर इनका यशोगान होगा। जैसे कि देवकी नन्दन विभव ने पर्चा छापकर बांट दिया। यह परम्परा तो दिल्ली से शुरू हुई। त्वरित योजना चालू हुई प्रधान मंत्री द्वारा संचालित, अब होगी मुख्य मंत्री कमलापति त्रिपाठी द्वारा संचालित और फिर होगी वित्त मंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी द्वारा संचालित। यह ऐसा ही है जैसे कि

[श्री कल्पनाथ सिंह]
राजाओं के यहां भाट हुआ करते थे पेड सर्वेन्ट्स की तरह। ये भी जिले-जिले में पेड सर्वेन्ट्स रखना चाहते हैं।

(इस समय 2 बजकर 3 मिनट पर अधिष्ठाता श्री शिवराज सिंह पीठासीन हुए।)

लेकिन इनका उतने से ही काम नहीं है। अब ये विवेकाधीन धनराशि चाहते हैं। मुख्य मंत्री के अलावा यह ग्रान्ट सूचना मंत्री को चाहिये बगैर इसको अपने पास रक्खे काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि वे अपना यशोगान इसके बगैर नहीं करवा सकते हैं। इसलिये उन्होंने इसका बजट में प्राविधान किया है। मैं जानना चाहता हूं कि इसकी कौन-सी जल्दी पड़ी हुई थी जिससे इनको अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता पड़ गई थी।

श्रीमन्, जैसा मैंने पहले कहा दुर्भिक्ष सहायता के सिलसिले में मैं इस अनुदान का पूरा समर्थन करता हूं कि दुर्भिक्ष सहायता के लिये जो अनुपूरक अनुदान लाया गया है मैं उसका समर्थक हूं लेकिन शिकायत इस सिलसिले में मुझको यह है कि दुर्भिक्ष से संबंधित जितना बड़ा सूखा पड़ा जो बाढ़ आई, जो नुकसान हुआ उसको देखते हुए जो धनराशि सरकार खर्च करने की बात करती है और जितनी बड़ी धनराशि सरकार मांगने की बात करती है, यह कम है।

यही नहीं मेरा यह भी कहना है कि जिस प्रकार इस कार्य में पक्षपात किया गया है कम से कम उस पक्षपातपूर्ण नीति को छोड़िए। श्रीमन्, मैं जिस जिले से आता हूं उस जिले के हमारे उपमंत्री जी, राजस्व विभाग मौजूद थे, इधर हमारे राज्य मंत्री श्री यादवेन्द्र सिंह जी भी मौजूद थे, राजस्व मंत्री जी और राजस्व सचिव भी मौजूद थे,। सारे लोगों ने एक स्वर से कहा कि गोरखपुर कमिश्नरी को सूखा पीड़ित क्षेत्र घोषित करें मेरा चार्ज है इस सरकार पर कि इस सरकार ने भेदभाव पूर्ण नीति के कारण सारे अधिकारियों विधायकों और जनता के प्रतिनिधियों की राय के खिलाफ इस अनुपूरक अनुदान में भी उस क्षेत्र को अकाल पीड़ित क्षेत्र घोषित करके सहायता करने की बात नहीं की है। यह टैस्ट वर्क वहां खोलते हैं जहां सत्तारुढ़ दल के लोग चाहते हैं। यह सहायता वहां करते हैं जहां सत्तारुढ़ दल के लोग चाहते हैं। और बाकी जगह पर इनकी उपेक्षा की नीति है। आज आप लोग उपेक्षा कर लें, लेकिन मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस प्रकार आप जनता की उपेक्षा कर रहे हैं जनता भी इसी प्रकार आपकी उपेक्षा करेगी, वह हर्गिज छोड़ने वाली नहीं है।

मेरी निगाह संयोग से सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी पर चली गई, सामने बैठे हैं, उनके मुहकमे की भी बात कहना चाहता हूं। समझ में नहीं आता कि सार्वजनिक निर्माण विभाग को सड़क के निर्माण में अनुपूरक अनुदान की क्यों जरूरत पड़ गई। श्रीमन, बड़ा विरोधाभास है। प्रथम पृष्ठ पर ही वित्त पत्रिका जो कहते हैं कि किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान उस वर्ष के लिये अधिकृत व्यय से अधिक व्यय के संबंध में भुगतान करना पड़ता है इसके लिये आवश्यकता होती है या ऐसी नई मदों के संबंध में भी अनुपूरक मांग पेश करनी पड़ती है जिसके लिये मूल आय-व्ययक में कोई व्यवस्था न हो, तो इन दो में से कौन सी बात है? एक अनुदान मैंने देखा है जिसका आकलन पहले से बढ़ गया। तो बढ़ तो आ जाना चाहिये। लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग में अगर नई मदें आती हैं, कौन-सी सड़क बनाएं, कौन-सी न बनाएं इसके लिये कौन आवश्यकता पड़ गई अनुपूरक अनुदान की?

श्रीमन, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं सामान्य प्रशासन से संबंधित तथा पुलिस प्रशासन से संबंधित, मेरी बदकिस्मती है कि मुख्य मंत्री जी अभी तक तो थे लेकिन अब चले गये हैं, अगर मैं जानता तो मैं उनके सामने ही इसको कह देता। नक्सलपंथियों के नाम पर दो-दो बटैलियनें सृजन कर दी गई हैं जिनकी साज-सज्जा आदि के लिये आप अधिक व्यय करना चाहते हैं लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि आप जिस पुलिस महकमें के लिये रुपये की मांग कर रहे हैं उसकी कारगुजारी की भी आप जरा देखें। उसका काम डाका डलवाना, कत्ल करवाना और चोरी करवाना है, आज यही चीजें बढ़ रही हैं।

अधिष्ठाता महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि । मैं एक पत्र जिसकी प्रतिलिपि मेरे पास भी आई है और जो अध्यक्ष, विधान सभा उत्तर प्रदेश लखनऊ को लिखा गया है उसके बारे में बतलाना चाहता हूं। यह पत्र श्री जे० पी० गुप्त, एम० ए० एल० टी०, प्रधानाचार्य, वहलपार, गोरखपुर के द्वारा लिखा गया है । उनकी शिकायत है कि उन पर गोली चलाई गई । इस पत्र की प्रतिलिपि उन्होंने माननीय राधाकृष्ण गोस्वामी, पुलिस मंत्री, माननीय मुख्य मंत्री जी, गृह सचिव, श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, श्री सालिगराम जायसवाल, श्री उमाशंकर दीक्षित, चौधरी चरण सिंह तथा मेरे पास प्रेषित की है । वह कहते हैं कि उनको गोली मारी गयी और पुलिस ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की है । उनकी यह भी शिकायत है कि यह गोली उनको पुलिस की साजिश से मारी गई । पुलिस ने इसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं किया । यह तो एक नमूना है । यह भी लिखा है कि इसके पूर्व भी मैंने बहुत सी शिकायतें की हैं परन्तु उन पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

मान्यवर, अधिक मैं इस मामले में नहीं कहना चाहता हूं । आज तो यह हालत है कि प्रशासन एक दम से पंगु हो गया है । आज रत्ती भर भी मंत्रियों का कन्ट्रोल आफिसरों पर नहीं रह गया है । आफिसर की तानाशाही मनमानी हो गई है । आज तो यह दशा हो गई है कि प्रशासन नाम की कोई भी चीज हमारे प्रदेश में रह नहीं गई है । कोई भी प्रशासन रहा हो लेकिन इससे ज्यादा रद्दी प्रशासन किसी भी सरकार का नहीं रहा । जनता को किसी प्रकार की राहत न तो मिली है और न इस शासन से आगे भी मिलने वाली है । लोगों को तो यह धारणा होती जा रही है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार नहीं रह गई है ।

श्रीमन्, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह कहा जाता है कि अपव्यय हो रहा है वह यथार्थ है । इस विषय पर कोई भी अपनी तरफ से एक बात भी कहना नहीं चाहता है । यह 70.71 की आडिट रिपोर्ट है । इसमें माननीय विद्युत मंत्री जी के बिजली महकमें के विषय में बतलाऊं कि गोरखपुर से बाराबंकी तक जिस बल्ली के पंहुचाने का व्यय 8 रु० था उसको 16 और 17 रु० में फी बल्ली के हिसाब से आपने अभियन्ता से दिलवाया । मैं यह जानना चाहता हूं कि जब से सरकार की नोटिस में वह बात आयी तब से आज तक सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया है कि उसने क्या कार्यवाही की है । मैं सीधे-सीधे वित्त मंत्री से और इस सरकार से जानना चाहता हूं कि उन अफसरों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है जिन्होंने अधिक पेमेन्ट किया है । यह कोई एक मिसाल नहीं है, अनेकों मिसालें इस आडिट रिपोर्ट में मिलती हैं ।

एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा । आप आडिट रिपोर्ट के पृष्ठ 165 पर 9वें अध्याय को देखें जिसमें लिखा है । 1965–66 में आपत्तियों की संख्या 4972 थी और उनमें कुल 119.04 लाख रुपये की रकम सम्बन्धित थी । सन् 1970–71 में 4,972 की जगह 34572 आपत्तियां हो गयीं और 119 लाख रुपये की जगह पर 2899 लाख रुपये की धनराशि सम्बन्धित हो गयी । करीब-करीब 2,900 लाख रुपये इनवाल्व हो गये । यह स्थिति किस प्रशासन और कार्य क्षमता की द्योतक है । आपत्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है और आप उस पर कोई कन्ट्रोल नहीं कर पा रहे हैं । मैं इसका कारण मंत्री जी व सरकार से जानना चाहता हूं । यह सरकार तो अनुपूरक अनुदानों को भी पाने की हकदार नहीं है । अगर ये बकाया की धनराशि को ही वसूल कर लेते तब भी कोई बात मेरी समझ में आती । जितनी आपत्तियां थीं उनको खत्म कर देते तब भी कोई बात होती और मैं समझता कि यह सरकार काम करने वाली है । तब हम इस सरकार पर अपव्यय का और कुनबापरस्ती का चार्ज नहीं लगा सकते थे, मगर ऐसा नहीं हुआ ।

जेहि गिरि चरन देहि हनुमन्ता
चला सो गा पाताल तुरन्ता ।।

जब से श्रीमान जी ने अपना चरण रखा है तब से इस प्रदेश का सत्यानाश कर दिया । एक ही मामले में नहीं बल्कि हर मामले में वही क्रिया-कलाप अपनाया गुटबाजी, पार्टीबाजी ।

[श्री कल्प नाथ सिंह]

इनमें ये दक्ष रहे हैं । काम करने की इन्हें फुरसत नहीं रही । और यही कारण है कि यह इतना अपार बहुमत होने के बाद, केन्द्र और सारे प्रदेशों में इनकी सरकारें होने के बाद, असेम्बलियों से भागने लगे हैं । इसका कारण यह है कि आज यह अपनी पार्टी के झगड़ों में अधिक फंसे हुए हैं ।

सरकारी काम इनके बस का रह नहीं गया । यही नहीं श्रीमन्, इसका एक उदाहरण है । खाद्य मंत्री जी चले गये । उनके महकमें में गल्ले की वसूलयाबी करने का फैसला किया गया था और उसके मुताबिक इन्होंने कुछ गल्ला खरीदा और अब एक लम्बी चौड़ी फेहरिस्त ले आये कि सीनियर मारकेटिंग इंस्पेक्टर चाहिये, रीजनल मारकेटिंग इंसपेक्टर्स चाहिये । यह इतनी बड़ी लिस्ट इसलिये लाये कि उनको तनख्वाह देनी है और उसकी यहां से स्वीकृत चाहिये । श्रीमन्, आप देखें कि फैसला पहले किया कि खरीददारी करनी है । जनरल बजट में खरीददारी के लिय रुपया मांग लिया । अब आपको याद पड़ता है कि हमको इनकी तनख्वाह भी देनी पड़ेगी । जब तनख्वाह देने की बात सामने आयी तो कह दिया होगा कि बिना असेम्बली । की स्वीकृति के तनख्वाह नहीं दी जा सकती इसलिये उसे यहां लेकर चले आये । वरना तो इस सरकार ने समझ लिया था कि जैसे चाहो वैसे करो, जब चाहो तनख्वाह दो, जब चाहो असेम्बली के सामने आओ और अगर न चाहो तो न लाओ । यह श्रीमन् इनके मनमानेपन का नमूना है ।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज प्रदेश की जनता का रत्तीभर भी विश्वास इस सरकार के ऊपर नहीं रह गया है । लोग इस बात को अच्छी तरह से समझने लगे हैं कि इसके क्रिया कलाप और काम करने का तरीका क्या है । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अनुदानों में जो मदें इन्होंने ली हैं अगर सब के बारे में कोई कमेटी सदन की छानबीन करके भेजती तो इनके ऊपर कुछ अंकुश होता लेकिन जिसको फाइनेन्स कमेटी कह सकते हैं वह हमारे सदन में नहीं है । उससे भी इनका पिंड छुटा हुआ है । दूसरी कमेटी है उसके सामने यह कभी नहीं ले जाते ।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

क्या आपके सामने कोई सप्लीमेंटरी बजट पहले नहीं आया या यह कि अगर किन्हीं सेवाओं की आवश्यकता पड़ी हो तो उनका प्रावीजन सप्लीमेंटरी बजट में न किया हो ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

आपने ठीक कहा । फिजूलखर्ची का बजट या ऐयाशी का बजट किसी सरकार ने पेश नहीं किया । इस सरकार ने ऐयाशी का बजट पेश किया है । उचित सप्लीमेंटरी ग्रान्ट का मैंने सीधे-सीधे समर्थन और अनुमोदन किया है और उसका नाम है 'दुर्भिक्ष सहायता' । पांडेय जी आप कहां तक इस सरकार की वकालत करेंगे । वह आपके साथ भी न्याय नहीं करती आप यह जान लीजिये कि जो इनका हितू है वही इनका दुश्मन है और जो इनके दुश्मन हैं उनको ही अपना हितू समझते हैं । यह ब्लैक मार्केट को, भ्रष्टाचार अफसर को अपना दोस्त समझते हैं लेकिन जो ईमानदारी की बात करेगा, सच्चाई की बात करेगा उसको यह दुश्मन समझते हैं । पांडेय जी, क्षमा कीजियेगा आप भी उसी के शिकार हैं ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार जिस स्थिति में है उस स्थिति में दुर्भिक्ष सहायता के अतिरिक्त एक भी पैसा पाने की हकदार नहीं है । और इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इनकी सारी बातों को देखें । अब मुझे एक ही बात कहनी है कि लेबर मुहकमा लेबर लीडर श्री जी0 डी0 बाजपेयी और मुख्य मंत्री जी के पास है । लेकिन इसमें संदेह नहीं है कि वह लेबर लीडर नहीं हैं और मुझको इसमें भी संदेह नहीं है कि यह सरकार मजदूरों के हितों का ढिंढोरा पीटे बगैर रहेगी नहीं । वह आंसू बहाती है और इन्होंने मजदूरों से सम्बन्धित कुछ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के लिये अनुदान मांगा ।

गोरखपुर में एक खाद का कारखाना है अधिष्ठाता महोदय । वहां मजदूरों ने कहा कि हमारी अमुक-अमुक मांगें हैं, हम अपना महाप्रबन्धक से सीधे, बगैर किसी बाहरी नेता के बात करना चाहते हैं और महाप्रबन्धक का यह हुक्म हुआ कि जब तक आप सत्ताधारी बाहरी नेताओं के साथ नहीं आओगे तब तक हम आप से बात नहीं करेंगे और फिर सत्ताधारी दल के दो तीन नेता पंहुच के लगे भाषण करने कि नोटिस वापस लो, मुझको तो सीधे-सीधे दल की सरकार ने भेजा है तुम्हारे हक के लिये, चलों मैं तुमसे बात करा दूं तुम जो चाहो बात कर लो । लेकिन मजदूरों ने कहा कि हम इनसे सीधे बात करेंगे अपने मैनेजर से । नतीजा यह हुआ कि लेबर ने हड़ताल का नोटिस दिया । तब इन्होंने कहा कि यह इंटक की यूनियन का नोटिस है या दूसरी यूनियन का है ? जब दोनों यूनियनों ने मिल कर एक संघर्ष समिति बना लिया तो कहते हैं कि हम तो अलग-अलग यूनियनों से बात करेंगे, दोनों की एक संघर्ष समिति से नहीं । यह आज लेबर मिनिस्टर साहब के साये में हो रहा है ? उनकी कंसीलिएशन मैशीनरी और ट्रायब्यूनल्स सब क्या कर रहे हैं ? जब देखा कि इससे काम नहीं चल रहा है तो बगैर किसी नोटिस के,न तो मैनेजमेंट के लोगों ने कहा कि हमारा मामला ट्रायब्यूनल में भेज दीजिये,न मजदूरों ने कुछ कहा और इन्होंने उनकी मांगों में कुछ मांगों को ट्रायब्यूनल में भेज दिया यह कहने के लिये कि इनकी हड़ताल गैर-कानूनी है, इनका मामला तो ट्रायब्यूनल में पंहुच गया । मांगों में से कुछ बातें भेज देते हैं और कुछ बातें छोड़ देते हैं । यह सरकार का नमूना है ।

साथ ही साथ इस सरकार को मैं मजदूर विरोधी ठहराता हूं । यह सरकार क्या करती है ? जब हड़ताल हो जाती है तो लाठी और बन्दूकधारी पी0 ए0 सी0 मजदूरों के एक-एक मकान को घेरे पड़ी थी । उनके बच्चों को बाजार में जाना दूभर हो गया था । करफ्यू में भी वह हालत नहीं होती है जो गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाने के मजदूरों की हुई । और इससे भी जब उनका मनोबल नहीं तोड सके तो उन्होंने सारे लोंगो को विभिन्न मुकदमों में, यहां तक कि डकैती तक फर्जी मुकदमों में लोगों को जेल में ठूंस दिया, यहां तक कि हड़ताल टूटने के बाद भी कुछ लोगों को बन्द कर के भेज दिया । कहा कि अभी यह सजायाफ्ता हो कर जेल से नहीं आया है, इसको जेल में झलरा रोटी खिलाने के बाद काम पर लेगें । यह सरकार पुलिस के बल पर मजदूर आन्दोलनों को कुचलवाती है, उन पर झूठे मुकदमें कायम करवाती है । ऐसी हालत में मजबूर हो कर यह कहना पड़ता है कि वह दिन दूर नहीं जब आग के शोले भड़केंगे और जनाब को जाना पड़ेगा । ऐसी हालत में इस सरकार, जिस पर विश्वास नहीं रह गया है, जिस पर सीधे-सीधे पक्षपात, पार्टीबाजी और मजदूरों के दमन का आरोप है, की लेबर ग्रांट को समर्थन देने के लिये मैं कतई तैयार नहीं हूं ।

अधिष्ठाता महोदय, उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि मेहरबानी करके आप हमारी बातों का समर्थन करें। हाउस में न करें, मैं यह नहीं कहता हूं कि एक बार आप डिफेक्टर बन कर इधर से उधर चले गये तो फिर डिफेक्टर बन कर उधर से इधर चले आइये, लेकिन जहां आप हैं वहीं बैठ कर इस सरकार पर अंकुश लगाइये क्योंकि अगर मजदूर विरोधी नीति, गरीब विरोधी नीति इस सरकार की चलती रही तो इन मंत्रियों की न कहिये इनके पास तो धन्धे हैं, ये पार्टी को चलाने के बहाने भी लखनऊ की सैर करते रहेंगे लेकिन आप, लोगों को न विधान सभा दिखाई पड़ेगी और न यह सदन। आप इस सरकार पर अंकुश रखिये, इसको भ्रष्टाचारी होने से बचाइये और मजदूरों, गरीबों और आम जनता के हित में ऐसा बजट पेश करने के लिये मजबूर कर दीजिये जिससे सचमुच में समाजवाद की गन्ध आती हो । इस बजट में तो पूंजीवाद की गंध आती है । इस सरकार का दिमाग साफ नहीं है । इनकी त्वरित योजनाओं से हर्गिज-हर्गिज इस प्रदेश की गरीबी और बेकारी दूर होने वाली नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं इस अनुपूरक अनुदान का घोर विरोध करता हूं ।

श्री राजमंगल पांडेय—

क्या ये यादवेन्द्र सिंह को दंडित करना पसन्द करेंगे ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप उनकी वकालत कब से करने लगे । वे तो चुप हैं ।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, यह अनुपूरक बजट पेश करके यह सरकार एक प्रार्थी के रूप में इस सदन में खड़ी है । मेरा निवेदन है कि यह सदन इसे पास न करे क्योंकि इस सरकार से कोई भलाई नहीं हो सकती है । जो कुछ है उसे भी सम्भाल सकना इनके बस की बात नहीं रह गयी है । माननीय वित्त मंत्री जी बिजली मंत्री भी हैं । जहां तक बिजली का सम्बन्ध है, उसकी उत्पत्ति और खच दोनों में ही यह प्रदेश महाराष्ट्र, तामिलनाडु, बंगाल, पंजाब तथा हरियाणा आदि प्रदेशों से बहुत पीछे है । अखबारों में यह छप गया है कि विद्युतीकरण में, देहात में, उत्तर प्रदेश सबसे आगे है । मान्यवर, बेहयाई की भी कोई हद होती है । इन्हें शर्म भी नहीं लगती है ।

आपने अभी देखा कि इसी राजधानी में दिन में 8 बजे से दो बजे तक बिजली गायब रहती थी और देहात में रात को 8 बजे से दो बजे तक । लेकिन अखबारों में छपता था कि देहात में हमारा प्रदेश विद्युतीकरण में सबसे आगे है । अभी तक यह दूसरों को इसी तरह से धोखा देते रहे क्योंकि खुद भी धोखा खाते रहे । इसलिये कोई सुधार नहीं हो सका । इनको आज बिजली की कमी को स्वीकार करना चाहिये । उसके क्या कारण हैं उसको ढूंढना चाहिये और उसके हल के लिये कोई प्रयास करना चाहिये । अगर इसके कारणों में आप जायेंगे तो भारत सरकार का विदेश व्यापार विभाग भी आ जायेगा क्योंकि जो मशीनें लगी हैं वे या तो अमेरिका से आयी हैं या रूस से । जब भी इनका उन देशों से कोई सौदा होता है तो उसमें वे लोग एक शर्त लगा देते हैं। वे शर्त ही नही लगाते बल्कि हिन्दुस्तान की नाक तक रगड़वा देते हैं ।

आपने देखा कि अमेरिका के दबाव में इनको एक बार रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा पी० एल० 480 की जो दशा हो रही है वह आप देख रहे हैं । जो मशीनें इनको मिलती हैं वे सब आउट मोडेड होती हैं और यहां उनको कोई ठीक कर ही नहीं पाता । वहीं के इन्जीनियर्स उसको ठीक कर सकते हैं । वे सभी पुरानी दी जाती हैं जो वहां काम की नहीं रहती । तो यह स्थिथति है । यहां के इन्जीनियर्स अपनी अकुशलताके कारण उसे ठीक ही नहीं कर पाते नतीजा हुआ, वह बिल्कुल काम नहीं दे रहे हैं । जितनी उनकी शक्ति थी, वह पूरी इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन जबतक थी उसमें भी निरन्तर घटती होती जा रही है । चाहे आपके मिर्जापुर का हो, चाहे आपके भाखरा-नंगल का हो—सबका एक जैसा हाल है ।

अभी मालूम यहां तक हुआ है कि तारापुर का जो एटामिक पावर वाला है वह भी काम नहीं कर रहा है इस तरह से एक भयंकर स्थिति बिजली को लेकर पैदा हो गई है । हरियाणा और पंजाब स्टट्स जो सरप्लस में थे वह भी संकट में शायद पड़ने जा रहे है । इसमें आखिर दोष किसका है । आपके टेक्निकल अफसर थे, बड़े-बड़े लोग थे, उनको आपको पकड़ना चाहिये था और सजा देना चाहिये था । यहां पर सदन में हुए सवाल जवाब मौजूद है । हरदुवागंज के बारे में जवाब दिया गया था कि वहां पर हुए वायलर की खरीद के बारे में, वहां पर आउट-डेटेड वायलर लगाया गया था । उसमें यह हुआ था कि यदि यह प्रापर फंक्शन न करे तो कम्पनी को एक मौका दिया जाये कि उसको दुरुस्त कर दे, और उसके बाद भी वह ठीक न हो तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाय । वह खराब लगाये गये, उनका काम अब तक चलता रहा । मुख्य मंत्री जी का जवाब मौजूद है, श्री देशमुख जी के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि उन व्वायलर्स के कारण एक करोड़ रुपये का हर साल नुकसान होता रहा है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राज मंगल पांडेय––

वह तो चौधरी साहब के जमाने की बात है।

श्री अनन्तराम जायसवाल––

किसी के जमाने की हो। यह बात कोई और कहता तो अच्छा लगता, लेकिन आपके मुंह से इस तरह की बात शोभा नहीं देती। यह फैक्ट है, चाहे चौधरी साहब के समय का हो, चाहे कमलापति त्रिपाठी जी का हो और चाहे गुप्ता महाराज का हो। इस तरफ उनका ध्यान क्यों नहीं गया? और जिन्होंने ऐसी कर्यवाही की है, उनके खिलाफ कार्यवाहीं क्यों नहीं हुई ? ऐसा मालूम पड़ता है कि इस देश के पैसे से किसी का मतलब न रह गया हो, मालूम पड़ता है कि जैसे बाप की बपौती का माल हो, लूट रहा है किसी का ध्यान न जाये। कई चरण उनके पूरे होने थे, वे अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। यह भी कहा गया, कोल सप्लाई की भी बात है। जिस तरह का कोल चाहिये वह वहां सप्लाई नहीं हो पाता। आप कहते हैं कि कोल नहीं मिलता है और नारायण दत्त जी कहते हैं कि जिस क्वालिटी का कोल उन्हें चाहिये वह मिलता है। बहरहाल यह जांच का विषय है। क्वालिटी आफ कोल नहीं मिलती है और समय पर सप्लाई नहीं मिलती है।

यहां तक मामला गया है कि 100 वैगंस कोल चलता है, तो उसमें से 21 बैगंस कोल चोरी चला जाता है। आखिर इन सब कारणों की जांच कौन करेगा? आप करेंगे या दिल्ली की सरकार करेगी ? लेकिन इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप एक कारण बताते हैं कि पानी नहीं बरसा, कम पानी बरसा, इस कारण यह हो रहा है। आप पुराने इतिहास को देख लीजिये, रिहन्द डैम की अंग्रेजों के वक्त में जांच हुई थी। वह समझते थे कि पानी के सहारे सिर्फ इसे नहीं चलाया जा सकता है, इसलिये उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। फिर यहां के लोगों ने कैसे तय कर दिया और इस साइट को चुना गया, जिसके ऊपर डिपेंड नहीं किया जा सकता। फिर इतना कम पानी भी नहीं बरसा, 65–66 व 66–67 के मुकाबले इस साल वैसा सूखा भी नहीं हुआ।

असली चीज यह है कि लोग अकुशल व अक्षम हैं। जिनकी जिम्मेदारी है अच्छा कोयला समय पर पहुंचाने की वह उन्होंने नहीं किया है। आप समझिये गवर्नमेंट का माल हजम करने और सार्वजनिक सम्पत्ति को लूटने में इन लोगों को मजा आया है। और उसी को ले कर जांच करायी जाय तो यह भी मिलेगा कि विदेशों में लोगों के बैंक बैलेंस खुल गये हैं चाहे चीफ इंजीनियर हों या चीफ सेक्रेटरी रहे हों। और आज देश को उसका फल भुगतना पड़ रहा है।

विद्युत् मंत्री का ध्यान उस तरफ नहीं गया। खाली एक बात कहूंगा। किसी भी विद्युत् मंत्री के लिये एक ही रास्ता था कि वह इस्तीफा देता। लेकिन उसकी परवाह नहीं की गयी। वह अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा पाये इसलिये हटते और दूसरा सक्षम आदमी उनकी जगह पर आता। दोषी लोगों को पकड़ता और जल्द से जल्द इस मामले को ठीक करता। बिजली पर खेती निर्भर है, उद्योग चलते हैं, शहर के पंखे और रोशनी उससे होती है। बिजली का इन्तजाम सही न होने के कारण अकेले आगरा में खाली सेल्स टैक्स में 40 लाख रुपये की कमी आयी। वहां ऐसे उद्योग भी हैं जो विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। उत्पादन घटा होगा, उसकी वजह से बिक्री घटी होगी। उसके कारण सेल्स टैक्स की मद में खाली 40 लाख रुपये का नुकसान हो गया। वहां पर पुरानी मार्टिन बर्न कम्पनी हैं। उसका इसी दिसम्बर में टेकिंग ओवर हो रहा है। वह समझती है कि हम जा रहे हैं इसलिये कोई दिलचस्पी नहीं लेती। एक नया पैसा लगाने को तैयार नहीं है। उसकी उत्पादन क्षमता बराबर गिरती जा रही है। या तो हटा देते और अपना नया इंतजाम करते। न उसको मजबूर किया न आपने इंतजाम किया नतीजा यह है कि यहां का उद्योग, खेती चौपट हो रही है। दूसरे शहरी जीवन पर असर पड़ रहा है। लेकिन इस बजट को लेकर बैठते हैं और कहते हैं कि विद्युतीकरण में हम सबसे आगे।

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

समझ में नहीं आता कि कहां रहते हैं नारायणदत्त जी । महाराष्ट्र आगे है । तामिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और बंगाल आगे है । न खाली खर्च में बल्कि उत्पादन में। उत्पादन में हम सबसे गये गुजरे हैं । जो आपकी प्राकृतिक शक्ति है, पहाड़ी इलाके को टैप करने की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है । कह दिया जाता है कि दो अरब रुपया, तीन अरब रुपया लगेगा । चारों तरफ की फिजूलखर्ची को बन्द करके उधर ध्यान देते तो प्राकृतिक साधन मौजूद हैं । उसको टैप करके कभी दूर हो सकती है । साधन मौजूद है, उसका एक्स-प्लायटेशन होना चाहिये । उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता । आप अपने को ठगते हैं, प्रदेश को ठगते हैं, उसके बाद चाहते हैं कि सदन अनुपूरक बजट को पास कर दे ।

दूसरी तरफ देख लीजिये । मैंने कल भी कहा था । आज भी पूरे जोर से कहता हूं । किसी सरकार के कार्यकाल में इस तरह से शिक्षा संस्थायें बन्द नहीं रही हैं जैसा इस दफा हुआ है । पूरे बरसात भर जितने विश्वविद्यालय हैं, चाहे काशी नगरी का विश्वविद्यालय हो चाहे कानपुर का विश्वविद्यालय हो, चाहे लखनऊ का हो या गोरखपुर का हो, जितने विश्वविद्यालय हैं, सब बन्द और उसके साथ-साथ शिक्षा संस्थायें भी बन्द है। जैसे मिलों की तालाबन्दी हो जाती है, वैसी शिक्षा संस्थाओं में तालाबन्दी हो गयी । इस पर अलग से चर्चा होगी । मोटे तौर पर कहना चाहता हूं कि छात्रों का जो दमन हुआ है, जो पंडित जी की नगरी है, काशी, उस विश्वविद्यालय के लड़कों के ऊपर घुड़सवार पुलिस दौड़ा दी गयी । कम से कम दो सौ लड़के जख्मी हुए । आपकी राजधानी में दूसरे त्रिपाठी जी बैठे हैं जो उपकुलपति हैं और झूठे मुकदमें लड़कों के खिलाफ चलवाते हैं । रस्तोगी कालेज है वहां का प्रेसीडेंट शिवाजी के नाम से मशहूर है। उसकी दाढ़ी उखाड़ी जाती है और झूठा मुकदमा उसके खिलाफ बनाया जाता है । आपने कभी समझने की कोशिश की कि मांग उनकी क्या है?. उनका सीधा सादा मामला है । शिक्षा महंगी है । हिन्दुस्तान के बड़े लोग साजिश कर रहे हैं कि जो साधारण लोग हैं उनके बच्चों को पढ़ने न दिया जाय डिवीजन तथा नम्बर के नाम पर उनका दाखिला रोका जाता है और इस तरह से हमारे यहां की शिक्षा समाप्त होती जाती है । वैसे जिसको देखिये मंत्री जी से लेकर मास्टर तक बोल रहा है कि कि आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिये लेकिन वह आमूल चूल परिवर्तन है क्या ? इस पर क्या कभी विचार हुआ, कभी सेमीनार हुए ? विधान सभा की दुर्गति यह है कि यहां पर जितनी बहसें चलती हैं उनका नोटिस नहीं लिया जाता है न अधिकारी द्वारा, न शासन द्वारा । नतीजा क्या होता है ? मामला बिगड़ता चला जा रहा है और साथ ही साथ लड़कों में भ्रष्टाचार फैल रहा है।

युवा पीढ़ी से वह काम कराये जाते हैं जो उसको भ्रष्ट करते हैं । इंदिरा गांधी की जयजयकार कराने हेतु शराब, पैसा, लड़की का इस्तेमाल होता है। इससे व्यापक चरित्र किस तरह से गिरेगा, इस पर कभी आपने विचार किया ? मोदीनगर में क्या हुआ ? उच्चतर माध्यमिक लड़कियों के साथ ट्रेन में बलात्कार होता है । अखबारों में हेडिंग आता है 'मास रेप' । जब चरित्र का इस तरह से ह्रास होगा तो इस तरह की घटनायें होंगी । यह हालत है शिक्षा की । बच्चों का समय बरबाद हो रहा है ।

मंत्री जी के जिले नैनीताल में जबरदस्ती लड़कों से लिखवाया जाता है कि हम इस सत्र की पढ़ाई नहीं करेंगे । उनकी मांग केवल यह थी कि वहां यूनियन बना दी जाय। वह यूनिवर्सिटी ऐसी है जहां पर आवाज उठाने की इजाजत नहीं थी । पहली दफा यह कहा गया कि उनकी यूनियन बना दी जाय । नतीजा यह हुआ कि उन पर दबाव डाला गया, जबरदस्ती की गयी लिखने के लिये कि हम इस सत्र की पढ़ाई नहीं करना चाहते । हिटलरी कानून आ गया है । कहीं कोई पुरसाहाल नहीं है, कायदा कानून नहीं, अराजकता कायम हो गयी है । यह तस्वीर शिक्षा जगत में उत्पन्न हो गयी है । आप इस पर चाहते हैं कि यह सदन बजट पास कर दे शिक्षा का।

इसी प्रकार से महंगाई की समस्या है। इस महंगाई से निबटने के लिये कई तरह के सुझाव थिंकर्स देते हैं। कहते हैं कि मुद्रा स्फीति है इस पर रोक लगाई जाय। दूसरे उत्पादन बढ़ाया जाय आबादी के लिहाज से लेकिन आबादी जिस तरह से बढ़ रही है उत्पादन उस अनुपात से नहीं बढ़ रहा है। फिर कहा जाता है कि काला धन निकाला जाय और उसके बाद कहा जाता है कि कंट्रोल कर दिया जाय। इस तरह के मोटे-मोटे विचार बराबर अखबारों में आते रहते हैं जिनको सो काल्ड थिंकर्स हैं वे बतलाते हैं लेकिन जो असली मर्ज है, उसे वे पकड़ नहीं पाये हैं। जब मर्ज ही नहीं पकड़ पाये तो इलाज उसका नहीं हो सकता, उत्पादन कैसे बढ़ेगा ? इसके लिये पूंजी चाहिये—कैपिटलाइजेशन। हिन्दुस्तान की पूंजी ऐसी रही है कि जो उसका मौलिक कार्य पूंजी-निर्माण का है, वह भी नहीं कर सकी है। यह हालत जब रहे तो वृद्धि उत्पादन में कैसे हो सकती है।

दूसरी चीज यह है कि इस दरिद्र और गरीब देश में फिजूल-खर्ची और शाह-खर्ची बिल्कुल गुनाह है। लेकिन यह सरकार ऐसा मना रही है कि इस देश में यह फिजूल-खर्ची और शाह-खर्ची होती रहे। चोरी की बात मैं नहीं करता हूं किन्तु एक मिसाल आपके सामने रख देना चाहता हूं कि अमेरिका जहां की औसत आमदनी 26 हजार रुपया सालाना है या इसके आसपास है, वहां के प्रेसीडेंट-निक्सन-के एक दिन के रख-रखाव, शान-शौकत, मकान और सुरक्षा आदि पर मुश्किल से 10 हजार रुपया खर्च होता है किन्तु हमारे हिन्दुस्तान में जहां की औसत आय केवल 550 रुपया है, वहां के प्रेसीडेंट पर 30,40 हजार रुपया खर्च किया जाता है। यह एडमिटेड फैक्ट है। लोक सभा में इस बात को कंसीड किया गया है और यदि वे यहां पर लखनऊ में भाषण करने के लिये आ जांय तो उनका खर्च 4 लाख रुपये के आस-पास है जिसको पब्लिक एक्सचेकर से देना पड़ेगा।

मैं समझता हूं कि वाजिद अली शाह और रंगीले शाह जो यहां पर थे, उनका क्या मुकाबला करें। वे तो इनके सामने किसी गिनती में ही न आवें। तो इस फिजूल-खर्ची के रहते क्या आप समझते है कि कैसे देश आगे बढ़ेगा ? इसके साथ ही साथ आप इस बात को भी जोड़ दीजिये कि आज यह हालत है कि जो यहां पर कामचोर, चापलूस, चुगलखोर है, वही आगे जा सकते हैं। इस फिजूल खर्ची का असर देश के उपर क्या पड़ेगा ? फिर आप कहते है काला धन दबा हुआ है इस देश में। इसका नतीजा यह होगा कि दूसरा भी इसी रास्ते पर जायेगा।

मान लीजिये कोई गरीब आदमी इस फिजूल-खर्ची और शाह-खर्ची को नहीं कर सकता है तो वह फिर भ्रष्टाचार का सहारा लेगा और लेता है। धीरे-धीरे मन ऐसा बनता है कि पूरा देश आंखों से ओझल हो जाता है और निजी, पारिवारिक और कुछ सामूहिक स्वार्थ ही रह जाता है। यह आपकी हालत है और तब आप कहते हैं उत्पादन में वृद्धि हो जायेगी। आपने पूंजी के निर्माण के लिये कौन सा उपाय किया है ? इस देश के हर आदमी को यह सीखना पड़ेगा कि हम गरीब हैं। हम दुनिया में सबसे गये-गुजरे और पिछड़े हैं, हमें पूंजी निर्माण करना है और फिजूल-खर्ची और शाह-खर्ची की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि यह चीज हमारे आंखों से ओझल हो गई है, इस हालत में कैसे पूंजी-निर्माण हो सकता है और वह इस सरकार के बस में नहीं है। यह जरूर है कि अंग्रेजों के जमाने पर केवल 3/4 लाख आदमी ही जो कि गोरी सज्ञा में आते थे जो कि फिजूल-खर्ची और शाह-खर्ची करते थे किन्तु इस योजना-बद्ध सरकार में ऐसे लोगों की संख्या 50—60 लाख के करीब पहुंच गई है। गरीब की ताकत बढ़ गई होगी। जो उपज है उनका हिस्सा भी बढ़ गया होगा। उसका नतीजा यह हुआ कि गरीब का हिस्सा कम होता चला जा रहा है।

उसके बाद विदेशी मुद्रा अर्जित करने की बात भी कही जाती है। कपड़े का उत्पादन कम होता चला जा रहा है। पहले 12 प्रति सैकड़ा कपड़ा बाहर भेजा जाता था अब उसे

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

15 प्रति सैकड़ा कर दिया गया जिससे कीमतें उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली जा रही हैं । जिस तरह से हिन्दुस्तान के एक साधारण आदमी को नमक, तेल, लकड़ी, मकान इत्यादि की जरूरत को पूरा करने के लिये मंहगाई खलती है । भगवान करता कि नारायण दत्त जी, पंडित कमला, पति त्रिपाठी और इंदिरा जी पर वही मुसीबत आ जाती मान्यवर, और जब यह हो जाता तब इनको पता चलता कि महंगाई क्या है । आज तो यहां का शासक वर्ग—जब मैं शासक वर्ग कहता हूं तो जो हिन्दुस्तानी 50 रुपये रोज से ज्यादा कमाता और खर्च करता है, जिसकी भाषा हिन्दी या हिन्दुस्तान की दूसरी मातृ भाषाओं में न होकर, अंग्रेजी है और जो चूड़ीदार पाजामे, बन्द गले का कोट न पहन कर गला लंगोट लगाते हैं, ये तीन चीजें जिनमें हो वही हिन्दुस्तान के सचमुच शासक वर्ग हैं और ऐसे शासक वर्ग पर महंगाई का कोई असर नहीं है । जब महंगाई का उनके ऊपर कोई असर नहीं है तो चीजों के दाम बांधने का सवाल ही नहीं उठता है ।

अब गल्ले का व्यापार सरकार निजी हाथ से लेकर अपने हाथ में लेने वाली है लेकिन क्या आपने इस पर भी कभी सोचा कि चीजों के दाम बांधे जायं जिससे बाजार में वे उचित दाम पर लोगों को मिल सकें ? हमारे महान नेता, डाक्टर लोहिया का कहना था कि कारखाने जो जीवनोपयोगी वस्तुओं के उत्पादन करते हैं, उत्पादन खर्च के डयोढ़े से ज्यादा पर बाजार में न बिकें । साथ ही किसी भी चीज का भाव लागत खर्च के 20 प्रतिशत से ज्यादा न हो । क्या इसी तरह की दाम नीति पर आप चल रहे हैं ? यह दाम नीति तभी चलेगी जैसा कि मैंने अभी भगवान से प्रार्थना की और मेरी प्रार्थना अगर पूरी हो जाय तब जाकर इनको चिन्ता हो कि इस तरह से दाम नीति को चलावें । आज उनको इससे किसी तरह की तकलीफ नहीं होती है इसलिये उनको कोई चिन्ता नहीं है ।

हिन्दुस्तान का पिछड़ापन तभी दूर हो सकता है जब दिल्लीश्वरी इसकी व्यवस्था करें कि चाहे राष्ट्रपति हों, चाहे प्रधान मंत्री हों, चाहे बड़े-बड़े आफिसर्स हों, चाहे उद्योगपति हों, उनके ऊपर यह बंधन हो कि वे डेढ़ या दो हजार रुपये महीना से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेंगे । जब आप यह करेंगे तब जाकर पूंजी का निर्माण शुरू होगा । जब पूंजी का निर्माण शुरू होगा तभी तमाम थिंकर भी सोचेंगे कि आज लोगों के सामने महंगाई की एक बड़ी समस्या है । जब महंगाई से लड़ेंगे तभी हिन्दुस्तान में विशाल सम्पति जमा करने की इच्छा भी धराशायी होगी । आज हिन्दुस्तान के शासक वर्ग में वह छू भी नहीं गयी है। आज आवश्यक है कि कानून बना कर आमदनी और खर्च के ऊपर पाबन्दी लगा दी जाय । लेकिन यह चीज इनके वश की नहीं हैं । ये सम्पत्ति को मिटाने की बात करते हैं ।

सम्पति के बारे में तो आज से 4—5 हजार वर्ष पूर्व हमारे पुरखों ने ही सिखाया कि सम्पत्ति का मोह कम करो । उसी तरह से गांधी जी ने भी अपने जीवन में सादगी के दर्शन को अपनाया । उनका कहना था कि आदमी को अपनी जरूरत को इतना न बढ़ा लेना चाहिये कि अन्त में जिन्दगी गुलामी की बन जाय । यह दर्शन इसके पीछे था । फिर उतनी ही सादगी जिन्दगी में आ जाय तो किसी को सम्पत्ति का मोह न हो । यह सरकार सम्पत्ति नाश करने की बात करती है लेकिन वास्तव में इनमें सम्पत्ति का जबरदस्त मोह है, ये लोग क्या सम्पत्ति का मोह नाश करेंगे ? अगर कोई ऐसा सोचना है तो अपने को बहुत बड़ा धोखा देता है और देश को धोखा देता है।

मेरा इनके ऊपर चार्ज है कि पूंजी का इनसे बड़ा संरक्षक हिन्दुस्तान मे कोई भी दल जो शासन में आयेगा, नहीं हो सकता है । स्वतंत्र भी नहीं हो सकते हैं और जनसंघ भी नहीं हो सकता है जिसको ये लोग पूंजीपतियों का दल मानते हैं । अंग्रेजों के जाते समय 25 लाख रुपये वाला बिड़ला 7 अरब, 9 अरब का हो गया और 35 लाख रुपये वाला टाटा 10/11 अरब वाला हो गया, यह कैसे हो गया ? पूंजी का संरक्षक इससे बड़ा और और कौन हो सकता है ? जहां ये इजारेदारी खत्म करने की बात यह कह रहे हैं वहां ये उनको और ज्यादा बढ़ा रहे हैं । कैसे ये समाजवाद लायें । गांधी जी का रास्ता ये छोड़ चुके

और उनकी जैसी सादगी नहीं रही है । गांधी जी तो इतने निराश हुये हैं कि उनको प्रार्थना करनी पड़ी है कि भगवान उनको उठा ले पहले तो इन लोगों ने देश का बटवारा कर दिया और इससे गांधी जी घबरा गये। इनके कार्य भी ऐसे हुये जिससे वे घबरा गये और उन्होंने कहा कि हमारा जिन्दा रहना बेकार है।

मान्यवर, यह कहते हैं कि देश में से सम्पत्ति मिटायेंगे । दिल्ली में रहने वाली कैसे सम्पत्ति मिटा सकती हैं । खेती उसकी जो जोते बोये । प्रधान मंत्री कहां खेती करती हैं । कहा जाता है कि केवल 22 बीघा ही तो जमीन है । लेकिन हम कहना चाहते हैं कि 22 बीघा जमीन भी क्यों ? मोटर के कारखाने के नाम से 300,400 एकड़ जमीन ले रखी है जो लड़के के नाम चली गई है । ये खाली अपने लड़के की बेकारी दूर करना चाहती हैं। ये सम्पत्ति का नाश कैसे कर सकती है। जो लोग इनसे यह उम्मीद लगाये हैं कि ये सम्पति का नाश करेंगी वह मृग मरीचिका के पीछे हैं । जितनी जल्दी उनको समझ आ जाये उतना ही अच्छा है । सम्पत्ति का नाश तो गांधी जी और लोहिया जी जैसे नेताओं के नेतृत्व में ही सकता है । लेकिन ऐसे लोगों को शासन में जगह नहीं दी जाती है । एक तो उसी समय मर गया और दूसरा बनवासी होकर मरा । यह कहते हैं कि सम्पत्ति मिटायेंगे इनसे न तो सम्पत्ति मिटने वाली है और महंगाई ही मिटने वाली है। महंगाई निरन्तर सुरसा की मुंह की तरह से बढ़ती चली जा रही है । बड़े लोग गरीबों का हिस्सा खींचते चले जा रहे हैं और उनके हिस्से का अनाज कम होता चला जा रहा है । आजकल पर कैपिटा अनाज की खपत घटती चली जा रही है या नही इसी से कपड़े की घटती चली जा रही है या नही ।

फिजूलखर्ची की वजह से हमारे देश के कारखानों का उत्पादन भी घटता चला जा रहा है । आपके यहां कपड़ा तेल और शकर सब चौपट हो गया है । पूरे देश के स्तर पर कारखाने चौपट हो रहे हैं। एक तो बड़ा कारण मशीनों का है । दूसरी वहां पर फिजूलखर्ची है । इनके कारखानों में भी वही व्यवस्था है जो टाटा और बिड़ला के कारखानो में है । ये महंगाई दूर नहीं कर सकते हैं बल्कि महंगाई और बढ़ा लेंगे । आपकी सरकार और पूंजीपति जुड़वां भाई बहन हैं । इनका साथ कभी नहीं छूट सकता है।

फिर भी इनको चाहिये कि इनके पूरक अनुदानों को पास कर दिया जाये । यह रहा मामला । दूसरे अक्लियत और हरिजनों के ये बड़े दोस्त हो गये हैं । अम्लियत के दोस्त हैं । अभी बांदे में हरिजन मारे गये, तमाम अखबारों में वह चीजें छपीं । में पुलिस के हरिजन औरतो के साथ बलात्कार हुये झूठे मुकदमे में उनको फंसाया गया लेकिन यह सरकार हरिजनों की दोस्त है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जितने लोग शासन में है वह सब हरिजनों के पिछड़े वर्ग के और अकलियतों के दुशमन है और वह पुराने सामन्तों और बड़े लोगों के और जो जाति बिरादरी के हिसाब से बड़े हैं उन के वह दोस्त है। आज हरिजन, पिछड़े वर्ग के लोग, अकलियत के लोग दूसरे और तीसरे दर्जे के समझे जाते हैं और बड़ी जातियों के लोग अव्वल दर्जे के। अल्पमत लोगों का संरक्षण यह है कि कि रोज लता कांड गजडिया कांड का जिक्र विधान सभा और लोक सभा में आता है। हरिजनों के ऊपर इस राज्य में सन् 71 के लोक सभा के चुनाव के बाद और जब से माननीय कमलापति जी यहां विराजमान हैं तब से हरिजनों के ऊपर तरह-तरह के अत्याचार, उनके कत्ल, उनके पतन और जातिवाद पहले से ज्यादा बढ़ा है। यह विशेष कृपा उनकी हरिजनों और अकलियतों पर है ।

माननीय रूपनाथ सिंह जी बता रहे हैं कि उनकी विशेष कृपा सही इन लोगों का समाज में आदर घटा है। जातिपांति में इनका विश्वास है और जांतिपाति और साम्प्रदायवाद के अलगाव को इन्होंने बढ़ावा दिया है। यह समाजवाद लायेंगे ? वह अलगाव बढ़ाने वाला दावा कर सकते हैं समाजवाद यहां लाने का ? इन्होंने अपना काम बनाने के लिये लासा रख रखे हैं, जगजीवन राम जी का लासा इनके पास मौजूद है, फखरुद्दीन अली अहमद का लासा इनके

[श्री अनन्तराम जायसवाल]
पास मौजूद है। इन लासो को रख कर यह अपना काम बना रहे हैं, मुसलमानों और हरिजनों को यह इस तरह से धोखे में रखे हुये हैं। ब्राह्मणों के विषय में तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। वहां प्रधान मंत्री है, के० सी० पन्त जी हैं कमला पति जी हैं नारायणदत्त जी हैं सब विराजमान हैं। इन्हों ने जातियों का अलगाव बढ़ाया है और इसी के कारण.....

एक सदस्य--

आप भी इधर ही आ जायं।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

वह समाजवादी है, उन पर हमारा असर पड़ रहा है, उसको पड़ने दीजिये। मैं यह कह रहा था कि आज क्या हो रहा है। इन्होंने जातियों का अलगाव किया किस तरह से आप उनके साथ बर्ताव करते हैं यह देखने की बात है। इन्होंने हर जाति को अलग-अलग राजनैतिक समूहों में बांटा है और हरिजनों को मुसलमानों को, ब्राह्मणों को, सबको ठाकुरों को अलग-अलग समूहों में रख कर आप ने एक होकर सोचने का मौका ही नहीं दिया और इन्हें अलग-अलग रख कर वोट मांगने का नतीजा यह हुआ है कि देश के लोग बड़े विचार और बड़े काम से महरूम रहे हैं, बड़े विचार के लायक वह नहीं रह गये हैं। इस जाति प्रथा और साम्प्रदायवाद के कारण वह बड़ी समस्यायों तक उठने लायक ही नहीं रह गये हैं।

आज लोग हिन्दू मुसलमान के नाम पर जरा सी बात में भभक जाते हैं, पाकिस्तान हिन्दुस्तान के नाम पर भभक जाते हैं लेकिन गोरी दुनिया ने रंगीन दुनिया पर कितना जुल्म किया है। आज से 100 साल पहले गोरी और रंगीन आबादी का 1:9 का अनुपात था। एक अरब आबादी में 10 करोड़ गोरे लोग थे और 90 करोड़ रंगीन। लेकिन आज 3 अरब की आबादी में गोरे हो गये 1 अरब और 2 अरब रह गये रंगीन लोग। इससे आप समझ सकते हैं कि गोरे किस तरह से बढ़े हैं और रंगीन लोगों का किस तरह से शोषण हुआ है। उनको भूखा रखा गया है उनको कितनी बिमारी इन लोगों ने दी है यह सारे सवाल आज इन छोटे दायरे के अन्दर रहने वाले बिरादरी बाद और हिन्दू मुसलमान की बात करने वालों के दिमाग में नहीं आते। यह सरकार अकलियतों के संरक्षण की बात करती है लेकिन नुनारी में क्या हुआ, अखबारों के कालम के कालम भरे गये लेकिन पंडित जी को मालूम ही नहीं कि वहां क्या क्या हुआ। बनारस और फीरोजाबाद के कितने मुसलमान दोस्त हैं।

अभी हाल में नुनारी, थाना सरायमीर, जिला आजमगढ़ में क्या हुआ है? मुसलमानों के 119 घर वहां पर थे। उनमें से 3 घर बचे हैं जिनको न लूटा गया और न जलाया गया लेकिन 116 घरों को लूटा गया 15 नवम्बर को, दिन दहाड़े, सुबह से लेकर शाम तक। 73 घरों को जलाया गया। ये सारे लोग गांव छोड़ कर भाग गये हैं, अगर आप चाहें तो उनके फोटो पेश कर दिए जायं। करीब-करीब 20 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। तो मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि ये कह सकते हैं कि उसके पहले मुसलमानों ने कत्ल किया सीताराम और जैतू का। कन्सीडेड। लेकिन आप बताये कि वहां की दूसरी पापुलेशन को यह हक कहां तक है कि वे अपने हाथ में कानून को लें और लूट करें, और लोगों के घरों को जलाये? हम यह मान लेते हैं कि कत्ल किया और कत्ल करने के बाद आसपास के सारे लोग इकट्ठे, होते रहे, पुलिस वहां पर मौजूद रहीं, और लुटायी हुयी।

आजमगढ़ के एस० पी० शाम को वहां पर जाते हैं और कलेक्टर महोदय 20 तारीख के पहले मौके पर नहीं जाते हैं। इस सदन के माननीय सदस्य शम्भूनाथ चौधरी, हबीब साहब और अन्य लोग मौके पर गये और उन्होंने अपनी आंखों से देखा जो वहां पर हुआ लेकिन अखबारों के जरिये और जो लोग वहां से आये, मैंने भी सारी रिपोर्ट ली है और वह मैं आपके सामने

रखता हूं। आखिर यह है क्या ? श्रीमन्, यह मामला यहीं तक नहीं है। वहां पर एक दिन का टैन्शन नहीं था बल्कि मन मुटाव बहुत पहले का था और अगर वहां पर पुलिस और अधिकारी सतर्क रहते तो ये हत्यायें और लूटपाट न होती।

सदन के माननीय सदस्य इस सरकार की शिकायत करने प्रधान मंत्री के पास पहुंच जाते हैं। आखिर यह क्या मामला है ? या तो कुछ लोग यहां के और दिल्ली के इस चक्कर में रहते हैं कि इस सरकार को बदनाम करें वरना क्या कारण हैं कि वे यहां पर दबाव डाल कर इसको दुरुस्त न करा पाये। वहां पर क्या हो रहा है ? वहां के लोगों में बहुत दहशत हो गयी है। वहां के जो जिलाधीश हैं, उनके समय में ही 3–3 साम्प्रदायिक दंगे हो चुके हैं, आपने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? वह समझता है कि उसे बरदान है, उसके खिलाफ कुछ हो ही नहीं सकता है, जिनके मकान जल गये वहां जाकर उनको वे शांत्वना ही देते लेकिन वे अखबारों में बयान देकर लोगों को भड़का रहे हैं और आप कुछ नहीं करते हैं।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, कुछ समय और दे दें। ये सैकुलर होने का दावा जितना करें परन्तु मैं अदब से कहना चाहता हूं कि ये सैकुलरिज्म का मतलब क्या समझते हैं नारायणदत्त जी, इस शब्द की व्युत्पत्ति हुई है सैकुलम से उसका अर्थ होता है एक सभ्यता होती है जो हजारों साल तक बगैर बदले हुए चलती है। ईसा और मोहम्मद साहब की सभ्यता है जो हजारों सालों तक बगैर बदलाव के चलती है—सैकुलम के माने है सैन्चुरी। जब सौ वर्ष को मानते हैं तो दस साल या दो साल या एक साल की भी हो सकती है। आदमी इस दुनिया को हसीन बनाने के लिये, अच्छी बनाने के लिये बराबर उसमें बदलाव करता है। यहां आदमी आदमी का भेद नहीं चल सकता। यहां पर अच्छा शिल्प हो, यहां की कला बढ़िया हो, इसमें जाति या सम्प्रदाय का कहीं नाम नहीं रह जाता है। जहां शराब साकी आदि चीजे है उसमें . . . हमारे बगल में बलराम जी बैठते हैं अगर वे होते तो कहता।

ये क्या कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि कैसे हिन्दू-मुसलमान हैं जिनकी नेता इन्दिरा गांधी हैं—यह तो हिन्दू-मुसलमानों की अलगाव की पार्टी है। गांधी जी की इच्छा के बगैर इन्होंने देश को काटा। तब से कोई काम नहीं किया। काटे हुए देश या बटे हुए देश को इकट्ठा होने लगना, इसकी पहली शर्त है हिन्दू–मुसलमान एकता। उसके बाद हिन्द–पाक संघ और एकता आती है। जब हिन्दु–मुस्लिम एका ही नहीं होगा तो क्या यह बंटा हुआ देश फिर से इकट्ठा होगा। मान्यवर, जाति परस्तों और साम्प्रदायिक लोगों की यह सरकार है और यह सरकार चाहती है कि ये मुस्लिम ठगते चले जायं औरतों के बलात्कार होते चले जायं। यह है इनका राज। मैं चाहता हूं कि माननीय सदन अपनी शक्ति को पहिचानने और इस सरकार को हटाने के लिये इस अनुपूरक अनुदान को पास न करे। यह मेरा सदन से निवेदन है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, समय बढ़ा दें।

श्री अधिष्ठाता—

चार बजे तक कार्यसूची करनी है। समय की गुंजायश नहीं है।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, वर्तमान वित्ती वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत है और सन 74 की बेला भी नजदीक है। इसलिये श्रीमन्, मैं इस बात की धृष्टता नहीं करूंगा जैसा कि अनेक विरोधी दल के नेताओं ने सन 74 को दृष्टिकोण में रख कर अनुपरक बजट पर अपने विचार व्यक्त किये थे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

माननीय तिवारी जी ने जो कहा उसका अर्थ यह हुआ कि ये टुच्चेंपन पर उतर आये हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैंने किसी पार्टी की ओर लक्ष्य नहीं किया है लेकिन वाणी खुद बोलती है कि क्या अर्थ है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

सच वह है जो कि सिर पर चढ़कर बोले।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सिर पर चढ़ कर किसने बोला वह सामने आ गया।

मान्यवर, मैं माननीय नेता कांग्रेस संगठन दल को बधाई देता हूं कि उन्होंने बिल्कुल नियमानुसार इस अनुपूरक बजट पर अपना सारा भाषण केन्द्रित किया। मैं यही आशा विरोधी दल के अन्य नेताओं से भी रखता था कि जो सदन की परम्परा रही है उसे बनाये रखेंगे। माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने इसमें जो अनेक अनुदान है उनका उल्लेख किया और नीतियों का भी उल्लेख किया। उन्हें शायद कुछ आपत्ति रही कि बंगलौर और हैदराबाद के जो कालेज हैं उन्हें हिन्दी भाषा पढ़ाये जाने के सम्बन्ध में क्यों अनुदान दिये जा रहे हैं। श्रीमन्, यह हमारी सामान्य नीति है कि हिन्दी भाषा का प्रसार और प्रचार हो। हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है और अगर कोई स्वायत्तशासी संस्था जो दूसरे प्रदेशों में काम कर रही है और जिसे अधिकार है कि नियमों के अन्तर्गत दूसरे प्रदेश की सरकारों से भी सहायता प्राप्त कर सकें, तो हमने इस सदन की नीत और हिन्दी प्रसार की सामान्य नीति के अन्तर्गत यदि कुछ सहायता दी तो मुझे विश्वास है कि सदन को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। इसमें न तो केन्द्र से पूछने की आवश्यकता थी और न किसी और से। हमें बताया गया कि और प्रदेशों ने भी इस प्रकार की सहायता दी है। हमारे यहां से पहले भी पिछली सरकारों के समय में भी यदाकदा इस प्रकार की सहायता दी जाती रही है।

(इस समय 3 बज कर 25 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

दूसरा प्रश्न उन्होंने उठाया स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग के बारे में यह अनफोरसीन खर्च नहीं था, पहले से उसका अंदाजा लगाया जा सकता था। अगर वह कृपा कर स्मृतिपत्र देखेंगे तो स्पष्ट होगा कि यह गोरखपुर नसबन्दी शिविर का खर्चा नहीं है बल्कि टिटनेस से जो 13 व्यक्ति मरे थे जिनके बारे में सदन में भी चर्चा हुई थी कि मुआवजा दिया जाय, उनके परिवारों को मुआवजा देने के लिये यह रुपया दिया गया। मूल बजट में इसका कोई प्राविधान नहीं था। यह आवश्यक था कि ऐसी हर एक नयी मद जिसका कि प्राविधान मूल बजट में नहीं है उसको सदन की स्वीकृति के लिए यहां लाया जाय।

श्री कल्पनाथ सिंह—

सामान्य बजट के पहले यह सारा खर्चा इनका हो चुका था। मंत्री जी इस बात को छिपा रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं आपसे कोई बात छिपाना नहीं चाहता। खस की टट्टियों का और डैजर्ट कूलर्स का जिक्र किया गया। श्रीमन्, इन्हीं खस की टट्टियों का प्रश्न उठा था कि विधान सभा की लायब्रेरी में आग लगी। सारे माननीय सदस्यों ने देखा था कि लायब्रेरी में खस की टट्टियां जल

रही थीं। अब यह आवश्यक हो गया कि सचिवालय की सुरक्षा के लिये, विधान सभा मंडप की सुरक्षा के लिये और पुस्तकालयों की सुरक्षा के लिये खस की टट्टियों के स्थान पर यह व्यवस्था की जाय।

श्रीमन, इसी प्रकार से खस की टट्टियों में जो रेकरिंग व्यय हुआ करता था उसके स्थान पर एक स्थायी व्यवस्था करवाने के लिये इसको किया गया है। इससे अग्नि से सुरक्षा भी होगी साथ ही कूलिंग का भी प्रबन्ध हो जायगा। हेलीकाप्टर का प्रश्न आया एक हेलीकाप्टर खरीदा जा रहा है। कई बार यह देखा गया कि बाढ़ आ जाने के कारण सैकड़ों ऐसे ग्राम होते है जहां पर किसी भी प्रकार से सहायता पहुंचा पाना सम्भव नहीं हो पाता है। वहां पर नावों के द्वारा या किसी और माध्यम से नहीं जाया जा सकता है। हमको तुरन्त ही लवहां पर सहायता पहुचाना है इस कारण से हमको हेलीकोप्टर की आवश्यकता पड़ सकती है। हम लोग आधुनिक युग में रह रहे हैं। यह 9 करोड़ की आबादी का प्रदेश है जहां पर इस प्रकार के आधुनिक वाहनों का होना अति आवश्यक है। हम ऐसे अनुदार नहीं हो सकते है कि आवश्यकता रहते हुये भी हम उसका प्रबन्ध न करें। ऐसे बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में जहां पर हम हवाई जहाज या अन्य किसी भी प्रकार से सहायता नहीं पहुचा सकते है हमको हेलीकाप्टर से तुरन्त सहायता पहुचाने में मदद मिल सकेगी। हम खरचीले नहीं है लेकिन ऐसे अनुदार भी नहीं है कि आवश्यकता को न देखें, जो अति आवश्यक विषय है उनको हम अवश्य करना चाहते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

बिजली के कारखाने चाहे बन्द हो जायं लेकिन आप हेलीकाप्टर जरूर खरीदें।

श्री राजेन्द्रप्रताप सिंह (जिला रायबरेली)—

जिला मुख्यालय में जब कोई मंत्री जाता है तब उसके स्वागत में आप गाड़ियों की कतारें देखें। सैकड़ों गाड़ियां उसके साथ चलती हैं और सारे जिले के बड़े-बड़े अधिकारी उसकी अगवानी करते हैं। आपके पीछे 100 गाड़ियों का जलूस चलता है। सारी पुलिस मंत्री जी के स्वागत में लग जाती है, क्या यह अपव्यय नहीं है ?

श्री बांके लाल—

यह कांग्रस के जो मंत्री हैं उनका स्वागत ऐसे ही होता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मुझको तो कभी भी यह सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ कि 100 गाड़ियां मेरे पीछे चल रही हों। इसका अनुपूरक बजट से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्रीमन्, यह कहा गया कि सम्पर्क सूचना अधिकारी को दिल्ली में क्यों रखा जा रहा है। मान्यवर, सम्मानित सदस्यों की आलोचना सही हो सकती है परन्तु इसका एक विशेष कारण है। दिल्ली हमारे देश की सर्व प्रधान केन्द्र स्थल है। दूसरे प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश के मसले आवश्यक सूचना के अभाव में पिछड़े रहे हैं। समाचार पत्रों के द्वारा भी उत्तर प्रदेश की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती रही है। उसका कारण यही रहा है कि दिल्ली में हमारा कोई इस प्रकार का सम्पर्क सूचना अधिकारी नहीं था जो तुरन्त ही इस प्रकार की सूचना उनको प्रेषित कर सके। इस लिये यह विचार किया गया कि वहां पर हमारा सम्पर्क सूचना अधिकारी रहे जो उत्तर प्रदेश की सभी प्रकार की सूचना को आवश्यकता पड़ने पर उनको प्रेषित कर सके।

श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या आप पार्लियामेंट के मेम्बरों को नालायक समझते हैं कि ये वहां पर रह कर भी उत्तर प्रदेश की वस्तुस्थिति को उनको प्रेषित नहीं कर पाते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं इस असंसदीय शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता हूं।

श्री बांकेलाल—

जो नालायकियत का प्रतीक है वह दूसरों को नालायक क्या कहेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

दिल्ली में अच्छा सूचना कार्यालय होने की बहुत अधिक आवश्यकता है ताकि वहां पर संसद सदस्य या कोई भी विधायक कोई भी प्रदेश के बारे में सूचना मांगे वह उपलब्ध रहनी चाहिये। केवल इसी दृष्टिकोण से तथा दिल्ली के समाचार पत्रों को कोई भी सूचना मांगने पर प्रेषित करने के लिये जो उनको तुरन्त ही उपलब्ध हो सके इसको किया जा रहा है।

इसलिए वहां पर इस कार्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश के हित में अनिवार्य है। दूसरे प्रदेशों को देखे कितने बड़े कार्यालय हैं। तामिलनाड लें, बिहार लें, केरल लें, और महाराष्ट्र लें कितना अधिक उन्होंने वहां पर संगठन रखा है ताकि किसी भी विषय में यदि कोई संसस्या या अधिकारी कोई जानकारी चाहें तो उनको वह मिल सकती है। इस दृष्टिकोण से मैं श्री कल्पनाथ सिंह जी से आग्रह करूगा कि वे कृपया इसकी उपादेयता को स्वीकार कर लें।

श्रीमन्, उन्होंने बड़ी कृपा पूर्वक आडिट रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने ठीक ही हवाला दिया। उद्धरण भी उनका बिल्कुल ठीक ही था। उन्होंने कि 1965–66 में 4,972 आपत्तियां थीं जो बढ़ कर 1970–71 में 34,572 हो गयीं उन्होंने यह कहा कि जो सरकार इतनी आपत्तियों का निराकरण नहीं कर पाती है उसको अनपूरक बजट बनाने का हक ही नहीं है। श्रीमन्, मैं क्या बताऊं इस वक्त नहो 1965–66 के बजट पर बात कर रहे है और न ही 1970–71 के बजट पर बात कर रहे हैं। 1966 में कौन सरकार रही और 4967–68 में कौन सरकार रही? 1970–71 में तो 4 सरकारें रहीं जिनमें अगर मैं भूलता नहीं हुं तो सम्मानित सदस्य भी सरकार के एक सदस्य थे।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

तब न इतना बड़ा सूखा पड़ा था न ही इतनी बिजली की कटौती हुई थी, तब तो कामनर्स की सरकार थी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

विरोधी दल के इतने बढ़िया सदस्य भी पहले न हीं आए जितने कि अब आए हैं। तो श्रीमन् इसका यह अर्थ है कि कभी कोई सरकार थी और कभी कोई 8 महीने एस0 वी0 डी0 की सरकार रही। फिर दूसरी सरकार आयी इस प्रकार सभी सरकारें रहीं। अकेले हम ही नहीं, सभी दोषी हैं। सरकार की वित्तीय प्रणाली के ढांचे में दोष रहा है। इसका यह मतलब नहीं है कि आपत्तियों का निराकरण नहीं होना चाहिये। इस संबंध में अभी हमने आदेश दिए हैं। आडिटर जनरल से भी बात हुयी थी कि बहुत से विभाग ढील ढाल करते हैं और आडिट की आपत्तियों का निराकरण समय से नहीं करते हैं। उन पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। श्रीमन्, बार बार वे यह कहते है कि हमारे पास आपत्तियों के निराकरण करने के लिये स्टाफ नहीं है और स्टाफ की कमी को दूर किया जाये। बहुत से विभागों में स्टाफ की कमी है जिसकी वजह से वे आपत्तियों का निराकरण समय से नहीं कर पाते हैं। इस बात को भी देखा जा रहा है। मैं उनसे सहमत हूं कि आपत्तियों का निराकरण समय से होना चाहिए। बहुत बार यह होता है कि आपत्तियों का निराकरण नहीं होता और सरकार के विभाग का दृष्टिकोण नहीं आ पाता। इस कारण आडिट रिपोर्ट में शंका समाधान भी नहीं हो पाता।

आडिट रिपोर्ट में सरकार का पक्ष नहीं छपता है और पी0ए0सी0 का समय उसमें लग जाता है। पी0ए0सी0 का बहुत ज्यादा समय उसमें लग जाता है। इस सम्बन्ध में हम काफी कार्य कर रहे हैं।

जहां तक माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने कुछ सकेत किया कि इस बजट में कटौती का संकेत नहीं है इसमें मैं निवेदन करू, श्रीमन, मेरो बड़ी मुश्किल है—बजट में केवल खर्चे का ही बजट दिखाया जाता है कटौती का नहीं। अनुपूरक बजट में तो केवल खर्चे की मदों का ही उल्लेख होगा। उसमें अवश्य वे बचतें दिखाई जाती हैं जो बचतें किसी विशेष मद में हुई हैं। जिसे रिएप्रोप्रियेशन कहते हैं उसका अवश्य उल्लेख होता है, लेकिन इकोनामी की जो मदें होती हैं उनका उल्लेख इसमें नहीं होता, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि इकोनामी की आवश्यकता नहीं है। इसका बहुत प्रयत्न किया जा रहा है। कभी-कभी लोग वित्त विभाग से नाराज भी हो जात हैं कि वित्त विभाग स्टाफ सैंक्शन नहीं कर रहा है और जो योजना समाप्त हो गयी उसके स्टाफ को रिट्रेंच करने के लिए कह रहा है उसको दूसरी जगह पर भज रहा है। वित्त विभाग का तो यही काम है कि इकोनामी की जाये। मुझे आशा है कि हमारा इकोनामी का, मितव्ययता का जो लक्ष्य है वह आगे चलता रहेगा।

श्रीमन्, माननीय माधव प्रसाद जी को थोड़ी आपत्ति हुई कि संस्थागत वित्त का निदेशालय क्यों बनाया जा रहा है। मान्यवर, इस सदन में माननीय माधव प्रसाद जी का और दूसरे माननीय सदस्यों का सुझाव था कि वित्त विभाग अपने अधिकारों का डेलीगेशन करे। हमने कुछ विभागों में वित्तीय सलाहकार रखे हैं। जिस प्रकार केन्द्र में है कि विभागों में फाइनेंशियल कन्ट्रोलर रहते हैं उसी प्रकार हमने अपने यहां रखे हैं। यह इसलिए है कि फाइल्स वित्त विभाग में न आयें जब तक कि कोई पालिसी मेटर न हो। जो फाइनेंशियल कन्ट्रोलर होगा वह ऐसे मामलों में जोकि नीति से सम्बन्धित नहीं हैं वहीं विभाग में फैसला कर देगा। यह शुरुआत हमने इस सदन में दिये गये माननीय सदस्यों के सुझावों के आधार पर ही की है। जिन विभागों में मुख्यतः एक्सपेंडीचर होता है वहां हमने वित्त सलाहकार रखे हैं। संस्थागत निदेशालय का अर्थ दूसरा है। मैंने इसका अपने बजट भाषण में भी उल्लेख किया था। हमारे प्रदेश में बैंकों का विनियोजन कम होता है।

हमारे यहां क्रेडिट डिपोजिट रेशियो कम रहा है। मान्यवर, इसके क्या कारण थे। इसका कारण था कि हमारे यहां से अच्छे प्रोजेक्ट्स बनकर नहीं जात थे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया, नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, रूल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन जैसी दसियों संस्थायें हैं। इनके अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंक्स हैं, रिजर्व बैंक की संस्था है। यह सभी प्रोजेक्ट्स मांगती हैं। अब जब हम बड़े पैमाने पर नियोजन करन जा रहे हैं तो कोई भी सरकार हो पांचवी योजना में अगर हमें अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो चौथी योजना के मुकाबले में दुगना चौगुना जितना भी हो सके अपने साधनों को बढ़ाना है। अब यह साधन किस प्रकार आयेंगे? उनका मुख्य स्रोत इस्टीट्युशनल फाइनेंस है।

इसलिए मान्यवर यह आवश्यक हुआ कि संस्थागत वित्त निदेशालय बनाया जाय जिसमें पूर्ण कालिक कर्मचारियों का केवल एक काम रहे कि वह अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स बनायें जिससे कि कोई यह न कह सके कि यहां से अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं आते। टेक्निकल, फाइनेंशियल और इकानोमिक आधार पर हम वर्ल्ड बैंक से लेकर एग्रीकल्चरल फाइनेंस कारपोरेशन तक, एल0 आई0 सी0 तक अच्छे प्रोजेक्ट्स भेजना चाहते हैं। मान्यवर, माननीय सदस्य भी इससे सहमत होंगे कि पिछले दो वर्षों में सस्थागत वित्त को आकर्षित करने के प्रयास हुए हैं और इस प्रदेश को लाभ भी हुआ है। इसका विनम्र उल्लेख मैंने अपने बजट भाषण में किया था और भविष्य में भी मुझे माननीय सदस्यों के आशीर्वाद से अवसर मिलेगा तो जो उपलब्धियां

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

उन्हें मैं सदन के समुख रख सकूगा। सक्षेप में मैं यह कह सकता हूं कि 100 करोड़ का विनियोजन प्रदेश में राष्ट्रीयकृत संस्थाओं, एल0आई0सी0 के द्वारा बढ़ा है।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

यह फल वाला खाका यहां न बतलायें। 1960-61 की प्राइसेज ले लें तो हर प्लान में 40 परसेन्ट ब्लैक मनी पैदा किया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं इस प्रश्न पर आऊंगा। मैं दफ्तर वाला खाका नहीं रख रहा हूं। माधव प्रसाद जी की बात का उत्तर दे रहा हूं। दफ्तर तो आप के भी चलते हैं।

श्रीमन्, दूसरा प्रश्न जो आनुषगिक है उस पर भी कुछ कहना चाहता हू। इस बजट में श्रीमन्, आप देखेंगे कि वही मदें रखी गयी हैं जो प्रदेश के विकास के लिये अत्यावश्यक थीं और जिनका मूल बजट में उल्लेख सम्भव नहीं था। केवल वही मदें रखी गई हैं जिनकी पहले सूचना नहीं थी या जो संविधान के अन्दर चार्ज्ड एक्सपेंडीचर हैं।

आप देखेंगे कि शिक्षा सुधार के सम्बन्ध में एक बड़ा भारी कदम उठाया है। प्राइमरी, बेसिक शिक्षा और उच्च शिक्षा का आज तक केवल एक शिक्षा निदेशालय था जो लाखों प्राइमरी स्कूल, कालेज, माध्यमिक स्कूल, डिग्री कालेज, सबको एक साथ देखा करता था। अब पहली बार प्राइमरी शिक्षा को देखने वाला, बेसिक शिक्षा को देखने वाला निदेशालय हुआ और उसका एक ढांचा बनाया जा रहा है ताकि बुनियादी शिक्षा जहां से व्याकरण की बुनियाद पड़ती है...

श्री बंशीधर पांडेय—

ये धोखा दे रहे हैं। ग्रामर की पढ़ाई अब होती ही नहीं है। एम0 ए0 के विद्यार्थी से जाकर जरा पार्सिंग और टेबलर फार्म पूछिये कि क्या है? ग्रामर की पढ़ाई बन्द हो गयी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं बेसिक शिक्षा का उल्लेख कर रहा हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

किसी हिन्दुस्तानी शिक्षा का नहीं, संस्कृत शिक्षा का कर रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय नेताओं ने बहुत कुछ कहा, मैं चुपचाप सुनता रहा तो संसदीय प्रणाली अन्तर्गत मैं आग्रह करूगा कि मेरी बात भी सुनें। बिना व्याकरण के पढ़े हम कहां होते?

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं चुनौती देता हूं। नयी पीढ़ी को ग्रामर पढ़ाई ही नहीं जाती।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

पांडेय जी को यह मालूम नहीं है कि बिना व्याकरण पढ़े भी काम चल सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्राथमिक शिक्षा निदेशालय शिक्षा के सुधार की तरफ एक पहला कदम है जो वर्तमान सरकार ने उठाया है। आगे आने वाले समय में शिक्षा के सुधार में और भी ऐसे कदम उठाए

जायेंगे। यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक आने वाला है उसमें सारे विश्वविद्यालयों की शिक्षा का, उनके संगठनों का एक आधुनिकीकरण होने जा रहा है।

श्रीमन, इस अनुपूरक बजट में सहकारी समितियों के लिए और संस्थाओं के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन की व्यवस्था की गयी है पहली बार, ताकि सहकारी समितियों के जो कर्मचारी रखे जायं वह एक निश्चित छांट कें, उसूल के आधार पर हों, तो इसमें कोआपरेटिव पब्लिक सर्विस कमीशन का उल्लेख है। साथ ही साथ जिसमें विरोधी दल के नेताओं की बहुत दिलचस्पी है और जैसी कि 1974 के सामान्य चनावों खे लिए व्यवस्था है।

अनन्तराम जायसवाल--

ये मुख्य मन्त्री बनने का सपना देख रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

सपना हम और आप एक साथ ही देखते हैं, अलग-अलग नहीं।

साथ ही साथ इस बजट में श्रीमन, भारत सरकार से 49 करोड़ की सहायता मिली है है जो पहली बार है। इसमें उत्तर प्रदेश को अलग अलग मदों में सहायता दी है जोकि दिल्ली की सरकार और लखनऊ की सरकार की योजना बद्धता का परिणाम है, वह इससे परिलक्षित हो रहा है। दिल्ली की सरकार से तो बहुत नाराजगी है...

श्री बंशीधर पांडेय--

यही अकर्मण्यता का परिचायक है। इस प्रदेश में और भी मुख्य मन्त्री रहे, पं0 गोविन्द बल्लभ पन्त, डा0 सम्पूर्णानन्द, गुप्ता जी--कितने बड़े-बड़े नेता रहे, तब क्यों नहीं मिला, आपको क्यों मिला?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

हर समय कटुबंशी अच्छी नहीं लगती, मधुर बंशी अच्छी लगती है।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)--

मन्त्री जी जरा 49 करोड़ का विवरण बतला दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

इसमें 8.64 करोड़ रुपया बेकारी को दूर करने के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए है। ग्रामीण पेय जल के लिये 2.25 लाख योजना है। क्रैश प्रोग्राम के लिए 2.37 लाख का प्रावीजन है। बाढ़ नियन्त्रण के लिये जो हो रहा है

(व्यवधान)

लखनऊ में ही देख लीजिये उस पुल से लेकर सारी गोमती...

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्रैश प्रेग्राम तो केन्द्रीय सरकार का है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

केन्द्रीय सरकार का ही बता रहा हूं। आप सुनें तो।

श्री बंशीधर पांडेय--

आपसे ज्यादा चार राज्यों को मिला है जो आपकी आबादी के चौथाई हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

हमसे ज्यादा नहीं मिला है। अगर आपका सहयोग रहा तो हम और ज्यादा ले लेंगे। लखनऊ, जौनपुर आदि में बाढ़ नियन्त्रण के लिये 10 करोड़ रुपए की राशि है। लखनऊ में करीब करीब सारा काम पूरा हो चुका है। जौनपुर में इसी योजना के अन्तर्गत पुल बन रहा है।

श्री जंगबहादुर यादव (जिला जौनपुर)—

जौनपुर में बाढ़ रोकने के लिये क्या व्यवस्था की गयी है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सूखाग्रस्त जिलों में राहत कार्य के लिये 9.39 करोड़ रुपया रखा गया है। और कानपुर और लखनऊ में स्लम क्लियरेंस के लिए कानपुर के लिए डेढ़ करोड़ और लखनऊ के लिए एक करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है।

श्री बलवीर सिंह—

जिस वक्त प्रदेश में सूखा पड़ रहा था तो मुख्य मन्त्री जी का अखबारों में यह बयान पढ़ा था कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने 49 करोड़ रुपए सूखा का मुकाबला करने के लिए दिया है। क्या वह राशि इसके अतिरिक्त है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

बता रहा हूं। इसके अलावा 30 करोड़ रुपए किसानों को खाद की सहायता आदि के लिए मिले हैं।

श्री बलवीर सिंह—

मैं सूखे की बात पूछ रहा हूं, आप तो दुनियां भर का खाता खोल रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

ट्यूबवेलों के लिये साढ़े 12 करोड़ रुपए···

श्री बलवीर सिंह—

इसका मतलब हम यह समझें कि सूखा का मुकाबला करने के लिये सिर्फ यह 12 करोड़ रुपए दिये गये और 49 करोड़ रुपए जो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहे थे वह गलत बयानी की थी?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं तो अपने सम्मानित मित्र का बड़ा आदर करता हूं। मैं उनके कमरे में आ सकता हूं और उन्हें सारा विवरण दे सकता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यहां विवरण देने में शर्म क्यों आ रही है?

श्री बलवीर सिंह—

हम सारे प्रदेश की जनता के लिये विवरण चाहते हैं कि मुख्य मन्त्री जी का वह बयान ठीक था या गलत।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

जैसा मैंने निवेदन किया, 29 करोड़ तो आज तक मिल चुका है। कुल मिला कर इस बजट के अन्दर 49 करोड़ रुपए का प्राविधान जिसका मैंने वर्णन किया वह लिखा हुआ है। इसके अलावा जो और विवरण होगा मैं सम्मानित सदस्य को अलग से दे दूंगा।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सहकारी समितियों को और अधिक शक्ति प्रदान करने के लिए ताकि वह अधिक ऋण प्राप्त कर सकें, 140 करोड़ तक शार्ट टर्म लोन किसानों को दे सकें इसके लिये रिजर्व बैंक की स्कीम को लागू किया गया। ये सारी योजनायें अनुपूरक बजट में हैं जो मूल बजट में नहीं थीं। आज हमारे विरोधी मित्र कुछ भी कहें उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है माननीय कमलापति त्रिपाठी जी के नेतृत्व में।

(शोर)

कई सदस्यों द्वारा एक साथ (व्यवधान)

मेरे मित्र मुझे कहने की इजाजत दें। मैं उनकी बातों को 3 घंटे तक सुनता रहा।

एक सदस्य--

इस अखबार में क्या छपा है, इसे आपने देखा है...

श्री उपाध्यक्ष--

मैं उसे पढ़ने की इजाजत नहीं देता। आप कृपया बैठें।

श्री रामगोपाल सण्ड--

कुछ बिजली, बेरोजगारी तथा कीमतों की वृद्धि के बारे में भी बतला दें।

(शोर)

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मैं यह बताना चाहता हूं कि पिछले दो वर्षों में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आमदनी 8 रुपया बढ़ी है।

(शोर)

एक सदस्य--

भ्रष्टाचार कितना बढ़ा है? (व्यवधान)

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मैं यह निवेदन करूंगा कि जो बातें पार्लियामेंट में कहना चाहिये थीं वे यहां कहीं गयीं इन्द्रा गांधी जी की आलोचना बहुत वर्षों तक होती रही, मगर मैं कहना चाहता हू कि उयस शानदार व्यक्तित्व पर जितना हमला हुआ उतनी शक्ति और मजबूत होती गई औरह आपने देख लिया...

(शोर)

श्री नित्यानन्द स्वामी--

एक कहावत है कि जब तर्क से काम नहीं चलता तो मेज थपथपाने लगते हैं।

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय--

केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने क्या कहा है, और आप क्या कह रहे हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

आज प्रदेश की जनता सब जानती है।

श्री कल्पनाथ सिंह---

चुनाव के लिए अभी से हेलीकाप्टर आदि खरीद लिये गये हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

कुछ जगह साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं मैं यह स्वीकार करता हूं। (व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि आज वह समय आ गया है कि साम्प्रदायिकता के विरोध में जितनी भी प्रगतिशील शक्तियां हैं उन सबको एक हो जाना चाहिये और एक होकर उसका मुकाबला करना चाहिये। सब को मिल कर समाजवाद के खेमे को मजबूत करना चाहिये।

(व्यवधान)

1972-73 के अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या 2---भू-राजस्व

राजस्व उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)---

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 2-भू-राजस्व के अन्तर्गत 100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 2---भू-राजस्व के अन्तर्गत 100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 3---राज्य आबकारी

आबकारी मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)---

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 3---राज्य आबकारी के अन्तर्गत 10,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 3---राज्य आबकारी के अन्तर्गत 10,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 4---बिक्री कर

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 4-बिक्री-कर के अन्तर्गत 8,44,300 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4—बिक्री-कर के अन्तर्गत 8,44,300 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 5—अन्य कर और शुल्क

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 5 अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत 22,100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 5—अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत 22,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 9—निर्वाचन

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 9—निर्वाचन के अन्तर्गत 71,02,300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 9—निर्वाचन के अन्तर्गत 71,02,300 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 10—सामान्य प्रशासन

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 10 सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत 6,70,900 रुपये की अनुपूरक मांग द्वितीय वर्ष 1972-73 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत 6,70,900 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 11—आयुक्त और जिला प्रशासन

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 11—आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत 4,00,200 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11--आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत 4,00,200 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या --12 गांव सभायें और पंचायतें

सूचना राज्य मन्त्री (श्री पुरूषोत्तम दास टंडन)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 121 गांव सभायें और पंचायतें के अन्तर्गत 2,07,11,100 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 12--गांव सभायें और पचायतें के अन्तर्गत 2,07,11,100 रुपये की अनुपूरक मांग किसी वर्ष 1972-73 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 14--कारागार

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 14--कारागार के अन्तर्गत 2,35,800 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिए स्वीकार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान सख्या 14--कारागार के अन्तर्गत 2,35,800 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 15--पुलिस

श्री ओम प्रकाश सिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्तांव करता हूं कि अनुदान संख्या 15--पुलिस के अन्तर्गत 22,92,700 रुपए की अनुपूरक माग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 15--पुलिस के अन्तर्गत 22,92,700 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 16--खाद्य तथा रसद और अन्य संगठन

श्री ओम प्रकाश सिंह--

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 16--खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत 43,59,500 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 16---खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत 43,59,500 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 17---वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य

श्री पुरुषोत्तमदास टडन---

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 17---वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक कार्य के अन्तर्गत 3,13,900 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 17---वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक कार्य के अन्तर्गत 3,13,900 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 18---शिक्षा

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री राजबिहारी सिंह)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18---शिक्षा के अन्तर्गत 4,300 रुपए की अनु- पूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18---शिक्षा के अन्तर्गत 4,300 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिय स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 19---चिकित्सा

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री प्रेमचन्द्र शर्मा)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सख्या 19---चिकित्सा के अन्तर्गत 7,76,500 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19---चिकित्सा के अन्तर्गत 7,76,500 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 20---सार्वजनिक स्वास्थ्य

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 20---सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत 3,50,17,500 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत 3,50,17,500 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 21—कृषि संबंधी विकास

कृषि राज्य मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 21—कृषि सम्बन्धी विकास के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21—कृषि सम्बन्धी विकास के अन्तर्गत 1,00 0 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 23—पशुपालन तथा मत्स्य पालन

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 23—पशुपालन तथा मत्स्य पालन के अन्तर्गत 57,200 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23—पशुपालन तथा मत्स्य पालन के अन्तर्गत 57,200 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 24—सहकारिता

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 24—सहकारिता के अन्तर्गत 2,69,400 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24—सहकारिता के अन्तर्गत 2,69,400 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 25—उद्योग

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 25—उद्योग के अन्तर्गत 30,42,400 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25—सहकारिता के अन्तर्गत 30,42,400 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 26—नियोजन और समन्वय

श्री ओमप्रकाश सिंह—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 26 नियोजन और समन्वय के अन्तर्गत 3,37,50,300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26—नियोजन और समन्वय के अन्तर्गत 3,37,50,300 रुपये की अनपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिय स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 27—श्रम और सेवायोजन

श्रम उप मंत्री (श्री सोहन लाल धुसिया)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि तनुदान संख्या 27—श्रम और सेवायोजन के अन्तर्गत, 4,53,000 रुपये की अनपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27–श्रम और सेवायोजन के अन्तर्गत 4,53,000 रुपये की अनपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 28—सूचना निदेशालय

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 28—सूचना निदेशालय के अन्तर्गत 300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 28—सूचना निदेशालय के अन्तर्गत 300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 30—समाज कल्याण

वन उपमंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 30—समाज कल्याण के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 30---समाज कल्याण के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 32---सिंचाई अधिष्ठान

श्री राजबिहारी सिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 32---सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत 2,33,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32---सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत 2,33,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 33---सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं

सार्वजनिक निर्माण उप मंत्री (श्री वीरबहादुर सिंह)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33---सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं, के अन्तर्गत 5,42,600 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33---सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं, के अन्तर्गत 5,42,600 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिये स्वीकार की जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किय गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 35---सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान

श्री बीरबहादुर सिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 35---सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान के अन्तर्गत 16,80,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 35---सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान के अन्तर्गत 16,80,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 36—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान

श्री बीर बहादुर सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 36—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत 11,26,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत 11,26,000 रुपया की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 37—परिवहन

(परिवहन राज्य मंत्री) श्री देवकी नन्दन विमव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 37—परिवहन के अन्तर्गत 11,50,700 रुपये की अनपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37—परिवहन के अन्तर्गत 11,50,700 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 38—दुर्भिक्ष सहायता

श्री नगीना सिंह—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 38—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत 9,39,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 38—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत 9,39,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 42—वन

श्री गुलाब सिंह—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 42–वन के अन्तर्गत 59,47,600 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 42—वन के अन्तर्गत 59,47,600 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 43—प्रकीर्ण व्यय

स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (श्री काजी जलील अब्बासी)—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 43—प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत 1,66,99,600 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 43—प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत 1,66,99,600 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 44—नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन

श्री गुलाब सिंह—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 44—नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत 1,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44—नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत 1,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 46—औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 46—औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 2,00,200 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 46—औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 2,00,200 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 48—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय

श्री राज बिहारी सिंह—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 48—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय क अन्तर्गत 10,52,00,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 48—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 10,52,00,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 49—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 49—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 2,85,56,200 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 2,85,56,200 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 50—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

श्री देवकीनन्दन विभव—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 50—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 11,69,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 50—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 11,69,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 53—व्याज वाले ऋण और अग्रिम

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 53—व्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 25,13,11,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 53—व्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 25,13,11,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1972-73 का अनुपूरक) विधेयक, 1972

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (1972–73 का अनुपूरक) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करने की आनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1972–73 का अनुपूरक) विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (1972–73 का अनुपूरक) विधेयक, 1972 पुरःस्थापित करता हूं।

(कुछ रुक कर)

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1972–73 का अनुपूरक) विधेयक, 1972 पर विचार किया जाये।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय वित्त मंत्री जी का भाषण बड़े गौर से सुना। माननीय वित्त मंत्री जी ने ऐसा भाषण देना शुरू किया कि जिससे मैं ही नहीं बल्कि सारे माननीय सदस्यों को बड़ी निराशा हुई। केंद्र की यह बात हैं, इंदिरा गांधी की यह बात है। क्या हम और आप यहां इंदिरा गांधी की तारीफ सुनने के लिये बैठे है। मैंने 200 एकड़ जमीन के बारे में कहा था आप घोषणा क्यों नहीं करते हैं कि हम उनकी जमीन छोड़ देंगे। आप चाहते हैं कि उस जमीन पर खेती करायेंगे। मामला यह था इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आप कहते हैं कि इंदिरा गांधी की जय हो, इससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है।

मैंने और बात कही थी और मैं फिर कहना चाहता हूं कि आप जिस तरह से सारे खर्चे करते चले जा रहे हैं, जिस तरह से फिजूलखर्ची बढ़ा रहे हैं, जिस तरह महंगाई बढ़ाते चले जा रहे हैं और जिस तरह से देश में गरीबी बढ़ा रहे हैं, वह सब देश की जनता के सामने है और इस पर भी आप कहते हैं कि हमारा प्रदेश तरक्की कर रहा है। अजीब बात है। मैं जानना चाहता हूं और आप एक बात बता दीजिये कि अगर आपका प्रदेश की तरक्की से मतलब हो कि प्रदेश में चोरी, कत्ल और डकैती में तरक्की हुई है तो मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं है। यदि आपका मतलब है कि घूसखोरी और भ्रष्टाचार में तरक्की हुई है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर आप कहें कि गरीबी में तरक्की हुई है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि आप यह कहते है कि प्रदेश की औसत आमदनी बढ़ी है तो मुझे इसमें आपत्ति है, अगर आप कहते हैं कि लोगों के सामान्य जीवन में सुधार हुआ है तो मूझे इसमें एतराज है, अगर आप कहते हैं कि आपने प्रदेश में बेकारी समस्या हल की है तो मुझे इसमें एतराज है क्योंकि मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जानता हूं कि इसको आप कैसे हल करना चाहते हैं एक माननीय सदस्य ने कहा कि बेकारों की आपके यहां कितनी संख्या है और आप उसके लिये क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं तो उसका कोई जवाब आपके पास नहीं है । जनता सब कुछ जानती है । चुनाव आने वाला है और इसको हर आदमी जानता है।

मुझे यह कहना पड़ता है कि जिस तरह से देश ने देखा है कि हिन्दुस्तान की प्रधान मंत्री ने चुनाव में फौज के हैलीकाप्टर का इस्तेमाल किया है उसी तरह से मंत्री लोग उसको इसीलिये खरीदना चाहते हैं और बाढ़ आदि दैनिक आपदाओं का बहाना लेना चाहते हैं । आपके ऊपर चुनाव का चस्का चढ़ा हुआ है । आप मनमाने काम कीजिये । लेकिन जनता के पास भी निगाह है और वह आपकी फिजूलखर्ची को देखती है। जहां एयर कंडीशनिंग का सवाल है उसको आप बन्द कीजिये । यह हमारे यहां फिजूलखर्ची है । आपने इसका मुकाबला ट्रेन से कर दिया । सामान्य जनता ट्रेन में चलती है। वही एयर कंडीशन के कमरों से आपकी है। अगर आप सामान्य जनता को मकान देने की व्यवस्था कर सकते तब तो आप लोग एयर कंडीशन की बात करते तो ठीक था ।

आज हमारे यहां शिक्षा, मकान, अनाज और वस्त्र की लोगों के लिये व्यवस्था नहीं है और आप एयर कंडीशन की बात करें, यह कहां तक ठीक है। खस की टट्टी में आग लग गई । आग लग गई तो वह आपकी लापरवाही से, आपकी और इस सरकार की अकर्मण्यता से लग गई । यह सोते रहे । आप एयर कंडीशन में बैठना चाहते हैं तो बैठें लेकिन याद रखिये कि जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे की फजूलखर्ची आप भले ही करें लेकिन जनता आप के कुकर्म को देखेगी वर्ना आज ही मंत्री जी कोई घोषणा यदि कर सकते हैं तो करें ताकि लोगों के मन में सफाई हो जाय कि आप सामान्य जनता के जीवन स्तर को कैसे उठाना चाहते हैं और आप एक मंत्री और साधारण जनता के जीवन स्तर में एक मामूली सा अन्तर या 1 और 2 के अन्तर से अधिक अन्तर नहीं रखना चाहते। आप यहां के लगने पर एयर कंडीशनिंग की बात सोचते है लेकिन अगर किसान के झोपड़े में आग लगती है तो क्या आप उनके घर बनवा देते है, गांव के गांव जलकर तबाह हो जाते हैं लोगों के बैठने तक की जगह नहीं रहती लेकिन आप उनका प्रबन्ध नही करते । आप केवल अपना और अपने अफसरों का इन्तजाम करना चाहते हैं ।

जब आप इस तरह का एकतरफा न्याय करते हैं तो हमें आपकी नीयत पर शुबहा होता है और वह शुबहा हमारा और बढ़ जाता है जब आप यहां बार-बार चुनाव की बात करते हैं। अगर चुनाव की बात है तो आपने उसी के इन्तजाम के लिये यह हेलीकाप्टर खरीदा है । मैं आपसे निश्चित रूप से जानना चाहता हूं कि क्या इसी जनता के धन से खरीदे गये हेलीकाप्टर से चुनाव के दौरे नहीं करेंगे, उस मौके पर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसकी सफाई होना चाहिये। अगर ऐसा है तो सूबे की जनता को जानना चाहिये कि किस प्रकार यह सरकार गरीबों के पैसे का दुरुपयोग करके दुनिया भर के कर लगाकर अपना हित साधन करती है।

किसानों पर लगातार कर बढ़ाये जा रहे हैं, आपने उन पर भूमि विकास कर लगाया आपने उनके सिंचाई के रेट सवाये किये एक अक्टूबर से, और न मालूम कितने कर आपने जनता पर थोपे हैं, आपने जनता को जरूरत की चीजों को महंगा बनाया है। यही नहीं जो खाद्यान्न की कीमत जो सच्चे माने में होना चाहिये उससे भी आप मुकर गये । केंद्रीय सरकार ने किसानों के खाद्यान्न की कीमत को कम किया जबकि उसकी लागत और खर्च बराबर बढ़ता जाता है, डीजल के लोहे के दाम बढ़े, कृषि उपकरणों कीमत आपने बढ़ाई फर्टीलाइजर आप ने महंगा किये और कृषि उत्पादन पर आप तमाम तरह के प्रतिबन्ध लगाते हैं । आपने गन्ने की कीमत कम की और चीनी की कीमत को बढ़ाया । आपने इस तरह से पूंजीपतियों का भरण-पोषण किया है । इसका कारण यही है कि पूंजीपतियों से आपकी सरकार अपनी पार्टी के लिये मदद लेती है वर्ना हमारे वित्त मंत्री जी जो पहले चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात करते थे आज वह एक बार भी उस बात का नहीं उठाते ।

[श्री कल्पनाथ सिंह]

आज यहां लाखों अध्यापक आये हुये हैं और उनकी मांग है कि शिक्षण संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण करो और शिक्षा का ऐसा स्तर लाओ जिससे कहा जा सके कि हमारा स्तर उठा है। आज पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूलों का अलग-अलग अस्तित्व बना हुआ है लेकिन कोई कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाया जाता। आप कहते हैं कि समाजवाद और इंदिरा जी की जय बोलिये लेकिन सारी जनता जानती है कि आपका ढोल में पोल क्या है। यह सब जनता की जानकारी में है और जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी, मैं चाहता हूं कि सदन इस विनियोग विधेयक को पारित न करें।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत जितनी भी मांगें की थीं उन सबको माननीय सदन ने स्वीकार कर लिया है। अब मैं यह धृष्टता नहीं कर सकता कि इन धनराशियों को इन अनुदानों के लिये जिसकी स्वीकृति हो चुकी है संचित निधि से निकाल कर परिव्यय की अनुज्ञा न दी जाय। लेकिन फिर भी मैं इसके संबंध में कुछ सुझाव और कुछ चेतावनी माननीय वित्त मंत्रीं जी को जरूर देना चाहता हूं।

श्रीमान् जी, माननीय वित्त मंत्री जी जबसे आये हैं तब से उन्होंने मेर ऊपर यह प्रभाव डाला कि वे वित्तीय मामलों में सुधार करना चाहते हैं और तेजी से सुधार करना चाहते हैं। मेरे ऊपर यह प्रभाव जरूर है कि वे वित्तीय मामलों के बड़े जानकार हैं और सचमुच अगर उनकी रुचि है तो सुधार अवश्य होगा लेकिन मैं आपका और उनका ध्यान जरा इन मांगों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमान् जी, ये सारी मांगें प्रतीक मांगों से भरी पड़ी हैं। आप देखें 49 न0 ग्रांट की प्रतीक मांग को। 33,18, 19, 20, 31, अनुदानों को देख लें, सब में एक तरह की प्रतीक मांगें भरी पड़ी है। प्रतीक मांग कब की जाती है। जब संबंधित व्यय के लिये धन उपलब्ध हो लेकिन वह व्यय किसी अन्य मद के लिये करना हो या मूल योजना में इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया हो कि उसे सदन के सामने लाया जाना आवश्यक हो तब प्रतीक मांगें पेश की जाती हैं। जिन मदों के लिये मूल बजट में रुपया रखा गया हो उन पर खर्चा न हो वह अब नयी नयी मदों पर खर्चा किया जा रहा है या जो मूल योजना में रखी गयी थी, वह बदल दी गयी हो। इसके माने यह है कि जो मूल बजट माननीय वित्त मंत्री ने पेश किया वह बिल्कुल असावधानी से बनाया गया था जिसमें इतने परिवर्तन करने की जरूरत पड़ी कि 95—95 एक ग्रांट के अन्दर प्रतीक मांग है। यदि इतनी लापरवाही से प्रदेश का बजट लाया जायगा तो क्या होगा इस प्रदेश का। किस खर्चे के लिये हमें रुपये की जरूरत है, बिना सोचे समझे ये सब चीजें लायी गयी हैं। तो उनकी योग्यता और वित्तीय मामलों की जानकारी अगर ऐसी है तो बिल्कुल ही असावधानी हो जायगी। और बिल्कुल कायदे कानून के विरुद्ध होगा और कुछ नहीं दिखायी देगा। मैं नहीं समझता हूं कि इस प्रकार क्यों प्रतीक मांगें लायी गयी हैं।

दूसरे इसमें कहा गया है कि इसमें कई मांगें ऐसी की गयी हैं जिनके बारे में अच्छी तरह से विचार करने का मौका नहीं मिला। मैंने अन्दाज लगा लिया है कि जब मूल बजट में उन्होंने इतनी असावधानी की है तो इस अनुपूरक बजट में वे कितनी और असावधानी करेंगे। तो जो मांग इसमें की गयी है वे बिना सोचे समझे की गयी है वे भी खर्च नहीं होंगी और केवल दिखाने के लिये इन्हें पेश कर दिया गया है। पता नहीं क्या होगा इनका। फिर जब दूसरा अनुपूरक बजट लायेंगे तो फिर कहेंगे कि इसको बदल दिया। तो कम से कम उस विभाग के अधिकारियों से पूछा जाय कि कितना खर्चा करना है और किस काम के लिये करना है। आपने कुछ तो किया नहीं। आपको चाहिये कि आप रोकें कि इस तरह की कार्यवाही न करें। आप जानकारी प्राप्त करें कि जो धनराशि सदन पास करता है वह सावधानी से खर्च

की जाय। जो मांग कर रहे हैं वह अगर खर्च न हो तो फिर मांग करने से क्या फायदा है ? इसलिये जो अनुपूरक बजट की मांग की गयी है मुझे तो शंका हो गयी है कि वह खर्च भी होगी या नहीं । यह केवल दिखाने के लिये है । आप जो दूसरों पर लांछन लगाना चाहते हैं वह आप पर भी लगता है।

इसलिये मैं कहूंगा कि जो आपने मांग की है और माननीय सदन ने मंजूर कर दिया है उसको ईमानदारी से, नेकनीयती से पूरी सावधानी के साथ खर्च करना चाहिये । तब इस प्रदेश का कुछ कल्याण होने वाला है नहीं तो आप मूल बजट लायें और फिर दो बार अनुपूरक मांग लायें । अपने विचार रोज बदलते जायें और खर्च कहीं का नहीं करें तो इस तरह से इस प्रदेशका क्या होने वाला है । इसलिये हम आपसे यह अपील करना चाहेंगे कि जब आपने इतने रुपये की मांग की है तो देखिये कि वह ठीक से खर्च होता है बचा नहीं रह जाता है । 6 करोड़ रुपये इसमें फर्टीलाइजर वगैरह के लिये किसानों को कर्ज देने के लिये रक्खे गये हैं । तो इस बात को देखिये कि सचमुच किसानों को ही छः करोड़ रुपये मिलते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि नहीं मिलते हैं । कितनी उसमें गड़बड़ी होती है और वह पैसा कहां का कहां चला जाता है और कितना तो उसमें ब्लैक होता है मैं इस समय फर्टीलाइजर की हाल यह है कि वह प्राइवेट दुकानों पर तो है लेकिन आपकी दूकानों पर नहीं है आपके गोदामों में नहीं है । वह वहां से कहां चला गया । प्राइवेट लोगों के पास कहां से आ गया ।

माननीय राज्य मंत्री (कृषि) की तरफ से एक लेटर हम लोगों के पास गया कि यह जो खरीफ की कम पैदावार हुयी थी उस पैदावार की पूर्ति के लिये बड़ा इन्तजाम किया हुआ है लेकिन जब हम जिलों में देखते हैं तो कहीं पर कोई इन्तजाम दिखाई नहीं पड़ता है। क्या इन्तजाम किया गया है । किस चीज की कमी की पूर्ति इस रबी की पैदावार से की जाने वाली है । हम समझते थे कि युद्ध स्तर पर काम होगा लेकिन कहीं पर वह बात दिखाई नहीं पड़ती है । उसमें लिखा था कि फर्टीलाइजर की बहुत कमी है । यूरियां नहीं मिल रहा है। हम और सिस्टम से सिंचाई कर देंगे । बताइये कहां कौन-सा इन्तजाम हुआ । क्या देखा गया कि यूरिया मिल रही या नहीं । कहते हैं कि चौथाई यूरिया से काम चल जायगा। किसी जिले में कहीं पर कुछ नहीं हो रहा है । हम तो खुद उसको जानते हैं । हमने नहीं देखा कि हमारे जिले में कुछ किया गया हो । केवल एम0एल0एज0 को खत लिख देने से क्या फायदा है । दिखाने से कुछ काम होने वाला नहीं है ।

फर्टीलाइजर देने के लिये जो छः करोड़ रुपये की मांग की है उसका सचमुच इन्तजाम कीजिये । फर्टीलाइजर की कितनी कमी है। प्राइवेट दुकानों पर क्यों है और आपके यहां क्यों नहीं है । कारण यह है कि आपके गोदामों से वह बिक जाती है प्राइवेट लोगों के हाथ में और फिर वे ज्यादा दाम में बेचते हैं और उससे किसान परेशान हो जाता है । दुनिया भर से हमारे यहां फर्टीलाइजर महंगा है पर तब भी वह ज्यादा दाम देकर ब्लैक ही किसानों को मिलता है । तो इस बात से कोई फायदा नहीं है ।

दुर्भिक्ष सहायता के अन्दर 9 करोड़ कुछ लाख रुपये की मांग की गई है उसमें 3,99 लाख निःशुल्क सहायता देने की मांग की गई है । निःशुल्क सहायता की मांग की जाती है । क्या यह लोगों को मिलती है । छोटे किसानों को बुवाई के वक्त गेहूं देने की बात का आप पता लगायें किस जिले में कितना प्राविधान किया गया था एक एकड़ या कम के किसानों को देने के लिये और कितना सचमुच दिया गया ।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

उधर तो देखिये मान्यवर क्या हो रहा है?

श्री उपाध्यक्ष—

आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

आप मान्यवर, व्यवस्था कर दीजिये कि सम्मानित सदस्य बोल रहे हैं और उधर हुल्लड़ हो रहा है।

श्री जयराम वर्मा—

इस तरह से रुपये रख देने से कोई काम नहीं चलता । व्यवस्था कीजिये । तब तो काम चलेगा और माननीय मंत्री जी को तो इसी पर संतोष है कि एक नया विभाग एक नये डायरेक्टोरेट खोला गया है। केवल शिक्षा विभाग के डायरेक्टोरेट खुल जाने से काम होने वाला नहीं है। देखिये, इसमें सचमुच सुधार होने जा रहा है या नहीं ? जबसे आपने शिक्षा को अपने हाथ में लिया है तब से सुधार हुआ है? अपने विधायकों से ही पूछ लीजिये। खराबी हुई है या अच्छाई हुई है । तो केवल एक मुहकमा खोल देने से ही सुधार हो जाय ऐसा नहीं है । खर्चा तो बढ़ गया लकिन लाभ कुछ नहीं।

इसी तरह से तरह-तरह के खर्चों की आपने मांग की है, अगर आप उन विभागों को सचेत करके ठीक से खर्च नहीं करायेंगे तो यह सारा रुपया बेकार हो जाने वाला है । मुझे तो दुख होता है जब आप कहते हैं कि हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन इधर जाना नहीं जाता कि कितनी अराजकता बढ़ रही है । कितना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है । कितनी अनैतिकता बढ़ रही है। कितना विध्वंस बढ़ रहा है चीजों के कितने दाम बढ़ रहे हैं। एक-दो वर्ष पहले हम गर्व के साथ कहते थे कि हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गये । लेकिन अब ऐसी परेशानी दिखायी दे रही है कि कुछ समझ में नहीं आता । आखिर यह हमारी नीतियों का ही नतीजा तो है ।

उन्हीं देशों से जिनसे हम कहते थे कि हमें अब अन्न की जरूरत नहीं है, उन्हीं के सामने अन्न के लिये हाथ फैलाना पड़ रहा है । हर देश का अपना एक सम्मान होता है, एक शान होती है । इतना बड़ा हमारा देश है । उसकी शान को इस तरह से मिट्टी में मिलाना चाहते हैं । मैं एक मिसाल देना चाहता हूं । सन् 68 म बाहर रहने पर एक अपने एम्बैसडर से मुझे बात करने का मौका मिला । उससे आप अन्दाजा लगाइये कि क्या खयाल है लोगों का जापान में । सन् 68 में परेशानी थी कि गल्ला काफी होगा या नहीं । हमारे एम्बैसडर ने बताया कि वहां के प्रधान मंत्री ने उनको बुलाया और पूछा कि पारसाल आप कहते थे कि खाद्यान्न में हम निर्भर हो गये हैं इस साल क्या फिर गल्ला मांगने वाले हैं। तो एम्बैसडर ने कहा कि मुझे बड़ी लज्जा आयी, दिल में यह हुआ कि चाहे भूखों मर जायं लेकिन इनसे गल्ला न मांगें ।

पिछले साल हमारे प्रदेश में 20 लाख टन कम पैदावार हुई। शुरू में आप कहते थे कि ज्यादा पैदावार होगी । मैंने शुरू में ही कहा था कि कम पैदावार हो रही है । इस साल खरीफ में तो कम पैदावार हुई ही । रबी में खरीफ की कमी को भी पूरा करने का इरादा है । लेकिन यह बिना प्रयास के नहीं होने वाला है। जब सिंचाई की जरूरत हुई तो किसान को पानी नहीं मिला । ईश्वर की कृपा से बारिश हो गयी नहीं तो बोया भी न जाता और किसी का ध्यान नहीं जाता कि क्यों नहीं पानी मिल रहा है । युद्धस्तर पर पैदावार की कमी को पूरा करना था लेकिन इधर कोई ध्यान नहीं । अगर आप इन सब चीजों पर परदा डालकर इस हवा में रहेंगे कि बड़ी तरक्की हो रही है तो इस प्रदेश का दुर्भाग्य ही है कि आप जैसा वित्त मंत्री सब बुराइयों पर परदा डालकर कहना चाहता है कि बड़ी तरक्की हो रही है। इन चीजों पर ध्यान दीजिये । जो गड़बड़ी हो रही है उस पर ध्यान दीजिये नहीं तो वह और बढ़ती ही जायगी।

इसलिये मैं आपसे अपील करूंगा कि आप स्वयं धोखे में न पड़ें और न दूसरों को डालें । आप इस प्रदेश की सेवा करने के लिये पैसा मांगें । इस प्रदेश की सेवा करने में, इसकी खिदमत

करने के लिये और इसकी परेशानी को दूर करने के लिये आप पैसा लें और उसको उसमें लगायें नहीं तो काम चलने वाला नहीं है। आप केवल संख्या के आधार पर मनमानी करते जायं तो इससे काम चलने वाला नहीं है। जनता आपको इसके लिये कभी माफ नहीं करेगी। अगर आपने प्रदेश की सेवा को भुला दिया है महज इस खयाल में कि प्रदेश तरक्की कर रहा है तो इससे कुछ नहीं हो पायेगा और प्रदेश की तरक्की नहीं हो सकेगी। आपने संहत निधि से पैसा निकालने की स्वीकृत मांगी है और सदन उसको मंजूर कर लेगा परन्तु मैं आपसे यह अपील करूंगा कि ईश्वर के लिये, इस प्रदेश की जनता के लिये उसकी तकलीफों को दूर करने के लिये आप ईमानदारी के साथ उसका खर्च करें तभी इस देश और प्रदेश की सेवा हो सकेगी।

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मान्यवर, अनुपूरक अनुदान पास हो चुका है। आज आपके सामने विनियोग विधेयक प्रस्तुत है। अब उसको भी पास कर देने में कोई आपत्ति नहीं करेगा लेकिन उसके पहले मैं इस सरकार से कुछ कहना चाहता हूं। आज ही अखबार में महालेखाकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के विषय में लिखा है जिसकी कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। आप इतनी बड़ी धनराशि मांग रहे हैं। हर साल आप डेफेसिट फाइनेन्स की नीति को अपना कर घाटे का बजट प्रस्तुत करते हैं लेकिन मेरा तो यही अनुभव रहा है कि वह बाद में वह बचत का बजट बन जाता है। इस प्रकार से घाटे का बजट प्रस्तुत करना और उसका आधार लेकर नाना प्रकार के टैक्स लगाना और बाद में लाभ का बजट हो जाना यह तो हमारी सरकार की नीति रही है।

अनुच्छेद 5 में आप सप्लीमेंट्री बजट पेश कर सकते हैं। यह एक परिपाटी बन गई है। प्रति वर्ष इसमें कई करोड़ रुपये का अनुदान मांगा जाता है। यह नहीं देखा जाता कि जो पैसा हम मांग रहे हैं वह वाकई में आवश्यकता के अनुरूप मांगा गया है अथवा फिजूलखर्ची के कारण मांगा गया है, इस पर विचार करना चाहिये। हर साल एक बड़ी लम्बी रकम मांगी जाती है। जो महालेखाकार की रिपोर्ट छपी है उसकी मोटी-मोटी बातों को मैं बताता हूं। उसमें यह लिखा है कि योजना तथा कल्याणकारी परियोजनाओं का दोषपूर्ण कार्यान्वयन, उपेक्षित वर्ग की सामाजिक तथा आर्थिक दोषपूर्ण नीति और उनके उद्देश्यों की पूर्ति का न होना।

इसी प्रकार से इसमें बहुत सी बातों का जिक्र किया गया है। जिससे हमको उत्तर प्रदेश शासन की गलत नीति का पता चलता है। राज्य विद्युत् परिषद् के कार्यों के बारे में भी रिपोर्ट में लिखा गया है। सन् 1970–71 के हिसाब में लिखा है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, बिजली विभाग आदि में जो पैसा दिया गया, अनुदान दिया गया, उसका समय से उपयोग नहीं हुआ। इन सभी चीजों के होने के बाद यह चाहते हैं कि इसी प्रकार के कामों के लिये फिर आपको और अधिक धनराशि दी जाय। आप बहुमत में हैं इसको कर सकते हैं परन्तु जनहित का ध्यान आपको सबसे अधिक और सबसे पहले रखना चाहिये।

अभी वित्त मंत्री जी ने कहा कि 49 करोड़ रु0 केन्द्र सरकार से दिया गया। अब यह बतायें कि उस 49 करोड़ रुपये को कहां पर बांटा गया? गोन्डा जिले में 35 लाख रुपये बाटे गये। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह 35 लाख रुपये जनता की जेब में नहीं गये बल्कि अधिकारियों की जेबों में गये। मेरा कहना यह है कि इतनी बड़ी वित्तीय रकम दे रहे हैं, सरकार फिजूलखर्ची करती है, सरकारी मशीनरी की रुपये का दुरुपयोग करने की नीति है, उसकी तरफ सोचने की बात है। आज आप कहते हैं कि रुपया खर्च करेंगे लेकिन नहीं किया। ऐसे एक उदाहरण नहीं अनकों हैं, जिनके कारण सरकार की बदनामी हर क्षेत्र में हो रही है। जनता गाली देती है। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो इतनी लम्बी रकम दे रहे हैं, उसका उपयोग करें। इस रकम का ठीक से खर्च हो। इन शब्दों के साथ मैं इस विषय का विरोध करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सम्मानित नेता, भारतीय क्रांति दल ने कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों की चर्चा की । मैं यह स्वीकार करता हूं कि जो बजट बनाया जाए उसे पूर्णतः सावधानी से बनाया जाए कि उसमें लैप्स होने की गुंजाइश न रहे। प्रत्येक बजट में अगर हम पुराने नियमों को देखते हैं तो उन नियमों के आधार पर न तो एक्सेस होनी चाहिये कि जरूरत से ज्यादा खर्च हो जाए और न सरेन्डर समर्पण होना चाहिये । यह परम्परागत बजट का सिद्धांत है । उन नियमों की यह भित्ती रही है । हमने इस बात का पूरा प्रयास किया है कि उन सिद्धांतों पर अमल किया जाए । माननीय नेता, भारतीय क्रांतिदल ने प्रतीकानुदान के विषय में कहा । मैं उनका ध्यान नियमावली के नियम 196 की ओर दिलाना चाहता हूं । अनुपूरक अनुदानों के सम्बन्ध में जो नियम हैं वे नियमावली के नियम 194 व 195 हैं । नियम 195 में लिखा है:—

"अनुपूरक अनुदानों पर वादविवाद केवल उसकी मदों तक ही सीमित रहेगा और जब तक चर्चाधीन मदों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने के लिये आवश्यक न हो, पेश, मूल अनुदानों पर या उनमें अन्तर्निहित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी ।"

तो एक सीमा तो यह लगी हुई है कि जो भी वादविवाद होगा वह मद तक ही सीमित रहेगा, जो अनुपूरक अनुदान में लिखा हुआ है ।

दूसरा नियम 196 है को इस प्रकार है:—

"जब किसी नयी सेवा पर प्रस्थापित व्यय केलिय पुनर्विनियोग द्वारा धन उपलब्ध किया जा सकता हो, तो कोई प्रतीक राशि के अनुदान की मांग सदन के मतदान के लिये रखी जा सकेगी और यदि सदन मांग की अनुमति दे दे तो धन इस तरह उपलब्ध किया जा सकेगा ।"

तो नियमावली सक्षम करती है कि प्रतीकानुदान को पुनर्विनियोग के लिये ले सकते हैं । आप देखेंगे कि बहुत से प्रतीकानुदानों में व्यय तो लाखों करोड़ों रुपये का है लेकिन पुनर्विनियोग का उल्लेख है कि इतना पुनर्विनियोग कर लिया जायगा । सम्मानित नेता ने कहा कि मूल बजट में जो प्राविधान था, उसमें बचत कैसे हो सकती है । श्रीमन्, आज का बजट ट्रेडिशनल नहीं रह गया है । अगर हम परम्परागत बजट पर चलें जो कि बिस्मार्क के जमाने में था, उस पर चलें कि जो पुराने ट्रेडिशनल कन्जरवेटिव्स इकोनोमिस्ट्स, बनाते थे और आंकड़ों के बजट की प्रणाली पर चलें तो विकास कार्य नहीं कर पायेंगे । एक तरफ तो सदन में मांग होती है कि खर्च होना चाहिये, समय से खर्च होना चाहिये और योजनायें समय से स्वीकृत हो जानी चाहिये । मैं तो समझता था कि भारतीय क्रांति दल बजट में भी क्रांति चाहता है ।

श्री जय राम वर्मा—

क्या आपने 49 न0 की ग्रान्ट देखी है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि बजट को परम्परागत दृष्टिकोण से रखें तो हम जड़वादी हो जायं और फिर रिएप्रोप्रिएशन हो ही न सके । श्रीमन्, आज की डायनेमिक प्लानिंग में, ज्वलंत नियोजन पद्धति में यह आवश्यक है कि हमारी डायनेमिक बजटिंग होनी चाहिए । माननीय नेता, भारतीय क्रांति दल ने कहा कि खर्च होना चाहिये तो मैं इसको मानता हूं । इस बात को जानकर उन्हें प्रसन्नता होगी कि मुख्य मन्त्री जी ने इस तरह के निर्देश दिये हैं और नियमों में भी परिवर्तन किये हैं । वित्तीय अधिकारों का, फाइनेन्शियल पावर्स का डेलीगेशन किया है । सुपरिंटेंडिंग इन्जीनियर, एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स के अधिकार बढ़ाये गये हैं । इस तरह के निर्णय लिये हैं जिससे कि काम में तीव्रता आ सके और इसके लिये प्रशासकीय ढांचे में भी परिवर्तन किये हैं ।

मैं यह नहीं कहता कि आडिट आपत्तियां नहीं होंगी। श्रीमन्, किसी भी देश की सरकार को देखें, आडिट की आपत्तियां होती हैं। हमारे यहां भी आपत्तियां होती रही हैं और भविष्य में भी होंगी। लेकिन आपके सहयोग से कम से कम आपत्ति हों, इसका प्रयास किया जायगा। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी, एस्टीमेट कमेटी के सहयोग से बजटिंग कंट्रोल को शख्त करेंगे। जो अनुदान हमें मिला है या लोन मिला है उसका सदुपयोग समय से हो सके इसका भी संतुलन हमें करना है। आपने जो और बातें कही हैं जैसे फर्टीलाइजर की कठिनाइयां हैं तो यह सही है कि खाद की मांग बढ़ी है और उसके उत्पादन में कमी हुई है। लेकिन उनको जानकर खुशी होगी कि मुख्य मंत्री जी के प्रयास से इस प्रदेश को दूसरे प्रदेशों के मुकाबले कोटा ज्यादा मिला है। खाद की कमी है लेकिन उसको दूर करने की पूरी चेष्टा की गयी है। अब तो मैं तो यही आग्रह करूंगा कि जिस कृपा से आपने अनुदान मंजूर किये हैं और कोई कटौती का प्रस्ताव नहीं है तो इस विधेयक को पारित करा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह संविधान की 266(3) और 196 को फिर से पढ़ लें।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1972–73 का अनुपूरक) विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2, 3 अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1972–73 का अनुपूरक) विधेयक, 1972

31 मार्च, 1973 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संहत निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1972–73 का अनुपूरक) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से वर्ष 1972–73 के लिये 64,17,88,300 रुपयों का दिया जाना

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 1973 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ 2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 64,17,88,300 रु0 (चौसठ करोड़, सत्रह लाख, अठासी हजार तीन सौ रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1973 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखिये)

1	2		3		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशि से अनधिक		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
			रु0	रु0	रु0
2	भू-राजस्व	..	100	..	100
3	राज्य आबकारी	..	10,000	100	10,100
4	बिक्री-कर	..	8,44,300	..	8,44,300
5	अन्य कर और शुल्क	..	22,100	..	22,100
8	राज्य विधान मंडल	..	..	25,000	25,000
9	निर्वाचन	..	71,02,300	..	71,02,300
10	सामान्य प्रशासन	..	6,70,900	85,700	7,56,600
11	आयुक्त और जिला प्रशासन		4,00,200	..	4,00,200
12	गांव सभायें और पंचायतें	..	2,07,11,100	..	2,07,11,100
13	न्याय प्रशासन	..	..	13,400	13,400
14	कारागार	..	2,35,800	..	2,35,800
15	पुलिस	..	22,92,700	..	22,92,700
16	खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन।		43,59,500	45,000	44,04,500
17	वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य।		3,13,900	..	3,13,900
18	शिक्षा	..	4,300	19,700	24,000
19	चिकित्सा	..	7,76,500	50,000	8,26,500
20	सार्वजनिक स्वास्थ्य	..	3,50,17,500	..	3,50,17,500
21	कृषि सम्बन्धी विकास	..	1,000	1,16,400	1,17,400
23	पशुपालन तथा मत्स्य पालन	..	57,200	1,700	58,900
24	सहकारिता	..	2,69,400	..	2,69,400
25	उद्योग	..	30,42,400	..	30,42,400
26	नियोजन और समन्वय	..	3,37,50,300	..	3,37,50,300
27	श्रम तथा सेवायोजन	..	4,53,000	..	4,53,000
28	सूचना निदेशालय	..	300	..	300
30	समाज कल्याण	..	100	..	100
32	सिंचाई अधिष्ठान	..	2,33,00,000	..	2,33,00,000

33	सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं।	5,42,600	..	5,42,600
35	सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान।	16,80,100	..	16,80,100
36	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान।	11,26,000	..	11,26,000
37	परिवहन ..	11,50,700	..	11,50,700
38	दुर्भिक्ष सहायता ..	9,39,00,000	..	9,39,00,000
42	वन ..	59,47,600	..	59,47,600
43	प्रकीर्ण व्यय ..	1,66,99,600	..	1,66,99,600
44	नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन	1,37,000	*1,500*	1,38,500
45	कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय।	..	*14,200*	14,200
46	औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय।	2,00,200	..	2,00,200
48	सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय।	10,52,00,100	..	10,52,00,100
49	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय।	2,85,56,200	..	2,85,56,200
50	सड़क परिवहन तथा अन्य। योजनाओं पर पूंजी परिव्यय।	11,69,000	*1,60,600*	13,29,600
53	ब्याज वाले ऋण और अग्रिम	25,13,11,000	..	25,13,11,000
	योग	64,12,55,000	*5,33,300*	64,17,88,300

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2,3, अनुसूची, खंड 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1972–73 का अनुपूरक) विधेयक, 1972 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है . . .

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं इसका विरोध करता हूं और इसको हर्गिज पारित न किया जाय। ऐसा विधेयक क्यों पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो कह चुके।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1972–73 का अनुपूरक) विधेयक, 1972 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 52 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय अध्यक्ष जी ने बचन दिया था कि समय निश्चित कर देंगे । माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी की नियम 52 की सूचना के संबंध में अध्यक्ष जी ने यह निर्णय किया है कि इस पर 20–12–72 को बहस होगी, जो कि माधव प्रसाद जी का है ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

अभी इसको छोड़ दें, बाद में बहस कराइये . . . .

(श्री बांकेलाल के कुछ कहने पर ।)

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो 20 तारीख को जनवरी में नहीं बांकेलाल जी, इसी वर्ष 20 तारीख को होगी ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत 15 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । यह मुगलसराय यार्ड में चोरी के सन्देह में बन्द व्यक्तियों की रिहाई वाली है यह केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार की गयी ।

और बहुत सी ऐसी हैं जैसे माननीय नित्यानन्द स्वामी की है जो कि हाल की घटना से संबंधित नहीं है, इसलिये स्वीकार नहीं की गयी । एक माननीय रामबिलास का है । ये अल्प-सूचित प्रश्न कर लें और अल्पसूचित प्रश्न पर इसका समाधान किया जा सकता है । माननीय रामगोपाल सण्ड ने स्वरूपरानी अस्पताल के वार्ड में . . . .

श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

वहां डाक्टर ने एक अध्यापक की पत्नी के साथ खुले आम व्यभिचार किया इलाहाबाद में । बुद्धिजीवी जनता ने हड़ताल रखी । "भारत" और "पत्रिका" ने सम्पादकीय लिखे, आप इसको अवश्य ले लें . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

जब एक कानूनी कार्यवाही हो रही है, वह मुअत्तल है और कार्यवाही हो रही है तो और आप क्या चाहते हैं ?

एक माननीय रामवचन यादव, माननीय हरिनाथ तिवारी आदि ने रखा है जो कि जनरल विषय पर नियम 52 के अन्तर्गत स्वीकार किया गया है इसलिये 51 के अन्तर्गत स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)—

आजमगढ़ में दो हरिजनों को मार दिया और गुट बनाकर के पचासों के घर फूंक दिये गये . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

कहा तो कि दफा 52 में स्वीकार है । 52 के नोटिस में 51 का नियम कैसे जोड़ सकते हैं ?

एक माननीय बलबीर सिंह, त्रिलोकचन्द, मोहम्मद असरार अहमद का नियम 52 में स्वीकार किया गया है इसलिये 51 में स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। जो नियम 52 में पहले स्वीकृत हुआ उसमें लिया जायगा।

अब यह माननीय चन्द्रभान शर्मा जी का है जो नम्बर 7 पर है, यह नियमों से संबंधित है इसलिये.....

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

चूंकि 10 जुलाई को बेसिक शिक्षा सरकार ने ले ली है और जिला परिषद् के 4 हजार टीचर्स हैं जिनका 13 लाख रुपया भत्ता, महंगाई और इंटेरिम रिलीफ का वाजिब है जिसको न सरकार देती है, न जिला परिषद्। सब जगह अप्रोच कर ली है। मैं निवदन करूंगा कि इसको कार्यवाही के लिये भिजवा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

कार्यवाही के लिये सरकार को भेजे देता हूं।

एक श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी ने सवाल उठाया है वह नियम 52 की सूचना में स्वीकार है इसलिये इसको स्वीकार करने की जरूरत नहीं है जोकि मसूरी एक्सप्रेस में डाकुओं द्वारा लूटपाट से संबंधित है। जब ला ऐंड आर्डर का आयेगा उसमें उठा दीजियेगा।

माननीय शफीक अहमद खां का केंद्र से संबंधित है।

श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)—

मुख्य मंत्री जी से बात हुई थी, हजारों आदमी बेकार पड़े हुये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको भी 52 में स्वीकार किया है।

श्री शफीक अहमद खां—

हां, उसमें कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय त्रिवेणी सहाय का लोकमहत्व का विषय नहीं है, अविलम्बनीय भी नहीं है। इसलिये स्वीकार नहीं हुआ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

यह अत्यन्त लोकमहत्व का प्रश्न इसलिये है कि जिलाधीश ने एक आज्ञा निकाल दी कि हर गांव सभा में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान खोली जायगी, जिसके परिणामस्वरूप करीब 2 हजार गांवों से लोगों ने डेढ़ रुपये का टिकट लगा कर दरख्वास्तें दे दीं और सप्लाई आफिस में भीड़ लग गयी। आज महीने भर से दौड़ हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर प्रश्न आप कर लें लेकिन 51 का विषय नहीं है।

माननीय बलबीर सिंह ने गांधी आश्रम के बारे में कहा है तो गांधी आश्रम स्वायत्तशासी है....

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)

सरकार की ओर से ही तो वह सब चलते हैं। उनका संबंध तो डायरेक्ट सरकार से है। तो इस पर वक्तव्य हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

इसका शासन से सीधा संबंध नहीं है। अविलम्बनीयता की भी बात इसमें नहीं है।आप प्रश्न कर लें ।

श्री बलबीर सिंह—

पहले उनकी सब मांगें मानी गयी थी, अब उससे हट रहे हैं । चार हजार आदमियों का मसला है, एक व्यक्ति का नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

गांधी आश्रम में सरकार का क्या ? सरकार अनुदान देती है न दे।

श्री बलबीर सिंह—

लेकिन अगर उनके कुकर्मों की वजह से....

श्री उपाध्यक्ष—

आप हमको समझा दीजियेगा कि नियमानुसार हो सकता है तो मैं कर दूंगा लेकिन अभी नहीं ।

श्री हबीब अहमद का जो है इस पर भी सवाल किया जा सकता है ।

श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)—

वहां पूरे मकान जला दिये गये, बसें जला दी गयीं । कल से फिर यह दंगा हो रहा है और अभी कोई इन्तजाम नहीं किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष—

कल के बारे में आप कैसे कह सकते हैं ?

श्री हबीब अहमद—

टेलीग्राम आया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी जानकारी का आधार होना चाहिये। कल की घटना है,सिर्फ टेलीग्राम आपको मिला है । आप हमको नियम दिखाइयेगा लेकिन अभी तो स्वीकार नहीं करता हूं ।

श्री शिवदास तिवारी का भी अनिश्चित है और शासन इसके लिये जिम्मेदार नहीं है, इसलिये स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

श्री शिवदास (जिला मिर्जापुर)—

जनतंत्र की हत्या होती रहे, क्या आप यही चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आप करेंगे, मैं तो नियमानुसार जो होगा वह करूंगा। आपने इसमें लिखा है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस के लोग चुनाव निष्पक्ष रूप से नहीं होने दे रहे हैं आदि..तो यह विषय इसके अन्तर्गत कहां आता है? आप सवाल कर सकते हैं ।

श्री शिवदास—

क्या नाजायज हस्तांतरण भी इसके अन्तर्गत नहीं आता है ? जनतंत्र की बिलकुल हत्या हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष--

एक माननीय हुकुम सिंह परिहार का है उसे भी अस्वीकृत किया है। श्री प्रकाश नारायण गुप्त जी का भी अस्वीकार किया गया है।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बज कर 14 मिनट पर अगले दिन क 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदश।

लखनऊः
13 दिसम्बर, 1972।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं0 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 152 पर)

लेवी चीनी के फुटकर मूल्य (प्रति किलोग्राम रुपयों में)

जिले का नाम	जून, 1972	जुलाई, 1972	अगस्त, 1972
1—देहरादून ..	1.95 से 2.13	1.95 से 2.13	1.88 से 2.57
2—सहारनपुर	1.81 से 1.99	1.81 से 1.99	1.81 से 1.99
3—मुजफ्फरनगर	1.96	1.82 से 2.02	2.55 से 2.90
4—मेरठ	1.94 से 1.98	1.79 से 2.03	1.79 से 2.48
5—बुलन्दशहर	1.95 से 1.98	1.78 से 1.85	1.83 से 2.60
6—अलीगढ़	1.99 से 2.01	1.87 से 2.48	1.87 से 2.56
7—मथुरा	2.00 से 2.05	1.86 से 2.03	1.82 से 2.51
8—आगरा	1.99 से 2.04	1.89 से 2.06	1.85 से 2.57
9—मैनपुरी	1.97 से 1.98, 2.01	1.97, 2.01, 2.05	1.89, 2.44, 2.50
10—एटा	1.96 से 2.03	2.01 से 2.02	2.43 से 2.45
11—बरेली	1.96, 1.97	1.84, 2.01; 1.85	2.64, 1.86, 2.24
12—बिजनौर	1.84, 1.97,	1.84, 1.97,	2.43, 2.45,
13—बदायूं	1.98 से 2.00	1.85 से 2.03	1.89 से 2.65
14—मुरादाबाद	1.97	1.84, 2.01	2.16, 2.50,
15—शाहजहांपुर	1.95 से 1.98	1.85से200	2.25 से 2.80
16—पीलीभीत	1.95	1.83	2.23
17—फर्रुखाबाद	1.99 से 2.02	1.87 से 1.89	1.88 से 1.89
18—इटावा	2.02 से 2.04	1.89 से 1.91	1.88 से 1.90
19—कानपुर	1.98 से 2.05	1.86 से 1.92	1.85 से 2.43
20—फतेहपुर	2.01 से 2.02	1.88 से 1.89	1.88 से 1.90
21—इलाहाबाद	2.00	2.00, 2.01 2.02	2.01, 2.73, 2.30, 2.02, 2.93 व 2.60
22—बांदा	2.05 से 2.06	1.91 से 1.93 2.46 से 2.49	1.91 से 1.93
23—हमीरपुर	2.03 से 2.06	1.91 से 1.95	1.90 से 1.94
24—झांसी	2.10 से 2.04	1.89 से 1.91	1.89 से 1.91
25—जालौन	2.00 से 2.02	1.86	1.80
26—वाराणसी	1.99, 2.02, 2.03, 2.04, व 2.05	1.91, 1.92, 1.93, 2.02, 2.03, 2.04, व 2.05	1.92, 1.98, 2.03, 2.35, 2.72, 2.95 व3.50
27—मिर्जापुर	1.91, 2.02,	1.91, 2.90,	1.91, 2.22,
28—जौनपुर	1.95 से 2.00	1.84 से 2.50	1.80 से 2.50
29—गाजीपुर	1.98 से 2.04	1.99 से 2.06	2.04 से 2.97

1	2	3	4
30—बलिया	2.01 से 2.03	2.00 से 2.03	2.03 से 2.93
31—गोरखपुर	1.96	1.96	2.23 से 2.83
32—देवरिया	1.95 से 1.99	1.95 से 1.99	1.98 से 2.01
33—बस्ती	1.96 से 1.98	1.96 से 1.98	1.97 से 2.51
34—आजमगढ़	2.02, 2.03, 2.04, 2.05	2.02, 2.03, 2.04, 2.05	2.02, 2.03, 2.05, 2.92, 2.93
35—नैनीताल	1.84 से 1.89	1.97 से 2.01	2.28 से 2.33
36—अल्मोड़ा	2.00 से 2.06	1.90 से 2.02	1.90 से 2.44
			शहरी क्षेत्र
	2.01 से 2.23	1.91 से 2.20	1.91 से 2.50
			देहाती क्षेत्र
37—गढ़वाल	1.98 से 2.09, 2.10	1.86 से 1.98	2.34 से 2.46
		1.84 से 1.96	2.32 से 2.45
		1.84 से 1.97	व 2.32 से 2.45
38—लखनऊ	1.97 से 2.03	1.86 से 2.02	1.86 से 1.91
39—उन्नाव	2.01 से 2.05	1.88 से 1.92	1.88 से 2.60
40—हरदोई	1.97	2.02	2.38
41—सीतापुर	1.97 से 1.98	1.83	1.84 से 1.86
42—रायबरेली	2.01	1.87 से 2.05	1.87
43—खीरी	1.96	1.83 व 1.97	1.82
44—फैजाबाद	1.95 से 2.00	1.95 से 1.99	1.97 से 2.42
45—गोंडा	1.97	1.99	2.62
46—बहराइच	1.95 से 1.99	1.95 से 2.43	1.97 से 2.67
47—सुलतानपुर	2.01	2.06	2.72
48—प्रतापगढ़	2.02 से 2.04	1.89 से 1.91	2.20 से 2.45
49—बाराबंकी	1.95, 1.96, 1.97	1.95, 1.96, 1.97	3.04, 3.05, 3.06, 3.07,
50—टेहरी गढ़वाल	1.98 से 2.24	1.84 से 2.11	1.85 से 2.00
51—रामपुर	1.96 से 1.99	2.01, 1.96, 2.03	2.41, 1.87, 2.43, 2.66 2.33
52—चमोली	2.16	2.50	2.51
53—उत्तरकाशी	2.16, 2.19, 2.15	2.16, 2.03,	2.01
54—पिथौरागढ़	2.06 से 2.27	2.11 से 2.35	1.99 से 2.25 व 2.55 से 2.98

नत्थी 'ख'

[देखिए नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 164 पर]

केन्द्रीय सरकार से प्राप्त धन के व्यय का ब्योरा

वर्ष	प्राप्त धनराशि	लाख रुपयों में अधिष्ठान व साज सज्जा संबंधी व्यय को निकाल कर निर्माण-कार्यों के लिये उपलब्ध धनराशि	वास्तविक व्यय	बचत का कारण
आयोजनागत केन्द्रीय सहायता				
1970–71	200	143.055	137.569	बचत केवल 4 प्रतिशत है। धन का आवंटन अनुमानित लागत के अनुसार होता है। अनुमानित लागत में थोड़ा बहुत अन्तर स्वाभाविक है।
1971–72	206	166.00	178.77	..
आयोजनेतर केन्द्रीय सहायता				
1970–71	25	25.00	20.046 रु0	4.954 लाख की बचत इसलिये हो गई कि नालों के निर्माण के लिये वांछित भूमि पर कब्जा मिलने में देर लगी जिसके फलस्वरुप काम करने के लिये पर्याप्त समय न मिल पाया।
1971–72	92.450	अभी तक महालेखाकार से व्यय के अंतिम आंकड़े नहीं मिले हैं। पूरी धनराशि के उपयोग होने की आशा है।		

अनुसंधान प्रदर्शन विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 168 पर)

जिला पौड़ी गढ़वाल में मर्चुला-बैजरो-थैलीसेंण मोटर मार्ग का निर्माण निम्नलिखित मार्गों में उनके सामने दर्शायी गयी तिथि तथा लागत पर स्वीकृत किया गया था:—

		स्वीकृति की तिथि	धनराशि रु०
1—मोहन-डौमेला बैजरो मार्ग	..	19–5–55	12,00,000
2—लिस्कोट-थैलीसैंण मार्ग	..	19–2–60	13,85,000
3—स्यूंसी-बैजरो मार्ग	..	4–5–66	2,00,000
4—मूसागली-थैलीसैंण बैजरो मार्ग	..	28–6–71	65,00,000

इन निर्माण-कार्यों पर दिनांक 15–7–72 तक कुल व्यय रुपया 28,78,622 हुआ है।

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 22 का उत्तर पीछे पृष्ठ 171 पर)

विधान सभा प्रश्न/तुरन्त

सं० 66 ए0 क्यू0 (बी)/72/23 आई0ओ0 2/5/72

प्रेषक,

श्री जगदीश खट्टर,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

दिनांक लखनऊ, 24 फरवरी, 1972।

विषय:—विधान सभा के तृतीय सत्र 1971 के 3रें बुधवार के लिये निर्धारित श्री इन्द्रलाल का तारांकित प्रश्न सं0 34।

महोदय,

सिंचाई (ख) विभाग

उपर्युक्त विषय पर अपने पत्र स0 र–3580/29–47, दिनांक 24 जनवरी, 1972 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस प्रश्न के उत्तर तथा अनुपूरक सामग्री के देखने से यह पता चलता है कि अतिक्रमण के कुछ मामलों में सिंचाई विभाग के अधिकारियों को नाजायज कब्जा हटाने के लिये आवश्यक पुलिस सहायता प्राप्त नहीं हो सकी।

इस संदर्भ में मुझे आपका ध्यान नैनीताल में दिनांक 23 जनवरी, 71 को हुई जिला सिंचाई एवं विद्युत समिति की बैठक के कार्यवृत्त की ओर आकृष्ट करते हुये यह कहना है कि इस मीटिंग में जिलाधिकारी की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि अतिक्रमण को तुरन्त हटाया जाय और इसके लिये यदि आवश्यकता होगी तो सिंचाई विभाग को पुलिस की सहायता भी दी जायगी। तदनुसार इस आश्वासन के प्रकाश में मुझे आप से यह अनुरोध करना है कि संबंधित अतिक्रमण के मामलों में भी आप कृपया सिंचाई विभाग क संबंधित अधिकारियों को आवश्यक पुलिस सहायता तुरन्त ही प्रदान करने की व्यवस्था करें जिससे कि इन नाजायज कब्जों को शीघ्र खाली कराया जा सके। इस संबंध में जो भी कार्यवाही आप करें उससे शासन को तुरन्त अवगत कराने का कष्ट करें।

इस संदर्भ में मुझे आप से यह भी कहना है कि उपरोक्त प्रश्न के उत्तर का अन्तिम भाग ठीक नहीं प्रतीत होता क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि "परन्तु पुलिस को मदद न मिलने क कारण नजायज कब्जों को अब तक नहीं हटाया जा सका है।" विधान सभा में इस प्रकार का उत्तर देना कदापि उचित न होगा। अतः अनुरोध है कि कृपया प्रश्न का संशोधित उत्तर अनुपरक सामग्री में आवश्यक संशोधन के साथ शासन को 10 दिन के अन्दर निश्चित रूप से भेजने का कष्ट करें।

भवदीय,

ह० जगदीश खट्टर,

उप सचिव।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 31 का उत्तर पीछे पृष्ठ 173 पर)

सूची

प्रश्न में उल्लिखित ग्रामों की सिंचाई का विवरण निम्नांकित है:—

नाम ग्राम	1968–69		1969–70		1970–71		1971–72	
	सींच 1376 फ0		सींच 1377 फ0		सींच 1378 फ0		सींच 1379 फ0	
	खरीफ एकड़	रबी एकड़	खरीफ एकड़	रबी एकड़	खरीफ एकड़	रबी एकड़	खरीफ एकड़	रबी एकड़
बेकड़ा भगवानपुर	3	27	..	6	..	5	..	4
खेड़ा रठ	4	20	7	3	7	5	..	7
गोहावर	18	14	4	5	6	6	..	..
सरजूपुर	20	16	1	3	1	7	..	7

ग्राम विक्रमपुर नहरी कमाण्ड में नहीं है।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 42 का उत्तर पीछे पृष्ठ 176 पर)

भुगतान की तालिका

क्र0 सं0	अधिदर्शक का नाम	भुगतान का विवरण						
		1967–68	1968–69	1969–70	1970–71	1971–72	1972–73	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री राम अधार सिंह, अधिदर्शक ..	450661	421284	325377	698255	1155985	1340936	4412498
2	श्री ब्रह्मदेव, अधिदर्शक ..	36841	213707	244498	387753	793318	1213915	3221832

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 55 का उत्तर पीछे पृष्ठ 179 पर)

क्रम सं0	विधायक निवासों में अनाधिकृत रूप से रहने वालों के नाम तथा कक्ष सं0	अनाधिकृत रूप से रहने की तिथि	बाकी किराया 30-11-72 तक तथा दर	वसूली तथा खाली कराने की कार्यवाही
			रु0	
1—	डा0 पुरुषोत्तम दास कपूर; भूतपूर्व सदस्य, विधान परिषद्; 33, विधायक निवास—1।	6-5-1972	940·50 दर 4—50 प्रतिदिन।	उनसे लिखित रूप से अनुरोध किया गया है कि वे कक्ष खाली कर दें। इनके कक्ष में एक सज्जन रह रहे हैं। उन्होंने अवधाता के अनुरोध के बावजूद कक्ष खाली नहीं किया।
2—	श्री रघुवीर सिंह यादव; सदस्य, विधान सभा; 187; विधायक निवास—1।	19-4-1971	688·00 दर 4.00 प्रतिदिन	सदस्य महोदय से व्यक्तिगत तथा लिखित अनुरोध किया गया है कि वे कक्ष खाली कर दें। इन पर कुल 2,368 रु0 बकाया होता था जिसमें से 1,680 रु0 का भुगतान हो चुका है। इस प्रकार 688.00 रु0 बाकी है।
3—	श्री हीरा सिंह; भूतपूर्व सदस्य विधान परिषद्; 8-सी, विधायक निवास—1।	6-5-1972	1,358.50 दर 6.50 प्रति दिन।	कक्ष खाली करने हेतु लिखित अनरोध किया गया है। उत्तर नहीं प्राप्त हुआ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	विधायक निवासों में अनाधिकृत रूप से रहने वालों के नाम तथा कक्ष सं0	अनाधिकृत रूप से रहने की तिथी	बाकी किराया 30-11-72 तक तथा दर	वसूली तथा खाली कराने की कार्यवाही
4—	श्री गेंदा सिंह, .. भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा, कक्ष संख्या 66, विधायक निवास—2।	20-3-1971	कक्ष का किराया 4043.00 गैराज का किराया 192.12 4235.12 दर 6.50 रु0 प्रतिदिन।	श्री गेंदा सिंह लोकसभा के सदस्य हो गये किन्तु उन्होंने कक्ष संख्या 66 अभी तक नहीं खाली किया। कक्ष में श्री रामायण राय, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा रह रहे हैं।
5—	गंगा प्रसाद, सदस्य, .. विधान सभा, 18-ख, विधायक निवास—3।	19-4-1971	रु0 1,480 दर 2.50 रु0 प्रतिदिन।	सदस्य महोदय से कक्ष खाली करने हेतु लिखित अनुरोध किया गया है। उनका उत्तर अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है।
6—	श्री हरिचन्द्र पति त्रिपाठी, .. कक्ष सं0 125, विधायक निवास-4।	सितम्बर, 1971	रु0 2,056.50 दर 4.50 रु0 प्रति दिन।	श्री त्रिपाठी एक बाहरी व्यक्ति हैं। सन् 1971 की बाढ़ में इन्हें रहने की अनुमति दी गयी थी। श्री त्रिपाठी से लिखित तथा मौखिक अनुरोध किया गया है कि वे कक्ष खाली कर दें। इस कक्ष का बिजली तथा पानी भी काट दिया गया था। परन्तु श्री त्रिपाठी की मां की अस्वस्थता को देखते हुए उसे कुछ दिन के लिये फिर जोड़ दिया है।

अवध प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 71 का उत्तर पीछे पृष्ठ 182 पर)

संलग्नक

जिला मुरादाबाद के रिग डिवीजन तथा ट्यूबवेल डिवीजनों में, अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, सुपरवाईजर तथा स्टोरकीपर जिन्हें उक्त खण्डों में 4 वर्ष से अधिक हो गये हैं, के स्थानान्तरण आदि से संबन्धित अद्यावधि स्थिति निम्न प्रकार है :—

क्रमांक	पदनाम	रिग डिवीजन मुरादाबाद	ट्यूबवेल डिवीजन प्रथम मुरादाबाद	ट्यूबवेल डिवीजन द्वितीय मुरादाबाद	ट्यूबवेल डिवीजन चन्दौसी	अभियुक्ति
1	अधिशासी अभियन्ता	..	..	..	..	कोई भी अधिशासी अभियन्ता 4 वर्ष से अधिक समय से उन खंडों में कार्यरत नहीं है।
2	सहायक अभियन्ता, श्री लक्ष्मीकान्त गौड़	—	—	—	—	श्री गौड़ सहायक अभियन्ता 21–9–67 से रिग डिवीजन में कार्यरत हैं। इन्हें 4–11–72 को अनुसंधान एवं नियोजन मंडल तृतीय, लखनऊ में स्थानान्तरित किया गया है। इसके पूर्व श्री गौड़ के स्थानान्तरण आदेश मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा 19–6–70 तथा 19–6–71 में किये गये थे जिन्हें जनहित में निरस्त कर दिया गया था।

क्रमांक	पदनाम	रिग डिवीजन, मुरादाबाद	ट्यूबवेल डिविजन, प्रथम, मुरादाबाद	ट्यूबवेल डिविजन द्वितीय, मुरादाबाद	ट्यूबवेल डिविजन चन्दौसी	अभियुक्ति
3—	सुपरवाईजर	1— श्री अगनलाल 2—श्री अतरसिंह	– –	– – –	1—श्री उग्रसेन 2—श्री आर० सी० तिवारी 3—श्री एस० एस० अग्रवाल	श्री अगनलाल 19—4—68 से तथा श्री अतरसिंह 11—9—68 से रिग डिवीजन, मुरादाबाद में कार्यरत हैं। इन दोनों के कोई स्थानान्तरण आदेश निर्गत नहीं किये गये। अतः निरस्तीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता। सर्व श्री उग्रसेन, आर० सी० तिवारी तथा एस० एस० अग्रवाल क्रमशः 2—2—68, 13—7—68, तथा 21—6—68 से ट्यूबवेल डिवीजन, चन्दौसी में कार्यरत है। इनके स्थानान्तरण आदेश भी निर्गत नहीं किये गये। अतः निरस्तीकरण का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
4—	स्टोर कीपर	1—श्री चन्द्रमणि थपलियाल	– –	–	–	श्री चन्द्रमणि थपलियाल 28—9—67 से रिग डिवीजन, मुरादाबाद में कार्यरत हैं। इनका कोई स्थानान्तरण आदेश निर्गत नहीं किया गया। अतः निरस्तीकरण का प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 74 का उत्तर पीछे पृष्ठ 182 पर)

सची

दिनांक 1 अक्तूबर, 1972 से राजकीय नहरों पर लागू अनुसूची 1, 2 व 3 की दरों में धान, गन्ने और आलू पर 20 प्रतिशत की और शेष फसलों पर 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। बढ़ी हुई दरें निम्न हैं:

रुपये प्रति एकड़

क्रम-संख्या	फसल का नाम	अनुसूची 1		अनुसूची 2		अनुसूची 3	
		तोड़	डाल	तोड़	डाल	तोड़	डाल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गन्ना	60–00	30–00	30–00	15–00	12–00	6–00
2	चावल (ब्राडकास्ट धान के अतिरिक्त) ..	21–00	10–50	15–00	7–50	4–80	2–40
3	बगीचे, पोस्ता, सब्जी	21–88	10–94	15–63	7–81	5–00	2–50
4	आलू	45–00	22–50	30–00	15–00	12–00	6–00
5	दून नहरों पर ब्राडकास्ट धान	10–50	5–25	..	..	..	..
6	तम्बाकू	25–00	12–50	18–75	9–38	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0 सं0	फसल का नाम	अनुसूची तोड़	डाल	अनुसूची तोड़	डाल	अनुसूची तोड़	डाल
1	2	3	4	5	6	7	8
7	दून नहरों पर चाय व बाग ..	[illegible]	11–73	..	..	..	..
8	गेहूं व जौ	18–75	9–38	15–63	7–81	5–00	2–50
9	कपास	7–04	3–91	4–69	2–35	2–50	1–25
10	चारे की फसलें	4–69	2–35	3–13	1–56	2–50	1–25
11	हरी खाद	3–13	1–56	3–13	1–56	2–50	1–25
12	अन्य रबी	14–06	7–06	7–81	3–91	5–00	2–50
13	अन्य खरीफ	10–94	5–48	7–8	3–91	5–00	2–50

2—दिनांक 1 अक्तूबर, 1972 से लिफ्ट सिंचाई नहरों पर लागू विभागीय उपकर पद्धति (Two part tariff) को समाप्त करके उन पर अनुसूची 1 की ऊपर दी गई बढ़ी हुई दरें लागू कर दी गई हैं।

3—दिनांक 1 अक्तूबर, 1972 से ही राजकीय नलकूपों से सिंचाई के लिये दिये जाने वाले पानी की दर प्रति वर्ष 1 नवम्बर से 30 जून तक की अवधि के लिये 6,000 गैलन प्रति रुपया और 1 जुलाई से 31 अक्तूबर तक की अवधि के लिये 12,000 गैलन प्रति रुपया कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 4का उत्तर पीछे पृष्ठ 183 पर)

सूचना

1—कासगंज–अतरौली मार्ग (आधुनीकरण)—

मार्ग की मध्य सतह तथा ऊपरी सतह के लिये एकत्रीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है और चल रहा है। इस मार्ग के आधुनीकरण का कार्य 31 मार्च, 1974 तक 10 लाख रु0 का व्यय करके पूर्ण होने की आशा है।

2—कासगंज–इस्माइलपुर मार्ग (नव-निर्माण)—

इस मार्ग के कुछ भाग में मिट्टी के कार्य की निविदायें स्वीकृत हो चुकी हैं और कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। इस मार्ग का निर्माण-कार्य 31 मार्च, 1976 तक 17.38 लाख रु0 व्यय करके पूर्ण होने की आशा है।

3—कासगंज–सहावर—

यह कच्चा मार्ग जिला परिषद्, एटा का है। इस मार्ग पर कोई भी निर्माण-कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं कराया जा रहा है।

4—ढोगंना–गढ़ी मार्ग—

इस नाम का कोई मार्ग सा0 नि0 विभाग के अधीन नहीं है और न ही इसका निर्माण शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है।

5—कसगंज–अमापुर मार्ग—

यह कंकड़ मार्ग है। इसका पुनर्निर्माण शासन द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है।

अंतर दृष्टि

नत्थी 'ट'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 187 पर)

नाले जो पूर्ण रूप से कासगंज विधान सभाई क्षेत्र में आते हैं—

क्रम सं0	नाले का नाम	व्यय रुपयों में
1	कुढार नाला	126.00
2	सम्यों नाला व इनायती नाला	887.00
3	किनावां नाला	580.00
4	नौगवां नाला	304.00
5	बरखुरदारपुर नाला	626.00
6	नमेनी नाला	1453.00
7	वजीरपुर नाला	212.00
8	लोअर सुरैना नाला	166.00
9	गण्डी नाला	125.00
10	नयावपुर नाला	15.00
	नाले जो आंशिक रूप से कासगंज विधान सभाई क्षेत्र में आते हैं	
1	झावर नाला	4134.00 (लग 0)
2	अलीपुर नाला	324.00

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—243 ए ल0 ए0—1973—835

उत्तर प्रदेश विधान सभा